चतुर्दश माला, खंड 28, अंक 1

शुक्रवार, 10 अगस्त, 2007
19 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 15 July 2008

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 1, बुधवार, 10 अगस्त, 2007/19 श्रावण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)-(xiv)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xv)
मंत्रिपरिषद्	(xvi)-(xx)
राष्ट्रगान	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण.	1
निधन संबंधी उल्लेख.	1-8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	8-43
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 123	43-268
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	269-270
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	269-276
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	277-278
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	277-280

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगडि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए.आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अंसारी, श्री अफज़ाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री एम.एच. (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज ग. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदिकेसवुलु, श्री डी.के. (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरून रशीद, श्री जे.एम. (पेरियाकुलम)

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला – असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोबिचेट्टिपालयम)

उरांव, डा रामेश्वर (लोहरदगा)

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी सैलजा (अम्बाला)

कुरूप, एडवोकेट सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूंटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द (गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस. के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुंबई उत्तर-मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

घुरन राम, श्री (पलामू)

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी.के. (त्रिचूर)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगांव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ.प्र.)

चौधरी, श्री बंसगोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरुचेन्गोड़े)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जाधव, श्री प्रकाश बी. (रामटेक)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इडुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी.के. (अमरेली)

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढिल्लों, श्री शरमजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

दरबार, श्री छत्तर सिंह (धार)

दास, डा. अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

दूबे, श्री रमेश (मिर्जापुर)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक (वारंगल)

धूमल, प्रो. प्रेम कुमार (हमीरपुर)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडान, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभाई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिनशा (खेड़ा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पल्लानी शामी, श्री के.सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पटले, श्री शिशुपाल एन. (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटील, श्री डी.बी. (नांदेड़)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक पी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री रामस्वरूप (नालन्दा)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस (नामनिर्दिष्ट)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

''बाबा'', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ.प्र.)

बेल्लारमिन, श्री ए.वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी (बोब्बिली)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भाईलाल, श्री (रॉबर्ट्सगंज)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

मंडल, श्री अबु अयीश (कटवा)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के.एस. (अलेप्पी)

मनोज कुमार, श्री (पलामू)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उडुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरंजी)

मारन, श्रीदयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकंठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मोरे, श्री वसंतराव (इरन्दोल)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

यादव, कुंवर, देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (मैनपुरी)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

रवीन्द्रन, श्री पन्नियन (तिरूवनन्तपुरम)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

रिजीजू, श्री कीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (औंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करुणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वारसी, श्री अनिल शुक्ल (बिल्हौर)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी.एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरुपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वृन्दावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मोहम्मद (सीवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करुणा (जांजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

संगमा, श्री पी.ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच.टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रुबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कोलकाता उत्तर-पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राय इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री देवव्रत (राजनन्दगांव)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मानिक (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामपाल (विदिशा)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृष्नगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी.एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव एच. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेल्वी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमजा, श्री टी.के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हसन, चौ. मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

19 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं जैसे : 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; तथा 4. अंतरिक्ष विभाग 5. कोयला मंत्रालय; और 6. पर्यावरण और वन मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	विदेश मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री ए.आर. अंतुले	अल्पसंख्यक मामले मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री रामविलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
प्रो. सैफुद्दीन सोज	जल संसाधन मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री ऑस्कर फर्नांडीस	श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जी.के. वासन	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय हान्डिक	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश दास	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री
श्री चंद्रशेखर साहू	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एच.एम. अम्बरीश	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती वी. राधिका सेल्वी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

खंड-28, अंक 1, चौदहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र का प्रथम दिन

लोक सभा

शुक्रवार, 10 अगस्त, 2007/19 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव महोदय, प्रो. प्रेम कुमार धूमल को शपथ लेने के लिए बुलाएं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

प्रो. प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को इस सभा के दो वर्तमान सदस्य श्री चन्द्रशेखर और श्री अजीत कुमार सिंह तथा हमारे पांच पूर्व सहयोगियों श्री कृष्ण चन्द्र हलधर, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री टी. नागरत्नम, डा. साहिब सिंह वर्मा और श्री भरत सिंह चव्हाण के दुखद निधन की सूचना देनी है।

माननीय सदस्यों, मैं अत्यंत दुख के साथ अपने सम्माननीय सहयोगी श्री चन्द्रशेखर के निधन का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री चन्द्रशेखर उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वे वर्ष 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा तथा वर्ष 1989 से 2004 तक नौवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश राज्य से वर्ष 1962 से 1977 तक लगातार तीन बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

चन्द्रशेखर जी देश के अत्यंत सम्मानित राजनैतिक नेताओं में से थे। महान् समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव की प्रेरणा से वर्ष 1950 के पूर्वार्द्ध में राजनीति में आए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण परम्परागत दृष्टिकोण से भिन्न होने के कारण उन्हें प्रारंभिक राजनैतिक जीवन में ''युवा तुर्क'' के नाम से जाना जाता था। वास्तव में वे अन्याय और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे।

चार दशकों तक अपना अद्वितीय योगदान देकर उन्होंने एक प्रबुद्ध सांसद के रूप में संसदीय वाद-विवादों में सार्थक एवं सक्रिय भूमिका अदा की। एक प्रखर वक्ता के रूप में संसद में उनके भाषण अति प्रभावपूर्ण होते थे जिनमें नवोदित भारत के दर्शन की झलक दिखायी देती थी। वे अपनी बात निर्भय होकर व्यक्त करते थे लेकिन भिन्न राजनैतिक दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं के साथ उनका व्यवहार सदैव मर्यादापूर्ण रहता था। सभा में शोर-शराबे के दौरान संसद में उनकी उपस्थिति और मध्यस्थता अक्सर सभा में शांति कायम करने में सहायक होती थी। एक महान जागरूक नेता के रूप में उनकी आवाज एक बुलन्द आवाज थी। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गिरते हुए नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। संसदीय वाद-विवाद में उनके अद्वितीय योगदान को स्वीकार करते हुए संसद ने वर्ष 1995 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से नवाजा।

श्री चन्द्रशेखर को 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस अवधि के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने अनेक जनोन्मुखी कदम उठाए जिनसे उनके प्रबुद्ध राजनयिक कौशल और राजनैतिक सूझ-बूझ का परिचय मिलता है।

श्री चन्द्रशेखर 2000 से 2001 तथा पुन: 2005 से आचार समिति के सभापति रहे।

दृढ़ इच्छा शक्ति पर अडिग रहते हुए उन्होंने मूलभूत नीतियों पर एक सिद्धांतवादी रूख अपनाया और कोई समझौता नहीं किया उनका विश्वास था कि आम व्यक्ति सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। उन्होंने आम व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से राजघाट, नई दिल्ली तक 4260 किलोमीटर की पद यात्रा की तथा निम्नतम स्तर पर सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में भारत यात्रा केन्द्र स्थापित किए।

श्री चन्द्रशेखर का जीवन साहस की गाथा है। वह ह्रदय से समाजवादी, सच्चे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी थे और युवाओं के प्रेरणास्रोत रहे। जिस युग में आदर्शों को अत्यंत पवित्र समझा जाता था तब उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण की तथा राजनीति की।

श्री चन्द्रशेखर धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने उन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने इन मूल्यों की तिलांजलि का जोरदार विरोध किया क्योंकि उनका विश्वास था कि ये मूल्य ही भारतीय राष्ट्र की नींव हैं। उन्होंने अपने जीवन में इन मूल्यों में दृढ़ आस्था प्रदर्शित की तथा श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन उनकी सक्रिय भागीदारी से अत्यंत सफल रहा।

श्री चन्द्रशेखर एक विद्वान व्यक्ति थे तथा उन्होंने "मेरी जेल डायरी" (हिन्दी) तथा "डायनामिक्स आफ सोशल चेंज" नामक पुस्तकों का लेखन किया। वह साप्ताहिक "यंग इंडियन" के संस्थापक सम्पादक थे तथा उसके सम्पादन सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन थे।

श्री चन्द्रशेखर के निधन से देश के राजनीतिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग का अंत हो गया है। उनके निधन से देश ने धर्मनिरपेक्षता और जातिविहीन समाज के पक्षधर एक विख्यात संसदविद्, कुशल प्रशासक, राजनेता और समर्पित समाजवादी खो दिया है।

लम्बे समय तक बीमार रहने के पश्चात् श्री चन्द्रशेखर का निधन 80 वर्ष की आयु में 8 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री अजीत कुमार सिंह चौदहवीं लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। वे बिहार के बिक्रमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

सक्रिय संसदविद् श्री सिंह वर्ष 2004 के दौरान खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2006 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति तथा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे।

कृषक और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता श्री सिंह देश में सहकारिता आन्दोलन की एक युवा और उद्यमशील शक्ति थे। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी प्रमुख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने नेफेड के अध्यक्ष और इफको और कृभको के निदेशक के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 2000 में तापिन्दु शहरी सहकारी बोर्ड, पटना, बिहार के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे।

श्री अजीत कुमार सिंह का निधन एक सड़क दुर्घटना में 1 अगस्त, 2007 को सिवान, बिहार में 45 वर्ष की अल्प आयु में हुआ । उनके असामयिक निधन से एक होनहार नेता का अंत हो गया है।

श्री कृष्ण चन्द हलधर 1971 से 1984 तक पांचवीं से सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल की औसग्राम और दुर्गापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री हलधर 1967 से 1968, 1969 से 1970 तथा 1991 से 1996 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1969 से 1970 तक पश्चिम बंगाल की सरकार में आबकारी मंत्री रहे।

श्री हलधर एक सुयोग्य सांसद थे और वह पांचवीं लोक सभा के दौरान 1971 से 1974 तक प्राक्कलन समिति, 1974 से 1976 तक लोक उपक्रमों संबंधी समिति, 1971 से 1977 तक इस्पात और खान तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। छठी लोक सभा के दौरान 1977 से 1978 तक श्री हलधर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति, 1977 से 1979 तक अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां समावेश और अपवर्जन विधेयक संबंधी संयुक्त प्रवर समिति उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। वह सातवीं लोक सभा के दौरान सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति के भी सदस्य रहे।

श्री हलधर एक पारखी प्रशासक थे और उन्होंने 1954 से 1956 तक बर्दवान नगरपालिका के आयुक्त के रूप में सेवा की तथा 1973 से 1980 तक बर्दवान जिला किसान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान में गहरी रूचि दिखाई तथा किसानों और समाज के

कमजोर वर्गों के लिए अपना समूचा राजनीतिक जीवन न्यौछावर कर दिया।

श्री हलधर ने अनेक देशों की यात्रा की और वह 1978 में तत्कालीन सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया और मंगोलिया का दौरा करने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री कृष्ण चन्द हलधर का निधन 85 वर्ष की आयु में 07 फरवरी, 2007 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान में हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवी लोक सभा और 1980 से 1984 तथा 1991 से 1996 तक सातवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व श्री यादव 1957 से 1967 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे।

श्री यादव एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने 1974 से लेकर 1977 तक केन्द्र में इस्पात और खान मंत्रालय का कार्यभार संभाला।

श्री यादव एक सक्रिय सांसद थे। वह सातवीं लोक सभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य और दसवीं लोक सभा के दौरान लोक लेखा समिति के सभापति रहे।

श्री यादव ने अनेक देशों का भ्रमण किया। वह 1993 में कम्बोडिया का दौरा करने वाली अन्तरसंसदीय संघ (आईपीयू) के शिष्टमंडल के सदस्य थे जो वहां होने वाले चुनावों के निरीक्षण के लिए गया था।

श्री यादव एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वह इन्डो-जी. डी.आर. फ्रेंडशिप सोसाइटी, नेशनल कमिटी ऑन ऐड फार डैमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम और ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडैरिटी आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे। वह एफ्रो-एशियन पीस एण्ड सॉलिडैरिटी कमिटी, इंडो-सोवियत कल्चरल सोसाइटी और एशियन सॉलिडैरिटी आर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की किसान सभा के महामंत्री और प्रीजिडियम ऑफ द वर्ल्ड पीस काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री चन्द्रजीत यादव का निधन थोड़े समय तक बीमार रहने के पश्चात् 77 वर्ष की आयु में 25 मई, 2007 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री टी. नागरत्नम तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1980 से 1984 तक और 1996 से 1997 तक क्रमश: सातवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री नागरत्नम सातवीं लोक सभा के दौरान 1980 से लेकर 1981 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री नागरत्नम पेशे से एक अधिवक्ता थे और वह सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे उनमें जनसेवा के लिए अथाह जोश था और इसलिए गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विधिक सहायता कार्यक्रमों में सक्रियतापूर्वक भागीदारी करते हुए उन्होंने अपनी व्यावसायिक विधिक सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनसामान्य के शैक्षिक उत्थान के लिए साक्षरता कार्यक्रम भी चलाए।

श्री नागरत्नम श्रमिक वर्ग के समर्थक थे और उन्होंने 1970 से 1972 तक तमिलनाडु में तिरुवल्लूर स्थित स्टोनवेयर पाइप्स लिमिटेड इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह 1994 में मद्रास यूनिवर्सिटी की सीनेट के भी सदस्य रहे।

श्री नागरत्नम 1997 में स्वीडन का दौरा करने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री टी. नागरत्नम का निधन लम्बे समय तक बीमार रहने के पश्चात् 69 वर्ष की आयु में 8 जून, 2007 को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में हो गया।

डा. साहिब सिंह वर्मा बाहरी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में 1999 से 2004 तक तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इसके पूर्व डा. वर्मा 1977 से 1989 तक महानगरपालिका परिषद, दिल्ली के चेयरमैन और पुन: 1993 से 1998 तक दिल्ली विधान सभा के सदस्य रहे।

डा. वर्मा कुशाग्र प्रशासनिक व्यक्ति थे और 1993 से 1996 तक वे दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। तदुपरांत, वे 1996 से 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। डा. वर्मा 2002 से 2004 तक केन्द्रीय श्रम मंत्री भी रहे।

एक सक्रिय सांसद के रूप में डा. वर्मा पादप किस्म संरक्षण तथा किसान अधिकार विधेयक, 1999 की संयुक्त समिति के सभापति थे। 1999 से 2000 तक वे खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति और 2000 से 2001 तक आचार संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से शिक्षाशास्त्री, डा. वर्मा जनसाधारण के नेता थे और वह अति सरल जीवनशैली के पक्षधर थे। वे हर दिल अजीज व्यक्ति थे और उनके सदा मुस्कुराते व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव के कारण उनके कद और उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जो दिल्ली की सीमाओं से आगे बढ़ देश के अन्य भागों में भी परिलक्षित हुई। उन्होंने किसानों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के हितों की सदैव रक्षा की। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने कामगार वर्ग की उन्नति के लिए प्रयास किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में डा. वर्मा ने अनेक ग्रामीण विकास योजनाएं आरंभ कीं और वे दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम बनाए जाने की दिशा में एक मार्गदर्शक कारक बने। डा. वर्मा ने तकनीकप्रिय व्यक्ति होने के कारण एक वेबसाईट भी चालू की ताकि जनता, सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जायजा ले सके और सरकार को उनके विचार प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक सार्वजनिक शिकायत निवारण आयोग का गठन किया और राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की। उनके निधन से हमने एक अत्यंत लोकप्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता खो दिया है।

डा. साहिब सिंह वर्मा का असामयिक निधन 64 वर्ष की आयु में राजस्थान के अलवर के समीप शाहजहांपुर में एक दुःखद सड़क दुर्घटना में 30 जून, 2007 को हुआ।

श्री भरत सिंह चव्हाण वर्ष 1967 से 1979 तक चौथी से छठी लोक सभा के सदस्य रहे उन्होंने मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुयोग्य सांसद, श्री चव्हाण वर्ष 1976 के दौरान कार्यमंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति तथा तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्थापित परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। पेशे से कृषक, श्री चव्हाण वर्ष 1957 से 1967 तक जिला पंचायत परिषद् के चेयरमैन रहे।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री चव्हाण ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वह हिन्दुस्तान सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, श्री चव्हाण अनेक सामाजिक गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े थे तथा ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना और प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन में उनका योगदान रहा।

श्री भरत सिंह चव्हाण का निधन इंदौर, मध्य प्रदेश में 26 जुलाई, 2007 को कुछ समय बीमार रहने के उपरांत 95 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शहरी अवसंरचना परियोजनाओं हेतु एशियाई विकास बैंक से सहायता

*1. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) देश में शहरी अवसंरचना के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए एडीबी द्वारा कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ग) एडीबी से सहायता प्राप्त ऐसी प्रत्येक शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के संदर्भ में कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिए एडीबी की सहायता राशि और एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त ऐसी प्रत्येक शहरी अवसंरचना परियोजना के बारे में ऋण-प्राप्ति प्रगति का ब्यौरा भी शामिल है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण का प्रयोजन और उद्देश्य	निवल ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	ऋण प्राप्ति की स्थिति में हुई प्रगति (जून, 2007 तक ऋण का वितरण) (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3	4	5
राजस्थान				
1.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आर यू आई डी पी)	परियोजना का लक्ष्य शहरी अवसंरचना एवं सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों में शहरी प्रबंधन को सुदृढ़ करने और प्राथमिकता निवेश को समर्थन देने हेतु नीति गत सुधारों को सुविधाजनक बनाकर शहरी राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक विकास को इष्टतम बनाना है। परियोजना का दायरा निम्नलिखित 6 प्रभागीय मुख्यालयों तक है अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर	250.00	169.383
गुजरात				
2.	गुजरात भूकम्प पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना (जीइआरआरपी)	परियोजना का लक्ष्य गुजरात सरकार को राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों मुख्यतया कच्छ और 11 अन्य प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त आवासों का पुनर्निर्माण और आवश्यक अवसंरचना को जिसमें जलापूर्ति, सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कें और बांध, ऊर्जा और आजीविका बहाल करना शामिल है। बहाल करना है ताकि आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों, विशेषकर गरीबों के लिए, त्वरित बहाली की जा सके।	338.00	306.242 परियोजना पूरी हो गई है।
कर्नाटक				
3.	कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंधन परियोजना (केयूडीसीइएमपी)	परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक के पश्चिमी तट के किनारे स्थित शहरी केन्द्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना है— चिह्नित 10 शहरी केन्द्र जिसमें 5 प्राथमिक शहरी केन्द्र शामिल हैं, जैसे— दाण्डेली, करवार, मैंगलोर, सिरसी और उदूपी तथा अन्य शहरी केन्द्र उल्लाल, अन्कोला, पुत्तूर, कुन्दापुरा और भट्कल।	145.00	102.191

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
4.	मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति और पर्यावरण सुधार (यूडब्ल्यूएसइआइएमपी)	परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरी जलापूर्ति में निवेशों का समर्थन करके तथा पर्यावरण को बेहतर बना कर चार बड़े नगरों अर्थात् भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर तथा जबलपुर में बुनियादी शहरी सेवाओं की कमियों को दूर करना है। इस परियोजना में जन-सहभागिता को बढ़ाना और जन-जागृति कायम करना भी शामिल है।	181.00	6.176
जम्मू तथा कश्मीर				
5.	जम्मू तथा कश्मीर में अवसंरचना पुनर्स्थापन के लिए बहुक्षेत्रीय परियोजना	परियोजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शहरी और परिवहन क्षेत्रों में पुनर्वास और अनिवार्य भौतिक अवसंरचना का पुनर्निर्माण करना है।	250.00	9.480
पश्चिम बंगाल				
6.	कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना (केईआईपी)	परियोजना के अंतर्गत कोलकाता में सीवरेज और जल निकासी सुधार, ठोस कचना प्रबंधन, स्लम सुधार, नहरों, झीलों और जल निकायों का सुधार तथा कार्यान्वयन सहायता एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।	177.80	48.656
7.	कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना (केईआइपी) (अनुपूरक)	इस परियोजना का उद्देश्य कोलकाता नगर निगम की कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। इस परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:- (1) कोलकाता के बाहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को बेहतर बनाना, (2) बुनियादी शहरी सेवाएं उचित लागत पर उपलब्ध कराकर निम्न आय वाले क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को कम करना, (3) सहभागिता पद्धति के जरिए समुदाय सशक्तिकरण करना, (4) विकास के प्रतिकूल प्रभावों से पर्यावरण की रक्षा करना तथा (5) कोलकाता नगर निगम को कुशल और स्वायत्त-बनने में सहायता देना। इस परियोजना का उद्देश्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करना है।	80.00	शून्य

1	2	3	4	5
केरल				
8.	केरल धारणीय शहरी विकास परियोजना	परियोजना का उद्देश्य के परियोजना शहरों अर्थात कोच्चि, कोल्लम, कोझी कोड, तिरुवनन्तपुरम और त्रिचूर में शहरी वातावरण, अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर का सुधार और केरल में स्थित शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें परियोजना शहर सम्मिलित हैं, में शहरी प्रशासन, सांस्थानिक विकास और क्षमता निर्माण विकसित करना है।	221.20	शून्य
केरल और तमिलनाडु				
9.	सुनामी आपातकालीन सहायता (क्षेत्र) परियोजना	परियोजना का उद्देश्य (i) आजीविका बहाल करने में सहायता करके और अनिवार्य सेवाएं प्रदान करके लोगों के सामान्य जीवन को बहाल करना, और (ii) महत्वपूर्ण सार्वजनिक और समुदाय आधारित परिवहन सुविधाओं का और क्षतिग्रस्त हुए ग्रामीण एवं नगर निगम अवसंरचना पुनर्स्थापन का और पुनर्निर्माण करना है। परियोजना में तमिलनाडु और केरल में सुनामी प्रभावित राज्यों के लिए सहायता पर ध्यान केन्द्रित करना है।	100.00 (ऋण) 100.00 (अनुदान)	11.750 (ऋण) 27.947 (अनुदान)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों की बिक्री

*2. **श्री अबु अयीश मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के शेयरों की खुले बाजार में बिक्री करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 3(2ग) में निहित उपबंध केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनी शेयरधारिता अंतरित करने की अनुमति नहीं देते। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई लि. में सरकार की शेयरधारिता के अंतरण की अनुमति है, तथापि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का कोई शेयर धारित नहीं करती है।

[हिन्दी]

बिजली की चोरी

*3. **श्री बी.के. दुम्मर** :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत क्षेत्र के विकास के रास्ते में बिजली की चोरी एक बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी बिजली कंपनियां बिजली चोरी के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान कर रही हैं और मनमाने ढंग से कार्य कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या बिजली की चोरी के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई विशेष न्यायालय गठित किए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) बिजली की चोरी एक ऐसा प्रमुख कारक है जो विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। यही कारक विद्युत आपूर्ति की खराब गुणवत्ता लगातार लोड शेडिंग और अनियमित आउटेज के लिए उत्तरदायी है। नए निवेशों की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए विद्युत यूटिलिटी की वित्तीय दशा भी एक प्रमुख मानदंड है।

वितरण में सुधार जो राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है, के लिए तकनीकी एवं वाणिज्यि हानियों में कमी एक महत्वपूर्ण घटक है। बिजली की चोरी को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में चोरी से संबंधित अपराधों और चोरी की गई बिजली के प्रभारों की वसूली के लिए तत्परता से जांच को समाविष्ट किया गया है। राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सूचना के आधार पर केंद्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के अधिनियम के जरिए चोरी से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

इस संशोधन अधिनियम के जरिए बिजली की चोरी को स्पष्ट रूप से संज्ञेय और गैर-जमानतीय अपराध घोषित किया गया है। वितरण लाइसेंसधारियों को चोरी को रोकने के लिए विद्युत की आपूर्ति को बंद करने का अधिकार प्रदान किया गया है। विशाल उपभोक्ता समूह द्वारा बिजली की बार-बार चोरी के लिए दंड को और अधिक बढ़ाया गया है।

केंद्र सरकार ने बिजली की चोरी को प्रभावी तरीके से रोकने संबंधी उपाय हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और बिजली की चोरी की सूचना देने वालों के लिए प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने की सलाह दी है। ऐसी योजना के पुरस्कार को सूचित मामलों में प्राप्त वसूली राशियों से जोड़ना चाहिए। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे विद्युत चोरी से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विशेष अदालत गठित करने में तेजी लाएं।

केंद्र सरकार ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने पर राष्ट्रीय आम सहमति तैयार की है। 28 मई, 2007 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों की प्रतिबद्धता, जहां ऊर्जा एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग के लिए आवश्यक बेसलाइन डाटा तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग शामिल हैं, ली गई। सम्मेलन में राज्यों ने अगले 5 वर्षों में कुल एटी एंड सी हानियों में सघन कमी करने तथा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) परियोजना क्षेत्रों में हानि के स्तर को कम से कम 15% तक के स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एपीडीआरपी वर्ष 2002-03 में शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत राज्यों को हानि में कमी करने के लिए तकनीकी, वाणिज्यिक एवं प्रबंधन उपाय शुरू करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी गई। तकनीकी उपायों में वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली अपनाना, सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग आदि शामिल थे। वाणिज्यिक उपायों में मीटरिंग एवं बिलिंग तथा बेहतर राजस्व संग्रहण, प्रबंधन उपायों में भावी विस्तार के लिए ऊर्जा एकाउंटिंग एवं उचित प्रणाली आयोजना, वितरण प्रणाली की मॉनीटरिंग शामिल थे।

(घ) और (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 में उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के प्रावधान के साथ-साथ बिजली की चोरी को रोकने के लिए भी प्रभावी नियंत्रण का प्रावधान है। बिजली की चोरी पकड़े जाने के बाद बिजली कनेक्शन केवल विनियामक आयोग द्वारा प्राधिकृत लाइसेंसधारक के किसी अधिकारी द्वारा काटा जाएगा। बिजली की चोरी का पता लगाने के 24 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाना भी अनिवार्य है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान वितरण लाइसेंसधारक द्वारा करने के लिए फोरम गठित करने और फोरम में अनसुलझी शिकायतों के समाधान हेतु विनियामक आयोग द्वारा एक लोकपाल नियुक्त करने का भी प्रावधान है।

(च) और (छ) अधिनियम के अनुच्छेद 153 में राज्य सरकारों को बिजली की चोरी से जुड़े अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालते गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बिजली की चोरी संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए आंध्र प्रदेश, असम,

छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य पहले ही विशेष अदालतें गठित कर चुके हैं।

[अनुवाद]

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

***4. डा. अरुण कुमार शर्मा :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परिसीमन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) जम्मू और कश्मीर में परिसीमन में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आगामी लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव परिसीमन के पश्चात् नए निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किए जाएंगे;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों को हितों की रक्षा करने का है जहां जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सख्ती से लागू किए जाने के परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर कम रही;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मानदण्डों में छूट देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) परिसीमन आयोग ने अभी तक 22 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, अर्थात्, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, पांडिचेरी, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, सिक्किम, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध प्रदेश, कर्नाटक और मेघालय के संबंध में आदेश जारी किए हैं। परिसीमन आयोग के कार्यकाल को, उसका कार्य पूरा किए जाने के लिए, 31 जुलाई, 2008 तक विस्तारित किया गया है।

(ग) परिसीमन अधिनियम, 2002 जम्मू-कश्मीर राज्य को, उसके परिधि क्षेत्र से अपवर्जित करता है।

(घ) परिसीमन आयोग ने अभी तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अपना कार्य पूरा नही किया है। अतः, सरकार के लिए इस संबंध में इस प्रक्रम पर कोई प्रतिबद्धता करना सम्भव नहीं है।

(ङ) और (च) संविधान के अनुच्छेद 81(2) (क) के अनुसार प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अन्य शब्दों में, राज्यों को लोक सभा में स्थानों का आबंटन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि स्थानों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य समान हो। यह सिद्धांत इस परंतुक के अधीन है कि साम्यता का यह सिद्धांत ऐसे किसी राज्य को लागू नहीं हो सकेगा जहां जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं है। विभिन्न राजनीतिक नेताओं और अन्य संबद्ध व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, सरकार इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। वर्तमान में ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(छ) और (ज) स्वयं संसद् ने परिसीमन आरंभ करने के लिए संनियम अधिकथित किए हैं। तथापि, सरकार को विभिन्न आधारों पर, जिनके अंतर्गत यह आधार भी है कि यह उत्तर-पूर्व राज्यों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मानवजातीय संरचमा के लिए खतरा होंगे, परिसीमन कार्य को चुनौती देने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

एपीडीआरपी

***5. श्री रघुनाथ झा :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) में फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) और उपभोक्ता कनेक्शनों के शत-प्रतिशत मीटर पठन की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी चालू तथा पूर्ण एपीडीआरपी परियोजनाओं में शत-प्रतिशत फीडर, डीटी और उपभोक्ता मीटर पठन को पूरा करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) शत प्रतिशत मीटर पठन की पुष्टि होने के पश्चात् ही एपीडीआरपी परियोजनाओं हेतु धनराशि जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत 100% फीडर व उपभोक्ता मीटरिंग की परिकल्पना की गई है लेकिन वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) जैसा कि राज्यों द्वारा सूचना प्रदान की गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर 98% फीडर मीटरिंग की गई है। आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 100% फीडर मीटरिंग की सूचना प्रदान की है। देश में समग्र रूप से 89% उपभोक्ताओं की मीटरिंग की गई है।

(ग) मीटरिंग परियोजनाओं समेत सभी एपीडीआरपी परियोजनाओं को परियोजना की स्वीकृति तिथि से 18 से 36 माह के भीतर पूरा किया जाना है।

(घ) एपीडीआरपी के अंतर्गत निधियां मुहैया कराने के लिए 100% मीटरिंग एक पूर्व शर्त है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

*6. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 2007 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में "बिजली के लक्ष्य हासिल नहीं, जिम्मा कौन ले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) 10वीं योजना के लिए 41110 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। जबकि मात्र 21180 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

संदर्भाधीन समाचार में महत्वपूर्ण आपूर्तियों में विलंब को ही क्षमता में कमी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना गया है।

10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं-

(i) योजना में मूल रूप से क्षेत्र में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाएं आरंभ करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान में विलंब के कारण इन परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका।

(ii) कई जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृतियों, निवेश निर्णय, अनुबंध करने में विलंब, भूगर्भीय घटनाओं आदि के कारण पिछड़ गईं।

(iii) कुछ परियोजनाओं के मामले में वित्तीय समापन प्राप्त करने में देरी।

(iv) पर्याप्त गैस की अनुपलब्धता के कारण परियोजना चालू करने में विलंब।

(ग) और (घ) 11वीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से उत्पादन कर रही सरकारी क्षेत्र यूनिटों की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा की जा रही है। 11वीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए परिकल्पित कुल 39865 मे.वा. क्षमता में से कुल 785 मे.वा. की परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं और 27300 मे.वा. की परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (भेल) संयंत्रों एवं उपकरणों का प्रमुख विनिर्माता है। भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय भेल की

कार्यप्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भेल अपनी क्षमता को बढ़ाकर दिसम्बर 2007 तक 10,000 मे.वा. और दिसम्बर 2009 तक 15,000 मे.वा. तक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

आवास ऋण पर ब्याज

*7. श्री महेश कनोडीया :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास ऋण पर बढ़ती ब्याज दर के कारण आवास ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवास ऋण पर ब्याज दर को कम करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा ब्याज दर में कितनी कमी की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान आवास ऋणों की संख्या तथा संवितरित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की वर्ष 2006-07 के लिए तुलनात्मक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल आवास ऋण			
	संस्वीकृत		संवितरण	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
2004-05	774003	30414.24	853677	29231.85
2005-06	839255	34949.40	898064	31554.93

वर्षानुवर्ष तुलना से देखा जा सकता है कि खातों की संख्या में 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान वृद्धि हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बकाया आवास ऋण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007
134270	179053	224469

यह देखा जा सकता है कि मार्च 2005 और मार्च 2007 के दौरान आवास हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया ऋण में वृद्धि की प्रवृति रही है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर, 1994 से 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरें अविनियमित की है ओर ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दरों का निर्धारण बैंकों द्वारा अपने बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं किया जाता है। बैंकों को अपनी बैंचमार्क मूल उधार दरें (बीपीएलआर) निधियों की लागत, लेन-देन लागत, जोखिम कारक, मार्जिन एवं अन्य उपरि व्ययों को ध्यान में रखने के पश्चात ही निर्धारित करने की सलाह दी गई है।

मुद्रास्फीति की दर

*8. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी महीने-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अप्रैल, 2007 से वृद्धि दर के रुझान को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति का ग्राफ नीचे आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुद्रास्फीति की दर को कम करने तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) जी नहीं। आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर हाल के छह महीनों के दौरान कम हुई है।

जनवरी, 2007 से जून 2007 की अवधि में 30 आवश्यक वस्तुओं (संयुक्त) के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति का रुझान निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी: 30 आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मासिक मुद्रास्फीति की दर (%)

माह	मुद्रास्फीति (%)
जनवरी, 2007	5.14
फरवरी, 2007	4.24
मार्च, 2007	3.38
अप्रैल, 2007	3.19
मई, 2007	1.67
जून, 2007*	0.12

*अनन्तिम

सरकार मुद्रास्फीति को काबू में रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार की मुद्रास्फीति-रोधी नीतियों में कठोर राजकोषीय तथा मौद्रिक अनुशासन, आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद तथा आयात शुल्कों को तर्कसंगत बनाना ताकि गरीबों पर अनावश्यक बोझ न पड़े, उदार टैरिफ और व्यापार नीतियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी आपूर्ति-मांग प्रबंधन, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि

*9. **श्री गुरुदास दासगुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वष 2006-07 के दौरान रुपये के मूल्य में 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है जिससे निर्यात तथा अर्थव्यवस्था के विकास पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था पर भारतीय रुपये के मूल्य में हुई वृद्धि के प्रभाव पर चर्चा करने तथा इस समस्या से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक पैनल बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य से सितम्बर, 2006 से मासिक आधार पर वृद्धि हो रही है। सम्पूर्ण वर्ष 2006-07 में, अमरीकी डालर के मुकाबले, रुपये में 2.2 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ जबकि अमरीकी डालर मूल्य के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद में 9.4 प्रतिशत और निर्यातों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) मौजूदा वित्त वर्ष में रुपये के मूल्य में मार्च, 2007 के मुकाबले जुलाई, 2007 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निर्यातों में अमरीकी डालर मूल्य के हिसाब से अप्रैल-जून 2007 में 18.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। तथापि, रुपये की मूल्य वृद्धि का निर्यातों पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने और भारत के निर्यातों की स्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए उपाय सुझाने हेतु, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक समिति गठित की है।

(घ) इस समिति के निष्कर्षों के अनुसार, हालांकि विदेशी मुद्रा में आयात करने वाले और उधारकर्ता अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में हुई वृद्धि से पूरी तरह अप्रसन्न नहीं हैं, फिर भी आमतौर पर रुपये के मूल्य में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यातकों ने अपने लाभ के अंतर को कम होते देखा है। समिति ने निर्यातकों को तत्काल राहत देने के लिए अनेक अनुशंसाएं की हैं।

सरकार ने निर्यातकों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें शुल्क हकदारी पासबुक दर बढ़ाना, निर्यात ऋण गारंटी निगम के प्रीमियम में कटौती, सीमा उत्पाद शुल्क के सभी बकायों के समाशोधन और केंद्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए 600 करोड़ रुपए जारी करना, शुल्क आहरण दरों में वृद्धि करना और लदान पूर्व व बाद की ऋण की ब्याज दरों में कमी करना शामिल हैं।

प्राइवेट डेवलपरों के क्रियाकलापों का विनियमन

*10. **श्री के.सी. पल्लानी शामी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन प्राइवेट डेवलपरों एवं बिल्डरों के कार्यकलापों का विनियमन करने का है जो कृषि भूमि को कालोनियों में बदल रहे है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार "स्थानीय शासन" राज्यों का विषय है। प्राइवेट डेवलपरों और बिल्डरों का विनियमन राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आता है जो राज्य के नगर और ग्राम नियोजन/नगर विकास प्राधिकरण अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके कार्यकलापों को नियंत्रित करते हैं। तथापि, सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थावर संपदा प्रबंधन (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही है जो अभी प्रारुप स्तर पर है।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा विदेशों से धनराशि जुटाना

*11. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनियों द्वारा विदेशों से धनराशि जुटाने के संबंध में विधिक उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ भारतीय कंपनियों ने विदशों से धनराशि जुटाई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कंपनियों द्वारा इस संबंध में वैधानिक उपबंधों का सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) कंपनियों द्वारा विदेशों से धनराशियां जुटाए जाने के बारे में विद्यमान कानूनी प्रावधान, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उनके अधीन जारी किए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। ये हैं :

(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी और एफईएमए के अंतर्गत अधिसूचित दिशा-निर्देशों/नीतियों के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से इक्विटी।

(ii) वैश्विक निक्षेपगारी प्राप्तियां (जीडीआर) और अमरीकी निक्षेपगारी प्राप्तियां (एडीआर) : यह "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और साधारण शेयर (निक्षेपगारी प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 के निर्गम" के अंतर्गत आती हैं।

(iii) विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) के माध्यम से ऋण : यह भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं. 02/2007-08 दि. 2 जुलाई, 2007 के अंतर्गत आता है, उपर्युक्त के अतिरिक्त, एफसीसीबी को एडीआर/जीडीआर स्कीम का अनुसरण करना भी अपेक्षित होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्रोतों के माध्यम से विदेशों से भारतीय कंपनियों द्वारा जुटायी गयी धनराशियां नीचे दी गयी है:-

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	ईसीबी/एफसीसीबी	एडीआर/जीडीआर	एफडीआई
2004-05	9084	613	6051
2005-06	14547	2552	7722
2006-07	20639	3776	19531

प्रत्येक कंपनी द्वारा जुटायी गयी धनराशियों से संबंधित सूचना लम्बी-चौड़ी है। तथापि, ईसीबी/एफसीसीबी के कंपनी-वार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर दिए गए हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन/अन्तर्प्रवाह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के मासिक समाचार पत्र एसआईएज में प्रकाशित किए जाते हैं जो उनकी वेबसाइट www.dipp.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। संबंधित वित्तीय वर्षों में कंपनी-वार जुटाए गए एडीआर/जीडीआर के संबंध

में आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं और शीघ्र ही माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(घ) से (च) यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व संबंधित कंपनी का है, कि ईसीबी/एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर और एफडीआई के माध्यम से जुटाई गयी धनराशियां, नीति और दिशानिर्देशों तथा इन पर रिजर्व बैंक के विनियमों/निर्देशनों/परिपत्रों के अनुरूप हैं। प्राधिकारियों की जानकारी में आए उल्लंघनों के मामलों पर फेमा के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता

*12. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2004 और सितम्बर, 2006 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए किए गए यादृच्छिक निरीक्षण ये यह पता चला है कि इस योजना के अंतर्गत कई राज्यों में काफी संख्या में निर्माण कार्य ''असंतोषजनक गुणवत्ता'' के थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जुलाई, 2004 से सितम्बर, 2006 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के तीसरे स्तर के अंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं ने कुल 17718 निरीक्षण किए थे। पूरे हो चुके कुल 7449 कार्यों के निरीक्षण में से 1547 कार्यों (21%) को ''असंतोषजनक'' की श्रेणी में रखा गया था, जबकि चल रह 10269 कार्यों के निरीक्षणों में से 4309 कार्यों (42%) को ''असंतोषजनक'' की श्रेणी में रखा गया था। श्रेणीकरण के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कार्यों में उच्चस्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की व्यवस्था है। गुणवत्ता नियंत्रण के पहले दो स्तरों की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य गुणवत्ता समन्वयकों द्वारा की जाती है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का पहला स्तर कार्यान्वियन एजेंसी के स्तर पर अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं ठेकेदारों द्वारा स्थापित की जाती हैं तथा सामग्री और कार्य कौशल की गुणवत्ता संबंधी अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वियन एककों के पर्यवेक्षण में कराए जाते हैं। दूसरे स्तर में स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्ता की निगरानी करने की व्यवस्था है। राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्त्ता यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि पहले स्तर पर ही गुणवत्ता मुद्दों पर उचित ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तीसरे स्तर में स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा यादृच्छिक निरीक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानक बोली दस्तावेज, आनलाइन निगरानी, जन सूचना बोर्डों इत्यादि को लगाना जैसे उपाय किए गए हैं। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे तथा पूरे हो चुके कार्यों का संयुक्त निरीक्षण माननीय संसद सदस्यों, माननीय विधायकों तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिकों से कराएं।

विवरण

श्रेणीकरण का सारांश (जुलाई, 2004 से सितम्बर, 2006 तक)

क्र.सं.	राज्य	कुल निरीक्षण	श्रेणीकरण					
			पूरे हो चुके कार्य			चल रहे कार्य		
			कुल	एस	यू	कुल	एस	यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1090	593	530	63	497	405	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	78	62	17	45	16	11	5
3.	असम	612	119	97	22	493	319	174
4.	बिहार	614	185	53	132	429	174	255
5.	छत्तीसगढ़	839	368	292	76	471	254	217
6.	गुजरात	579	304	203	101	275	153	122
7.	हरियाणा	57	21	18	3	36	31	5
8.	हिमाचल प्रदेश	496	122	100	22	374	168	206
9.	जम्मू एवं कश्मीर	137	9	2	7	128	47	81
10.	झारखंड	532	185	89	96	347	104	243
11.	कर्नाटक	813	359	301	58	454	215	239
12.	केरल	195	69	55	14	126	86	40
13.	मध्य प्रदेश	1852	648	581	67	1204	914	290
14.	महाराष्ट्र	747	340	275	65	407	217	190
15.	मणिपुर	74	32	20	12	42	18	24
16.	मेघालय	137	31	19	12	106	26	80
17.	मिजोरम	123	45	19	26	78	38	40
18.	नागालैंड	59	25	3	22	34	4	30
19.	उड़ीसा	1332	491	406	85	841	384	457
20.	पंजाब	186	69	51	18	117	47	70
21.	राजस्थान	2129	1217	1160	57	912	818	94
22.	सिक्किम	98	22	11	11	76	23	53
23.	तमिलनाडु	988	350	212	138	638	297	341
24.	त्रिपुरा	120	41	28	13	79	36	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	उत्तर प्रदेश	2607	1324	1047	277	1283	735	548
26.	उत्तरांचल	310	49	30	19	261	104	157
27.	पश्चिम बंगाल	914	369	283	86	545	332	213
	कुल योग	17718	7449	5902	1547	10269	5960	4309

एस - संतोषजनक, यू - असंतोषजनक

न्यायाधीशों की नियुक्ति

*13. श्री एम. राजामोहन रेड्डी :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान बैकलाग को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (घ) देश में तारीख 06.08.2007 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्त पदों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

2 उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या का पुनर्विलोकन प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाता है। ऐसा अंतिम पुनर्विलोकन वर्ष 2006 में किया गया था, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के अधीन रहते हुए 8 उच्च न्यायालयों की पदसंख्या में 106 न्यायाधीशों की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है।

2.1 उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय और उन की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के अनुसरण में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ की जाती है। तथापि, सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्तमान रिक्तियों और आगामी छह मास के दौरान होने वाली अनुमानित रिक्तियों को भरे जाने के लिए प्रस्ताव चलाने का अनुरोध करती रही है।

3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में निहित होता है। इस प्रकार, जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि करने का संबंध है, आवश्यक कार्रवाई करने का प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों में निहित होता है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों/मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदो को भरे जाने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों का है।

3.1 केंद्रीय सरकार आवधिक रूप से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों को भरे जाने को अत्यधिक पूर्विकता दिए जाने का अनुरोध करती रही है।

विवरण

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

तारीख 06.08.2007 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	आसीन न्यायाधीशों की संख्या	रिक्तियां
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	95	76	19

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	39	31	08
3.	बम्बई	61	53	08
4.	कलकत्ता	50	42	08
5.	छत्तीसगढ़	08	06	02
6.	दिल्ली	36	32	04
7.	गुवाहाटी	23	23	00
8.	गुजरात	42	30	12
9.	हिमाचल प्रदेश	09	09	00
10.	जम्मू-कश्मीर	14	09	05
11.	झारखंड	12	09	03
12.	कर्नाटक	40	36	04
13.	केरल	29	27	02
14.	मध्य प्रदेश	42	41	01
15.	मद्रास	46	44	02
16.	उड़ीसा	20	14	06
17.	पटना	31	31	00
18.	पंजाब और हरियाणा	40	35	05
19.	राजस्थान	40	37	03
20.	सिक्किम	03	01	02
21.	उत्तरांचल	09	09	00
	योग	689	595	94

[हिन्दी]

इंटरनेट के माध्यम से निकाला गया धन

*14. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट के माध्यम से बैंकों से धन निकालने से संबंधित धोखाधड़ी के मामले पता चले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दर्ज की गई ऐसी घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दोषियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इंटरनेट के माध्यम से कपटपूर्ण तरीके से धन निकालने के कुछ मामलों की सूचना सरकारी क्षेत्र के बैंकों से मिली है। एक लाख रुपए से अधिक की धनराशि वाली ऐसी घटनाओं के राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक		अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2	4.32	5	11.50
दिल्ली	1	1.00	6	10.72
गुजरात	0	0	1	1.00
हरियाणा	1	30.87	1	1.00
झारखंड	0	0	1	1.50
कर्नाटक	1	2.40	5	12.76
केरल	0	0	1	1.06
मध्य प्रदेश	2	4.33	3	3.31
महाराष्ट्र	4	6.03	18	30.04
उड़ीसा	1	5.55	0	0

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	2	3.79	2	3.00
पश्चिम बंगाल	1	2.98	2	3.56
कुल	15	61.27	45	79.45

(ग) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार पुलिस/सीबीआई को इस मामले की सूचना दें। चूक करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया भी है और बैंक इस प्रक्रिया अनुसार उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंकों को आम धोखाधड़ीग्रस्त क्षेत्रों, धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली तथा बैंकों में धोखाधड़ी की घटना रोकने/कम करने के संबंध में समय-समय पर बताता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा मानदण्डों, कानूनी मुद्दों तथा विनियामक एवं पर्यवेक्षण संबंधी मुद्दों सहित इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में सभी वाणिज्य बैंकों को व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिशिंग एटैक के संबंध में सभी वाणिज्य बैंकों को चेतावनी देते हुए 16 फरवरी, 2006 को परिपत्र भी जारी किया था, जिसमें ऐसे एटैक की कार्यप्रणाली के ब्यौरे तथा उनके समाधान हेतु रोकथाम/पता लगाने संबंधी न्यूनतम उपायों का ब्यौरा दिया गया है।

[अनुवाद]

जल विद्युत उत्पादन

*15. श्री बसुदेव आचार्य : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक स्थापित लगभग सभी जल विद्युत परियोजनाओं के समय एवं लागत बढ़ने तथा ऐसी परियोजनाओं के विलंब से पूरा किए जाने के मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की हानियों से बचने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के कारण अभी तक प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दे की भी जांच की है: और

(घ) यदि हां, तो भविष्य की परियोजनाओं के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना पैकेजों के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी हां। अपर सचिव/संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में एक स्थायी समिति, जिसमें योजना आयोग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा क्रियान्वित की जा रही उन सभी जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में समय एवं लागत आधिक्य के कारणों की जांच करती है, जिनके मामले में निर्धारित समय से 10% अधिक समय/20% अधिक लागत आई हो ताकि इनके कारणों का पता लगाया जा सके और इसके लिए जिम्मेवारी तय की जा सके।

(ख) निर्माणाधीन/प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं में समय एवं लागत आधिक्य को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

- अनेक मामलों में जल विद्युत परियोजनाओं के समय एवं लागत आधिक्य पर स्थाई समिति ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के चरण में किया गया अन्वेषण गहन नहीं था। कुछ मामलों में अन्वेषक ड्रिफ्ट तथा ड्रिल होल सुरंग तक नहीं पहुंच सका और जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआई) द्वारा अपनी भू-तकनीकी रिपोर्ट में अपनाए गए रॉक मॉस एवं रॉक मॉस वर्गीकरण का मूल्यांकन केवल अनंतिम था। अब परियोजना कार्यान्वयन शुरू करने से पहले निवेश निर्णय तथा विस्तृत जांच से पूर्व और अधिक गहन भू-तकनीकी जांच करने का निर्णय लिया गया है ताकि वास्तविक क्रियान्वयन के समय भू-वैज्ञानिक जोखिमों को कम किया जा सके।

- परियोजना क्रियान्वयन शुरू करने से पूर्व सीपीएसयू परियोजनाओं में आवश्यक निधि जुटाने हेतु कदम उठाए गए हैं ताकि निधियों के अभाव में निर्माण के दौरान परियोजना क्रियान्वयन में विलंब नहीं हो।

- प्रत्येक परियोजना के लिए लक्ष्य हासिल करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर मानीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। नोडल अधिकारी परियोजना के निर्माण की जानकारी रखता है तथा उन समस्याओं की तत्काल पहचान के लिए इन्हें उचित स्तर पर ले जाकर समाधान में मदद करता है।

- सीईए के अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाता है और परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श के विभिन्न बाधाओं की पहचान कर उनका समधान खोजा जाता है। उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं एवं डैम के बड़े कार्यों, हेड रेस टनल, पावर हाऊस आदि का काम करने वाले अन्य ठेकेदारों के साथ परियोजना स्थलों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन को विलंबित करने वाले अड़चनों को दूर किया जा सके।

- परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले संगठन के परियोजना एवं कारपोरेट कार्यालय - दोनों स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाती है (स्थल पर साप्ताहिक तथा कारपोरेट स्तर पर मासिक रूप से)।

- भूमि अधिग्रहण तथा पुन:स्थापना एवं पुनर्वास में विलंब को दूर करने के लिए परियोजना प्राधिकारी राज्य सरकारों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

- विद्युत मंत्रालय में नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं (परियोजना प्राधिकारियों/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मामलों पर गहन तिमाही समीक्षा बैठक तथा विशिष्ट बैठकें आयोजित की जा रही हैं।)

- परियोजना की निरंतर एवं गहन मानीटरिंग के लिए कारपोरेट आफिस तथा विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं में कंप्यूटरीकृत परियोजना नियोजन एवं मानीटरिंग साफ्टवेयर की संस्थापना।

(ग) और (घ) जी हां। परियोजना प्रभावित लोगों का पुन:स्थापन एवं पुनर्वास परियोजना क्रियान्वयन करने वाले एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के जरिए किया जाता है। केन्द्र सरकार ने 17 फरवरी 2004 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए "परियोजना प्रभावित परिवारों के पुन:स्थापन एवं पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति" अधिसूचित कर दी है। नीति में मुख्यत: भूमिहीन ग्रामीण परिवार को आर्थिक सहायता, संसाधन रहित निर्धन वर्ग, अर्थात् छोटे एवं सीमांत किसानों, एससी/एसटी एवं महिलाएं, जो विस्थापित हो गए हैं, के लिए पुनर्वास प्रयास हेतु सहायता देने पर ध्यान दिया गया है।

एनपीआरआर-2003 के प्रावधान न्यूनतम हैं और सभी परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए अपनाए जाने हैं और सभी पर लागू हैं, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या इससे ऊपर। अनेक राज्यों ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एनपीआरआर, 2003 के न्यूनतम मूल प्रावधानों के अलावा अपनी उदार पुन:स्थापन एवं पुनर्वास नीति बनाई है। परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी ऐसे आर.एंड.आर. योजना को अपनाते हैं, जो एनपीआरआर-2003 के प्रावधानों से बाहर हों और इस आर एंड आर योजना पर स्टेकहोल्डरों के साथ समुचित परामर्श के पश्चात् संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहमति की जाति है।

पूर्वोत्तर राज्यों में स्व-सहायता समूह और लघु (माइक्रो) वित्तपोषण

*16. **श्री अनवर हुसैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और लघु (माइक्रो) वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई, यूबीआई, यूको बैंक जैसे प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पूर्वोत्तर राज्यों में व्यष्टि वित्त को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :-

- व्यष्टि वित्त के लिए, विशेषकर स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन और सहलग्नता के लिए, शाखा प्रबंधकों के लिए संवेदिता कार्यक्रम।

- ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा प्रबंधकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- स्व-सहायता समूहों के लिए क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

जहां तक स्व-सहायता समूह-बैंक सहलग्नता कार्यक्रम का संबंध है, बैंकों द्वारा निम्नलिखित तीन माडल अपनाए गए हैं :-

1. माडल-I : बैंकों द्वारा एसएचजी को सीधे उधार, किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के हस्तक्षेप/सहायता के बिना।

2. माडल-II: एसएचजी औपचारिक अभिकरणों और एनजीओ द्वारा गठित परन्तु बैंकों से सीधे वित्तपोषित।

3. माडल-III: एसएचजी, एनजीओ के जरिए, बैंकों द्वारा वित्तपोषित।

(ख) एसएचजी-बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में एसएचजी की संख्या और उन्हें संवितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रुपए लाख में)

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
	एसएचजी की संख्या	बैंक ऋण	एसएचजी की संख्या	बैंक ऋण	एसएचजी की संख्या	बैंक ऋण
असम	20612	7732.2	25327	4821.7	25165	7944.0
मेघालय	59	15.0	554	84.1	476	174.0
त्रिपुरा	698	138.6	559	120.5	967	184.0
सिक्किम	10	4.2	85	5.1	33	11.2
मणिपुर	571	241.7	672	417.5	1215	408.0
अरुणाचल प्रदेश	55	21.4	66	15.2	101	57.2
नागालैंड	70	18.1	337	296.9	586	335.0
मिजोरम	6	3.5	946	613.0	921	705.6
कुल	22081	8174.7	28546	6374.0	29464	9819.0

[हिन्दी]

बैंकों की ऋण मंजूरी और वसूली करने संबंधी नीति की समीक्षा

*17. **श्री रामदास आठवले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबों, वंचित वर्गों, बेरोजगार युवाओं, श्रमिकों और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की मंजूरी तथा वसूली करने के लिए अपनाई जा रही नीति की खामियों की समीक्षा करने के लिए कोई कदम उठाया है अथवा उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्राथमिक क्षेत्र ऋण के बारे में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और दिनांक 30.4.2007 को प्राथमिक क्षेत्र ऋण पर एक संशोधित मास्टर परिपत्र जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस मास्टर परिपत्र में प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें गरीब अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों, बेरोजगार युवाओं, श्रमिकों और किसानों के आर्थिक कल्याण के उपाय शामिल हैं, के लिए घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है। प्राथमिक क्षेत्र के 40 प्रतिशत लक्ष्य में से 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र और 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार और बंटाईदार, पीड़ित गरीब जिनके ऋण की अनौपचारिक क्षेत्र को चुकौती करनी है तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, स्व-सहायता समूह, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अल्पसंख्यक के विभिन्न लाभार्थी शामिल हैं। वित्तीय समावेश पर डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय रूप से बाहर रहने वालों को संगठित वित्तीय प्रणाली से जोड़ने के लिए, सरकार ने नीचे दिए गए दो कोश, प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपए, स्थापित करने का निर्णय लिया है :-

- विकासात्मक और उन्नयन संबंधी कार्यों की लागत पूरी करने के लिए नाबार्ड के साथ एक वित्तीय समावेशन कोष।

- प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित लागत पूरी करने के लिए एक वित्तीय समावेशन-प्रौद्योगिकी कोष।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत परियोजना प्रबंधन बोर्ड

***18. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक राष्ट्रीय विद्युत परियोजना प्रबंधन बोर्ड/कृतिक बल की स्थापना करके विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का है जैसा कि 6 जुलाई, 2007 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बोर्ड के गठन के पश्चात् विद्युत उत्पादन उपकरणों की कमी के मुद्दे का समाधान किस प्रकार किया जाएगा; और

(घ) उक्त बोर्ड कब तक कार्य करना शुरू करेगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। क्षमता अभिवृद्धि की प्रगति तथा संबद्ध पारेषण परियोजनाओं को समय पर चालू करने की निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत परियोजना प्रबंधन बोर्ड (एनपीपीएमबी) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय विद्युत परियोजना प्रबंधन बोर्ड (एनपीपीएमबी) को स्थापित करने संबंधी रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि बोर्ड को यथाशीघ्र कार्यशील बनाया जा सके।

विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम हेतु मानदंड

***19. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता कार्यक्रमों को वित्तीय सुधारों के कतिपय मानदंडों से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सुधारों की रूपरेखा तैयार की है ताकि राज्य सरकारें विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से धनराशि प्राप्त कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकारें अपने-अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियमों, यदि कोई होते हैं, के अनुरूप अपने राजकोषीय सुधार मार्ग तैयार करती हैं और ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के अधीन ऋण अधित्याग का प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शेयर बाजार में सौदेबाजी के माध्यम से धोखाधड़ी

***20. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कई कंपनियों के बारे में कोई सूचना मिली है जिन्होंने वर्ष 2001 से शेयर बाजार में सौदेबाजी के माध्यम से आम आदमी से धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों से लोगों की बकाया धनराशि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ऐसा कोई आंकड़ाधार नहीं रखती है। जब कभी भी ऐसी घटना की सूचना मिलती है कंपनी कार्य मंत्रालय और सेबी कंपनी अधिनियम और प्रतिभूति कानूनों के तहत समुचित कार्रवाई करते हैं। तथापि, यह प्रश्न संभवत: उन कंपनियों के संदर्भ में पूछा गया है जिन्होंने आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से जनता से निधियां जुटाई हैं और बाद में वे, अन्य बातों के अलावा, दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी पंजीयक और स्टाक एक्सचेंजों की सूचीयन/फाइलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहीं और स्टाक एक्सचेंज द्वारा निरीक्षण किए जाने के समय वे अपने पंजीकृत कार्यालय पते पर नहीं पायी गई। समन्वयन और निगरानी समिति, जो सेबी और कंपनी कार्य मंत्रालय का संयुक्त प्रक्रम है, द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण के अनुसार इन कंपनियों को "विलुप्त कंपनियां" कहा जाता है। इन कंपनियों का चरणबद्ध तरीके से पता लगाया जा रहा है। अभी तक उन कंपनियों का पता लगाया जा चुका है जिन्होंने वर्ष 2001 तक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की है। आज की तिथि के अनुसार 122 कंपनियों का "विलुप्त कंपनियों" के रूप में पता लगाया गया है।

(ग) सेबी ने 100 विलुप्त कंपनियों और 378 निदेशकों/प्रवर्तकों के विरूद्ध आदेश जारी किए हैं जिनमें उन्हें पूंजी बाजार क्रियाकलापों के साथ किसी प्रकार का संबंध रखने और पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबद्ध किया गया है। कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा विलुप्त कंपनियों के संबंध में की गई कार्रवाईयों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) विवरणिका में गलत कथन करने/कपटपूर्ण तरीके से व्यक्तियों को धन निवेश करने के लिए उकसाने/पेशकश दस्तावेजों में गलत विवरण दिए जाने आदि के लिए 109 विलुप्त कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 और 628 के तहत अभियोजन दर्ज किए गए हैं।

(ii) सांवाधिक विवरणिकाएं दायर न करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन दायर किए गए हैं।

(iii) 101/95 विलुप्त कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज/पंजीकृत की गई है।

(iv) दो विलुप्त कंपनियों के संबंध में इन कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों से सम्पत्तियां/धनराशियां वापस लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 406 के साथ पठित धारा 397/398/402/408 के तहत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं भी दायर की गई हैं। कंपनी विधि बोर्ड ने एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसके विरूद्ध मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की है। दूसरा मामला कंपनी विधि बोर्ड द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

केन्द्रीय करों में महाराष्ट्र का हिस्सा

1. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय करों और अनुदानों के संवितरण के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या बारहवें वित्त आयोग कि सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय करों और अनुदानों में महाराष्ट्र का हिस्सा घटाया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र को दिए गए केन्द्रीय करों और अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र से अधिक केन्द्रीय करों के संग्रहण के बावजूद राज्य को कम हिस्सा प्रदान करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) केन्द्रीय करों एवं प्रशुल्कों तथा सहायता अनुदान में महाराष्ट्र सहित राज्यों के हिस्से के संवितरण हेतु ग्याहरवें वित्त आयोग और बारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड और सापेक्ष हिस्सा इस प्रकार था:-

क्र.सं.	मानदंड	सापेक्ष हिस्सा (प्रतिशत)	
		11वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग
1.	**केन्द्रीय करों और प्रशुलकों में हिस्सा**		
1.	जनसंख्या	10.0	25.0
2.	आय (दूरी पद्धति)	62.5	50.0
3.	क्षेत्रफल	7.5	10.0
4.	अवसंरचना-सूचकांक	7.5	0.0
5.	कर-प्रयास	5.0	7.5
6.	राजकोषीय अनुशासन	7.5	7.5
2.	**सहायता अनुदान—स्थानीय निकाय**		
1.	जनसंख्या	40.0	40.0
2.	भौगोलिक क्षेत्रफल	10.0	10.0
3.	उच्चतम प्रतिव्यक्ति आय से अंतर	20.0	20.0
4.	विकेन्द्रीयकरण सूचकांक	20.0	0.0
5.	राजस्व प्रयास	10.0	20.0
	(क) राज्यों के निजी राजस्व के संबंध में		10.0
	(ख) जी.एस.डी.पी. के संबंध में		10.0
6.	वंचन सूचकांक	0.0	10.0

(ख) और (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय करों में महाराष्ट्र का हिस्सा जो कि ग्याहरवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान 4.632 प्रतिशत था, बढ़कर बारहवें वित्त आयोग की अवधि में 4.997 प्रतिशत हो गया है तथा सहायता अनुदान 3.84 प्रतिशत से बढ़कर 3.88 प्रतिशत हो गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अंतरण

क्र. सं.	राज्य	ग्यारहवां वित्त आयोग (2000-05) (करोड़ रुपए में)				बारहवां वित्त आयोग (2005-10) (करोड़ रुपए में)				
		करों एवं प्रशुल्कों में हिस्सा	सहायता अनुदान	कुल अंतरण	प्रतिशत हिस्सा	करों एवं प्रशुल्कों में हिस्सा	सहायता अनुदान	सकल अनुदान (कालम 6+7)	प्रतिशत हिस्सा	ई.एफ.सी. की तुलना में टी.एफ.सी. में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	28980.25	2455.80	31436.05	7.14	45138.68	5214.58	50353.26	6.66	60.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	918.22	1401.55	2319.77	0.53	1767.34	1758.22	3525.56	0.47	51.98
3.	असम	12362.05	1061.66	13423.71	3.05	19850.69	4478.71	24329.40	3.22	81.24
4.	बिहार	43614.48	1698.81	45313.29	10.29	67671.04	7975.79	75646.83	10.01	66.94
5.	छत्तीसगढ़	8975.18	494.93	9470.11	2.15	16285.76	1987.94	18273.70	2.42	92.96
6.	गोवा	775.22	54.09	829.31	0.19	1589.14	135.39	1724.53	0.23	107.95
7.	गुजरात	10615.93	1645.01	12260.94	2.79	21900.47	3708.28	25608.75	3.39	108.86
8.	हरियाणा	3552.44	751.37	4303.81	0.98	6596.46	1445.98	8042.44	1.06	86.87
9.	हिमाचल प्रदेश	2570.25	4923.96	7494.21	1.70	3203.22	11247.14	14450.36	1.91	92.82
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4854.50	11618.79	16473.29	3.74	7441.71	13438.57	20880.28	2.76	26.75
11.	झारखंड	11320.42	644.55	11964.97	2.72	20624.02	3032.82	23656.84	3.13	97.72
12.	कर्नाटक	18552.48	1425.61	19978.09	4.54	27361.88	4054.40	31416.28	4.16	57.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	11504.04	1021.18	12525.22	2.85	16353.21	3254.51	19607.72	2.59	56.55
14.	मध्य प्रदेश	24283.80	1651.24	25935.04	5.89	41180.59	5141.37	46321.96	6.13	78.61
15.	महाराष्ट्र	17431.05	2448.79	19879.84	4.52	30663.19	5531.06	36194.25	4.79	82.07
16.	मणिपुर	1377.32	1849.06	3226.38	0.73	2221.44	4648.76	6870.20	0.91	112.94
17.	मेघालय	1287.01	1684.28	2971.29	0.67	2276.61	2091.16	4367.77	0.58	47.00
18.	मिजोरम	745.11	1793.42	2538.53	0.58	1466.52	3194.39	4660.91	0.62	83.61
19.	नागालैंड	827.90	3626.89	4454.79	1.01	1613.67	5839.74	7453.41	0.99	67.31
20.	उड़ीसा	19029.64	1942.17	20968.81	4.76	31669.47	5273.30	36942.77	4.89	76.18
21.	पंजाब	4316.37	1244.53	5560.90	1.26	7971.00	4913.59	12884.59	1.70	131.70
22.	राजस्थान	20595.88	3244.36	23840.24	5.42	34418.56	4643.91	39062.47	5.17	63.85
23.	सिक्किम	692.43	943.55	1635.98	0.37	1392.94	436.20	1829.14	0.24	11.81
24.	तमिलनाडु	20264.72	1739.03	22003.75	5.00	32552.74	4135.39	36688.13	4.85	66.74
25.	त्रिपुरा	1832.67	2543.53	4376.20	0.99	2626.09	5790.91	8417.00	1.11	92.34
26.	उत्तर प्रदेश	72014.16	4410.87	76425.03	17.36	118209.45	15262.00	133471.45	17.66	74.64
27.	उत्तराखंड	2847.40	459.67	2947.07	0.67	5762.22	6432.12	12194.34	1.61	313.78
28.	पश्चिम बंगाल	30540.09	5112.56	35652.65	8.10	43303.91	7573.37	50877.28	6.73	42.70
	कुल	376318.01	63891.25	440209.26	100.00	613112.02	142639.60	755751.62	100.00	71.68

सहकारी बैंकों को सहायता

2. श्रीमती करुणा शुक्ला :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों और कृषि ऋण समितियों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन संस्थाओं की स्थिति सुधारने के लिए तथा गरीब किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस), जिसमें राज्य सहकारी बैंक (एससीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) शामिल हैं, को सुदृढ़ करने के लिए 13596 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय पैकेज में से, विश्व बैंक भारत सरकार को 600 मिलियन यू.एस. डालर की सहायता देने के लिए सहमत हुआ है। विश्व बैंकद्वारा यह सहायता, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से 300 मिलियन यू.एस. डालर के ऋण और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आईडीए) से 196.8 मिलियन एसडीआर (300 मिलियन यू.एस. डालर के बराबर) के ऋण के रूप में प्रस्तावित है।

(ग) और (घ) सरकार ने एसटीसीसीएस को सुदृढ़ करने के लिए एक पुनरूज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया है। इस पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए तैयार राज्यों से, कुछ कानूनी और संस्थागत सुधार करने के लिए, केन्द्र सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।

उक्त पैकेज के तहत एसटीसीसीएस के लिए वित्तीय सहायता, 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र को सही करने के लिए और पूंजी को कानूनी एवं संस्थागत सुधारों के अध्यधीन एक विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर तक बढ़ाने के लिए उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसटीसीसीएस सुदृढ़ वित्तीय, प्रबंधकीय और शासन मानदण्डों के साथ जारी रहे, सीसीएस के संस्थागत एवं मानव संसाधनों को उन्नत करने के लिए, कंप्यूटरीकरण और समुचित आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा प्रणाली स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता दी जानी है।

[अनुवाद]

ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज

3. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और बैंककारी ओम्बड्समैन को कतिपय ऋणों और अग्रिमों पर बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज और अन्य प्रभार लिए जाने संबंधी अनगिनत शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में आरबीआई ने इस संदर्भ में ऋणों पर प्रभारित ब्याज की उचित सीमा निर्धारित करने के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देते हुए एक अधिसूचना जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग ओम्बड्समैन को ऋणों एवं अग्रिमों पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले अत्यधिक ब्याज और अन्य प्रभारों के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। संबंधित बैंकों के साथ इन शिकायतों पर विचार-विमर्श करके उनका समाधान कर दिया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मई, 2007 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा है कि ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित वस्तुपरक एवं पारदर्शी नीति बनाएं। यह कहा गया था कि बैंक-बोर्ड उपयुक्त आंतरिक नियम एवं प्रक्रियाएं निर्धारित करें, ताकि बैंकों द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों पर कार्रवाई एवं अन्य प्रभारों सहित अत्यधिक ब्याज दरें न लगाई जाएं।

[हिन्दी]

बैंक खातों से धोखाधड़ी पूर्वक धन आहरण

4. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ऐसे गिरोह की जानकारी है जो विशेष रसायन का प्रयोग कर चेक तथा डीडी पर नाम और पते बदलकर बैंक खातों से धन आहरण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा एहतियाती उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विशेष रसायनों का प्रयोग करके चेकों और मांग ड्राफ्टों में नाम एवं पते बदलकर बैंक खातों से धन निकालने वाले किसी गिरोह की उसे जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में, बैंकों को समय-समय पर धोखाधड़ी के सामान्य क्षेत्रों, धोखाधड़ियों की कार्यशैली और बैंकों में धोखाधड़ियों की घटना को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को कई बार परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें उन्हें ड्राफ्टों के समाहरण/उगाही की अंतर्ग्रस्तता वाले लेनदेनों में अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। बैंकों से धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित बैंकों को मामले की सूचना सीबीआई/पुलिस को देने, स्टाफ की जवाबदेही की जांच करने तथा चूककर्ता कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाहियां शीघ्र पूरी करने, धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि को वसूल करने के लिए उपाय करने, बीमा का दावा करने, जहां कहीं लागू हो और प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने का परामर्श देता है, ताकि धोखाधड़ियों की घटनाएं पुनः घटित न हों।

[अनुवाद]

आर.जी.जी.वी.वाई

5. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली कितनी ग्रामीण आबादी को बिजली उपलब्ध कराई गई है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्कीम के चरण-1 में 59,731 बीपीएल परिवारों को कवर करने हेतु जम्मू व कश्मीर की 3 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। 73.46 करोड़ रुपये की लागत से 62 गैर विद्युतीकृत गांवों तथा 54423 बीपीएल परिवारों को कवर करने हेतु कठुआ और उधमपुर जिलों की परियोजनाएं के लिए ठेके दे दिए गए हैं।

(ख) 11वीं योजना का लक्ष्य जम्मू व कश्मीर के सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को कवर करना है।

(ग) आरजीजीवीवाई को अप्रैल, 2005 में आरंभ किया गया था। 2006-07 के दौरान जम्मू व कश्मीर की दो परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में 19.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। आरजीजीवीवाई के दिशानिर्देशों में वास्तविक प्रगति के अनुरूप अनुवर्ती किस्तें जारी करने का प्रावधान है।

निजी बैंकों द्वारा सेवा प्रभार

6. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक निजी बैंकों द्वारा आवश्यक सेवाओं अर्थात एटीएम, नकद निकासी, चेकों का उपयोग, अपर्याप्त शेष और मासिक विवरण इत्यादि के लिए अधिक सेवा प्रभार वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंकों की ग्राहक विरोधी क्रियाकलापों की निगरानी कर रही है और चूककर्ता बैंकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के अनुकूल क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को निजी बैंकों द्वारा लगाए जा रहे, विशेषकर खाते में न्यूनतम राशि के न रखने, क्रेडिट कार्ड टेप, विलंबित प्रभार, एटीएम/डेबिट कार्ड शुल्क इत्यादि के देरी भुगतान के संबंध में लगाए जा रहे अनुचित और अपारदर्शी सेवा प्रभारों/गोपनीय प्रभारों के बारे में जनता की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए निरंतर आधार पर अनेक महत्वपूर्ण पहल और उपाय करता रहा है। सार्वजनिक सेवा संबंधित प्रक्रियाओं व निष्पादन लेखा परीक्षा समिति, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड, रिजर्व बैंक में ग्राहक सेवा के नए विभाग की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और क्रेडिट कार्ड परिचालन इत्यादि से संबंधित शिकायतों को शामिल करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से बैंकिंग लोकपाल योजना के संशोधन जैसे कार्यों के द्वारा जनसाधारण को बैंकिंग उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभार व शुल्क निर्धारित करना और अपने कार्यालयों/शाखाओं और अपनी वेबसाइट पर इन प्रभारों को प्रदर्शित और उन्हें उद्यतम करना अनिवार्य बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ङ) बैंकों ने ग्राहक सेवा सुधारने के लिए ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, 24 घंटे ग्राहक हेल्पलाइन की स्थापना, रिलेशनशिप प्रबंधकों की नियुक्ति, प्रौद्योगिकी आधारित मूल्य संवर्धित सेवाओं यथा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

कर संग्रहण में गिरावट

7. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर और नक्सलवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से संग्रहण किये जाने वाले कर में गिरावट आई है, जैसाकि दिनांक 10 जून, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान उग्रवाद से प्रभावित इन राज्यों से कितने प्रतिशत कर संग्रहण किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। कर संग्रहण में गिरावट नहीं आई है। भोपाल, गुवाहाटी और पटना क्षेत्रों में वर्ष 2006-07 में प्रत्यक्ष करों में 19.60% की वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें क्रमश: छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर और झारखंड शामिल हैं जबकि अप्रत्यक्ष करों के मामले में पूर्वोत्तर, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से 2006-07 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में 16.70% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी।

(ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 के दौरान वह निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण का क्रमश: 4% और 3.5% रहा है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों और छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों से कुल मिलाकर संग्रहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व के हिस्से का प्रतिशत वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 के दौरान कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण का क्रमश 8.2% और 9.0% था।

आंध्र प्रदेश में कापार्ट के अंतर्गत परियोजनाएं

8. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए वर्ष-वार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट द्वारा आंध्र प्रदेश में शुरू की गई परियोजनाओं में से 40 प्रतिशत परियोजनाओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को धीमी गति से पूरा करने के क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए कपार्ट द्वारा अनुमोदित वर्ष-वार परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
1.	2002-2003	112
2.	2003-2004	103
3.	2004-2005	91
4.	2005-2006	80
5.	2006-2007	47
	कुल	433

(ख) जी, हां।

(ग) कपार्ट सामान्यत: 2 से 3 वर्ष के लिए परियोजनाओं को अनुमोदित करता है। तथापि, धनराशि की वास्तविक रिलीज से पहले, स्वैच्छिक संगठन को कपार्ट सहायता से संबंधित निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करना होता है। स्वैच्छिक संगठन को परियोजना की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाली अर्द्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है। प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर, दूसरी और बाद की किस्तों की रिलीज के पहले, संस्थागत मॉनीटरों द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। कई बार, अन्य काम की व्यस्तता के कारण संस्थागत मॉनीटर निर्धारित अवधि के भीतर मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं अत: परियोजना के निष्पादन में विलंब हो जाता है। उपरि उल्लिखित कारकों का अनुपालन न होने से कभी-कभी परियोजना के निष्पादन में विलंब हो जाता है।

(घ) और (ङ) परियोजना को पूरा करने में यदि विलंब होता है तो परियोजना लागत में होने वाली वृद्धि को संबंधित स्वैच्छिक संगठन द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करना होगा। तथापि, इससे परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन परियोजनाओं के लाभों की प्राप्ति में विलम्ब हो जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी वित्तीय संस्थान

9. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री सूरज सिंह :

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में तेजी से निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विदेशी वित्तीय संस्थानों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) शेयर बाजार में निवेश की गई कुल धनराशि की तुलना में विदेशी पूंजी कितनी प्रतिशत है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विदेशी निवेशकों को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की श्रेणी में पंजीकृत करता है। विदेशी वित्तीय संस्था के नाम से ऐसी कोई श्रेणी नहीं है। सेबी से उपलब्ध सूचना के अनुसार, सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 685 से बढ़कर 31 मार्च, 2007 को 997 हो गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवल निवेश नीचे सारणी में दिया गया है:

वर्ष	इक्विटी में निवेश (करोड़ रुपए)	ऋण में निवल निवेश (करोड़ रुपए)
2004-05	40631	1929.8
2005-06	48441.6	-7333
2006-07	25190.3	5605.1

(ग) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार मुम्बई शेयर बाजार (बीएसई) में विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (ए यू एम), 3,545,041 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के मुकाबले में 5,47,010 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार, 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों के अंतर्गत एयूएम बीएसई के बाजार पूंजीकरण का 15.43% है।

[अनुवाद]

निजी सरकारी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाओं का संचलन

10. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी-सरकारी भागीदारी के अंतर्गत परियोजना आयोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अवसंरचना से संबंधित सभी मंत्रालयों में विश्व बैंक की धनराशि का उपयोग करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ (डेडीकेटेड सैल) की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं का समय रहते संचालन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण देने के व्यवसाय का विनियमन

11. **श्री निखिल कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक तकनीकी ग्रुप ने हाल ही में अधिकतम ब्याज दरों को तय करने और राज्य सरकार द्वारा ऋणदाताओं के अनिवार्य पंजीकरण के साथ-साथ ऋण देने के व्यवसाय का विनियमन करने के लिए विधान प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसका कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

***वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) से (घ) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2006-07* के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के *अनुसरण में भारतीय* रिजर्व बैंक के तत्कालीन विधिक सलाहकार, श्री एस.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक तकनीकी दल का गठन साहूकारी को अभिशासित करने वाले विद्यमान विधायी ढांचे की क्षमता तथा इसके साथ-साथ विभिन्न राज्यों में प्रवर्तन मशीनरी की समीक्षा करने और इसमें सुधार लाने के लिए सिफारिशें करने हेतु किया गया था। तकनीकी दल द्वारा प्रस्तावित माडल विधान में निम्नलिखित व्यवस्था है:—

- साहूकारों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण तथा अपने पंजीकरण का आवधिक नवीकरण कराने हेतु एक सरल तथा निर्बाध कार्य-प्रक्रिया;
- बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक सरलीकृत विवाद समाधान तंत्र;
- दाम्दूपट का नियम अपनाना, जिससे साहूकार द्वारा प्रभार्य ब्याज की अधिकतम राशि पर रोक लगाई जा सके।

दल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और पणधारियों की टिप्पणियों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। परामर्श की प्रक्रिया में कुछ समय लगना है क्योंकि रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजी गई है। इन परिस्थितियों में इसके कार्यान्वयन हेतु कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को बंद किया जाना

12. **श्री संतोष गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किए गए या स्थानांतरित किए गए बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं को न खोलने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से आयकर प्रतिदाय

13. **श्री रशीद मसूद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर दाताओं को आयकर का प्रतिदाय करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को पूरे देश में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार आयकर दाताओं को आयकर का प्रतिदाय करने की योजना में अन्य बैंकों को जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को प्रायोगिक आधार पर दिल्ली एवं पटना शहरों के लिए प्रतिदाय बैंकर के रूप में दिनांक 24.1.2007 से नियुक्त किया है। प्रतिदाय बैंकर कागजी प्रतिदाय एवं इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली जिसमें प्रतिदाय राशि करदाता के बैंक खाते में सीधे तौर पर जमा कर दी जाती है, के द्वारा प्रतिदाय दोनों ही को दिल्ली एवं पटना के चुनिंदा प्रभारों में जारी कर रहा है।

(ग) सरकार इस प्रायोगिक परियोजना को दिनांक 30.9.2007 से मुम्बई, कोलकाता एवं बंगलौर में भी लागू करेगी। सरकार जून, 2008 तक प्रतिदाय बैंकर स्कीम को अन्य शहरों में भी लागू करने का विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) मौजूदा स्कीम प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। इस परियोजना के लिए अन्य बैंकों को अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी बंगलों को स्मारकों में बदलना

14. **श्री ए. साई प्रताप :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास सरकारी बंगलों को स्मारकों में बदलने के लिए लंबित आवेदनों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भविष्य में बंगलों को स्मारकों में तबदील करने पर प्रतिबंध लगाते हुए 16.8.2000 को एक संकल्प पारित किया था। तथापि, बंगला नं. 6, कृष्णा मेनन मार्ग को बाबू जगजीवन राम स्मारक में तबदील करने हेतु 30.6.2002 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था तथा बंगला नं. 12, गुरुद्वारा रकाबगंज मार्ग को स्वर्गीय काशीराम की स्मृति में बहुजन समाज प्रेरणा केन्द्र में तबदील करने हेतु 10.10.2006 को दूसरा आवेदन प्राप्त हुआ था।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलना

15. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2007 तक की स्थिति के अनुसार आईसीआईसीआई सहित उन विदेशी बैंकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है;

(ख) 30 जून, 2007 तक की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत विदेशी बैंकों की कुल संख्या कितनी है और उनकी कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ग) कृषि क्षेत्र सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी

और देश के निजी क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए दिशा-निर्देश क्या हैं;

(घ) क्या विदेशी एवं निजी क्षेत्र के बैंक उक्त दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत सरकार द्वारा विदेशी बैंकों से स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विदेशी बैंकों और आईसीआईसीआई (निजी बैंक) के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में 30 अप्रैल, 2007 को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के भाग के रूप में केवल उन क्षेत्रों को शामिल करने हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनसंख्या के बड़े वर्ग, कमजोर वर्ग तथा उन क्षेत्रों को प्रभावित करते है जो रोजगार-बाहुल्य है जैसे कृषि, और अत्यंत लघु एवं लघु उद्यम। मार्च, 2007 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार क्रमश: 1,43,768 करोड़ रुपये (निवल बैंक ऋण का 42.71%) और 37,835 करोड़ रुपये (निवल बैंक ऋण का 33.40%) थी, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लक्ष्य 1,34,636 करोड़ रुपये (निवल बैंक ऋण का 40%) और विदेशी बैंकों के लिए 36,251 करोड़ रुपये (निवल बैंक ऋण का 32%) था। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) और (छ) शीघ्र एवं कुशल निर्णयन हेतु और बैंक के बोर्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता देने के लिए, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 22.2.2005 को एक स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धियों के नए उत्पाद और उनके द्वारा प्रयोग किए गए नवोन्वेषी प्रेषण माध्यमों के प्रत्युत्तर में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने दैनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, ग्राहक सेवा सुधार और ग्राहक शिकायत निर्वारण तंत्र, चौबीसों घन्टे ग्राहक हैल्पलाइन की स्थापना, प्रौद्योगिकी आधारित मूल्य संवर्धित सेवाओं यथा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड इत्यादि जैसी नवोन्मेषी व प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं द्वारा स्वयं को तैयार कर लिया है।

[अनुवाद]

प्राइम लैंडिंग रेट

16. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरबीआई ने बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट्स को परिवर्तित करने के लिए बैंकों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में बैंकों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कृषि, लघु उद्योगों और आवासीय क्षेत्र को ऋण देने में अधिमूल्यन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्टूबर, 1994 से आवास ऋणों सहित 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज की दरों को अविनियमित कर दिया है और बैंकों द्वारा ब्याज दरें अपने बोर्डों के अनुमोदन से स्वयं निर्धारित की जाती हैं। 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए, आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) को अधिकतम उधार दर के रूप में निर्धारित किया गया है। बैंकों को अब अपने उत्पादों की कीमत स्वतंत्र रूप से उनके बीपीएलआर से कम या अधिक निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की जाती है और वे पारदर्शी तरीके से बाजार बेंचमार्क का प्रयोग करके अस्थिर दर वाले उत्पादों का प्रस्ताव करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरें भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्णरूपेण अविनियमित कर दी गई हैं।

(घ) किसानों को उचित लागत पर ऋण प्रदान करने के लिए, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसानों को वर्ष 2006-07 के खरीफ के मौसम कसे मूल राशि पर 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 2% की ब्याज सहायता के साथ 7% वार्षिक की ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण प्रदान करवाया जाए।

12 जुलाई, 2007 से, रुपया निर्यात ऋण पर 2% बिन्दु की ब्याज दर सहायता के संदर्भ में 1.4.2007 से 31.12.2007 तक नौ विनिर्दिष्ट श्रेणियों के निर्यातकों को और लघु एवं मझौले उद्यम क्षेत्र के सभी निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई है। तदनुसार, बैंक 1 अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर 180 दिनों तक लदान-पूर्व ऋण और 90 दिन तक लदानोत्तर ऋण पर अधिकतम बीपीएलआर से 4.5% कम ब्याज दर प्रभारित करेंगे।

कटे फटे करेंसी नोट

17. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पुनः जारी करेंसी नोटों की गड्डियों में बड़ी संख्या में कटे-फटे, बेमेल तथा काफी पुराने नोट होते हैं जो अपनी मियाद पुरी कर चुके होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैले-कुचैले, आंशिक रूप से कटे-फटे, बेमेल, मियाद पूरी कर चुके बहुत पुराने नोट जारी करने के बारे में हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल नए/साफ सुथरे करेंसी नोट जारी करने और आम जनता को मैले-कुचैले/गंदे नोटों को बदलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, सभी नामजद बैंक की शाखाओं को निर्देश जारी किए हैं। विस्तृत अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

एनटीपीसी द्वारा मेगा जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

18. **श्री उदय सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार देश में मेगा जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे विद्युत की कमी वाले राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कुल कितना निवेश किया जाएगा; और

(च) इस प्रयोजनार्थ धनराशि किन स्रोतों से जुटाई जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां, एनटीपीसी लिमिटेड देश में निम्नलिखित तीन वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव कर रही हैं जोकि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है:-

(i) हिमाचल प्रदेश में कोलडैम एचईपीपी (4x200 मे.वा.)।

(ii) उत्तराखंड में लोहरीनागपाला एचईपीपी (4x150 मे.वा.)।

(iii) उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ़ एचईपीपी (4x130 मे.वा.)।

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित दो जल विद्युत परियोजनाओं को भी चिन्हित किया है जहां आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच चल रही है। जिसके आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

(i) अरुणाचल प्रदेश में ईटालिन एचईपीपी (16x250 मे.वा.)।

(ii) अरुणाचल प्रदेश में अतुनली एचईपीपी (4x125 मे.वा.)।

(ग) और (घ) तीन वृहत जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात कोलडैम, लोहरीनागपाल और तपोवन विष्णुगढ़ की स्थापना उत्तरी क्षेत्र में की जा रही है जिससे उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को लाभ प्राप्त होगा और पड़ोसी क्षेत्रों से कुछ अन्य राज्यों को भी लघु अवधि आधार पर व्यस्ततमकालीन कमी को पूरा करने के लिए अनाबंटित कोटे से विद्युत के आबंटन के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। राज्य, जिन्हें कोलडैम परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा वे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़ हैं।

(ङ) परियोजनावार किया जाने वाला संभावित कुल निवेश निम्नवत् है:-

क्र.सं.	परियोजना	निवेश (रुपये करोड़ में)
1.	कोलडेम एचईपीपी	4527.15 (मूल्य स्तर 2001 का चतुर्थ क्वार्टर)
2.	लोहारीनागपाल-एचईपीपी	2895.10 (मूल्य स्तर 2006 का द्वितीय क्वार्टर 2006)
3.	तपोवन विष्णुगढ़-एचईपीपी	2978.48 (मूल्य स्तर 2006 का चतुर्थ क्वार्टर 2006)

(च) एनटीपीसी लिमिटेड की योजना 70:30 के ऋण इक्वीटी अनुपात से इन वृहत विद्युत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की है। इक्विटी भाग को कंपनी द्वारा उत्पादित/उत्पादित किए जाने वाले आंतरिक संसाधनों में से वित्तपोषित किया जाना है तथा ऋण, बाजार की स्थितियों पर निर्भर करते हुए घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उठाया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रतिस्पर्धा

19. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को देश में विदेशी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उपभोक्ता संबंध प्रबंधन की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं। तथापि, शीघ्र एवं कुशल निर्णयन हेतु और बैंक के बोर्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता देने के लिए, सरकार ने 22.2.2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सांस्कृतिक केन्द्र

20. **श्री जुएल ओराम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने के लिए भूमि हेतु किन-किन राज्यों ने आवेदन किया है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए अब तक किन-किन राज्यों को भूमि आबंटित की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) रिकार्डों के अनुसार, उड़ीसा राज्य ने एक उड़ीसा केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया है। राष्ट्रीय राजधानी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए अभी तक किसी भी राज्य को भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। आर.के. पुरम में एक उड़ीसा केन्द्र की स्थापना के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन हेतु उड़ीसा राज्य सरकार के आवेदन पर विचार किया गया था तथा भूमि की अनुपलब्धता के चलते राज्य सरकार को भूमि आबंटन न किए जाने की असमर्थता की सूचना 1.11.2006 को दे दी गई थी। इसके बाद उड़ीसा सरकार से दिसंबर 2006 में एक अन्य आवेदन प्राप्त हुआ था। भूमि की कमी तथा राजनीतिक पार्टियों को भूमि आबंटन करने सहित वर्तमान वचनबद्धताओं के कारण उड़ीसा सरकार के आवेदन पर भूमि उपलब्धता के अध्यधीन बाद में विचार किया जा सकता है।

एनआरईजीपी के कार्यान्वयन में कमियां

21. **श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या कमियां देखी गई;

(ग) कौन-कौन से राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं; और

(घ) इन राज्यों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वन की प्रगति की समीक्षा की जाती है और केन्द्र सरकार द्वारा नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जाती है।

(ख) कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी, मजदूरी के भुगतान में विलंब और स्टाफ की कमी ऐसी कुछ खामियां हैं जो राज्यों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान देखी गई थीं।

(ग) और (घ) एनआरईजीए मांग आधारित कार्यक्रम है। इसके कार्यान्वयन की गति राज्य दर राज्य अलग-अलग है। तथापि, सभी राज्यों को यह निदेश दिया गया है कि वे एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अपने कार्य-निष्पादन को और बेहतर बनाएं।

हाउसिंग इंडेक्स

22. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेंसेक्स की भांति हाउसिंग इंडेक्स (नेशनल हाउसिंग बैंक इंडेक्स) लाने का है जैसाकि दिनांक 11 जुलाई, 2007 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हाउसिंग इंडेक्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) हाउसिंग इंडेक्स को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) रिहायशी संपत्तियों के मूल्य में समय के साथ-साथ हुए परिवर्तन की जानकारी के लिए मानकीकृत उपाय लागू करने के उद्देश्य से जुलाई, 2007 से पहले से ही एनएचबी रेसीडेक्स प्रारंभ कर चुका है। यह पांच मुख्य भारतीय महानगरों अर्थात दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुम्बई, कोलकाता, बैंगलोर तथा भोपाल जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के संबंध में किए गए एक अध्ययन के आधर पर है।

(ख) और (ग) एनएचबी रेसीडेक्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

- सूचकांक में इन पांच महानगरों में प्रत्येक में पांच वर्ष की अवधि में भौगोलिक आधार पर तथा इसके साथ-साथ रिहायशी इकाई के आकार के आधार पर मूल्यों में उतार-चढ़ाव शामिल है।
- मूल्यों का अध्ययन विभिन्न प्रशासनिक अंचलों/सम्पत्ति कर अंचलों के लिए किया गया है जिसमें उपर्युक्त प्रत्येक नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तथा मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) की आवासीय श्रेणियां शामिल हैं।
- सूचकांक तैयार करने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए वास्तविक संव्यवहार मूल्यों पर विचार किया गया था जिनसे बाजार के रुख का पता चलेगा।
- अध्ययन के लिए 2001 को आधार वर्ष के रूप में माना गया है जिसकी तुलना थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ की जानी है।
- एनएचबी तकनीकी सलाहकार दल (टीएजी) की विशेष रूप से आंकड़ों को एकत्र करने तथा इनके मिलान और सूचकांक बनाने के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्मेलन

23. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन हाल ही में सम्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गईं और क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इन सिफारिशों और निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण पेय जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में 4 और 5 जुलाई, 2007 को हुआ था। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत निर्माण के अंतर्गत व्यावसायिक सत्र की प्रगति स्थायित्व और तालमेल के मामलों पर चर्चा की गई। व्यावसायिक सत्र II में उप-मिशन और जल गुणवत्ता जांच कार्यक्रम, आंकड़ा प्रबंधन, आयोजना एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार किया गया।

(ग) और (घ) सम्मेलन में की गई सिफारिशों में भारत निर्माण के अंतर्गत कैप, 99 की कवर न की गई बसावटों, निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्या दूर करने संबंधी कार्य शामिल करना था। इसमें समुदाय आधारित राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम की प्रगति में गति लाने, न्यूनीकरण प्रणालियों और अवसंरचनाओं के चयन में न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति और समूह दृष्टिकोण के साथ स्थानिक किफायती प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन के जरिए प्रगति में गति लाने के लिए अनुरोध किया गया। सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई कि विशेष श्रेणी वाले राज्यों की भौगोलिक स्थितियों पर विचार करते हुए इन राज्यों के लिए वित्त पोषण मानदंड में बदलाव किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय की इकाई लागत में संशोधन की सिफारिश की।

[हिन्दी]

एमआरटीपी अधिनियम से अर्जित राजस्व

24. श्री काशीराम राणा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या कॉरपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत अर्जित राजस्व की कोई समीक्षा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत शिकायतें दायर करने के लिए कोई शुल्क वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, वकीलों को दैनिक मामला सूची उपलब्ध कराने, संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को अंतिम आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने, अन्तरिम (डॉकेड) आदेशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने और पक्षों द्वारा फाइलों के निरीक्षण के लिए ही शुल्क वसूला जाता है।

अभी तक इन शुल्कों में संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जाना

25. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी विद्युत वितरण कंपनियों को दिल्ली में अपनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और उनकी क्षमता कितनी होगी; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निबंधन और शर्तें क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मुंबई जल निकासी प्रणाली

26. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुंबई की 150 वर्ष पुरानी वर्षा जल निकासी प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार को धनराशि जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां।

सरकार ने 1200.35 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर बृहत्त मुंबई बरसाती जल निकासी परियोजना (बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूएडी) अनुमोदित की है। इस परियोजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए धनराशि योजना आयोग द्वारा राज्य योजना सहायता (एसपीए) के रूप में चरणबद्ध रूप से राज्य सरकार को सीधे ही निर्मुक्त की जानी है। वर्ष 2007-08 के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को 400 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई जानी है।

विवरण

बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूएडी परियोजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा परियोजना के परिणाम एवं लाभ

मुंबई में बरसाती जल निकासी में सुधार के लिए बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूएडी परियोजना मंत्रालय द्वारा 1200.53 करोड़ रु. की समग्र लागत पर अनुमोदित कर दी गई है। यह परियोजना सीसीईए द्वारा दिनांक 12.7.2007 को अनुमोदित की गई है।

शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों, भौतिक अवस्थापना, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र तथा आबादी के साथ-साथ लागत के विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

I. फेज-I - प्राथमिकता कार्य — 356.55 करोड़ रुपये

क्र.सं.	कार्य का नाम	सीपीएचईईओ द्वारा सिफारिश किए गए (रुपये करोड़ में)
1	2	3
1.	शहरी क्षेत्रों के लिए बरसाती जल निकास, पत्थे बापू राव मार्ग, रेड्डी रोड, डा. मोसेस रोड एवं बॉडी गार्ड लेन में एसडब्ल्यूडी सिस्टम की पुन:स्थापन। 4 परियोजनाएं **(लंबाई 9.38 कि.मी./12.25 लाख आबादी)**	103.76
2.	पूर्वी उप शहरी क्षेत्रों में कैचमेंट के प्रीमियर नाले को बड़ा करना, सुधारना/पुन: रूप देना/निकासी 8 परियोजनाएं **(लंबाई 18.78 कि.मी./9.50 लाख आबादी)**	47.55
3.	पश्चिमी-उप शहरी क्षेत्रों में कैचमेन्ट के प्रीमियर नाले को बड़ा करना, सुधारना/पुन: रूप देना/निकासी 7 परियोजनाएं **(लंबाई 28.11 कि.मी./14.75 लाख आबादी)**	61.24

1	2	3
4.	लवग्रोव, हालीअली, क्लीवलैंड बन्डर एवं इरला में पम्प, सूखे एवं गीले कुएं, फ्लड गेट इन्लेट कार्य, स्क्रीनिंग व्यवस्था, कन्ट्रोल रूम में इन्स्ट्रूमेंटेशन सहित बरसाती जल पम्पिंग स्टेशन बनाना। 4 परियोजनाएं	144.00
	कुल	356.55

II. फेज-II - बचे हुए कार्य — 843.98 करोड़ रुपये

क्र.सं.	कार्य का नाम	सीपीएचईईओ द्वारा की गई सिफारिश (रुपये करोड़ में)
1.	शहर (15 उप कार्य) (लंबाई 15.08 कि.मी./16.20 लाख आबादी)	246.19
2.	पूर्वी उप शहर (11 उप कार्य) (लंबाई 51.20 कि.मी./23.70 लाख आबादी)	228.74
3.	पश्चिमी उप शहर (9 उप कार्य) (लंबाई 47.48 कि.मी./24.85 लाख आबादी)	204.07
4.	पम्पिंग स्टेशन (जिसमें 15.60 करोड़ रु. की ओ एंड ए लागत शामिल है)	140.40
	उप-योग	819.40
	3% की दर से आकस्मिक व्यय	24.58
	कुल	843.98

फेज-I का कुल	:	356.55 करोड़ रुपये
फेज-II का कुल	:	843.98 करोड़ रुपये
सकल योग	:	1200.53 करोड़ रुपये

परियोजना परिणाम/लाभ:-

(i) मुंबई में बरसाती जल निकासी प्रणाली में सुधार:

उन्नत बरसाती जल निकासी प्रणाली में वर्तमान 25 एमएम/घंटा की तुलना में 50 एमएम/घंटा की बरसाती जल को रोकने की क्षमता होगी। ज्वारीय क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी प्रणाली वर्तमान 25 एमएम/घंटा की तुलना में 100 एमएम/घंटा की क्षमता वाली होगी।

अपारगम्यता का गुणांक वर्तमान 0.50 की तुलना में 0.98 (लगभग 1.00) होगा।

(ii) बाढ़ के मामलों में कमी:

आशा है कि बाढ़ की स्थिति प्रतिवर्ष 6 दिन से कम होकर 2 दिन हो जाएगी।

(iii) आर्थिक हानि में कमी

प्रतिवर्ष 4 दिन की बाढ़ आने से प्रतिवर्ष 1550 करोड़

रु. की बचत (386×4=1544 अर्थात् 1550 करोड़ रु.) होने की संभावना है जिससे आर्थिक हानि में कमी आने आने की आशा है।

(iv) अन्य हानि में कमी:

अन्य अगण्य हानियां जैसे मानव जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति आदि की हानि में कमी।

[हिन्दी]

काला धन

27. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस समय देश में काले धन की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराने और इसको रोकने के लिए कोई उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) इस समय देश में काले धन की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु ताजा अध्ययन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आयकर विभाग काले धन को नियंत्रित करने के लिए कई दण्डात्मक एवं निवारक उपाय करता है। इनमें विवरणियों की संवीक्षा, सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई, अर्थदण्ड अधिरोपण तथा उपयुक्त मामलों में अभियोजन शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2003 के द्वारा सरकार ने दो अतिरिक्त कर अपवंचन रोधी उपाय शुरू किए हैं, नामत: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206क के अंतर्गत यथा विहित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बड़े नकदी आहरणों का पता लगाने के लिए बैंककारी नकद संव्यवहार कर का उद्ग्रहण एवं कतिपय निक्षेपों की तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना।

(ग) काले धन को सृजित करने वाले अधिकतर संव्यवहारों का रिकार्ड नहीं होता है जिसकी वजह से किसी अनुमान की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण हो जाती है। ऐसे अनुमानों में अप्रत्यक्ष विधियों एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है। ''भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलू'' (1985) नामक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट के लेखकों ने भी स्वीकार किया था कि उनका अनुमान अनेक अनुमानों एवं पूर्व धारणाओं पर आधारित है जिसमें से प्रत्येक को चुनौती दी जासकती है। इसलिए कोई ताजा अध्ययन नहीं किया जाता है।

मतदाताओं को मास्टर कार्ड

28. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मतदाताओं को मास्टर कार्ड देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अधिक ब्याज दर वसूलना

29. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वित्त मंत्री** दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3513 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवसायियों की तुलना में किसानों से अधिक ब्याज दर वसूलने के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण कृषितर क्षेत्र की गतिविधियों के संबंध में लघु व्यवसाय/उद्यमों के लिए सावधि ऋणों की तुलना में कृषि से संबंधित गतिविधियों को सावधि ऋणों पर ब्याज दर से संबंधित सूचना कुछ सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से नमूने के तौर पर एकत्र की गई है। इस सूचना का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सावधि कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 10% -

14.25% वार्षिक के बीच है, जबकि व्यवसाय ऋण के लिए 10% से 16.5% वार्षिक के बीच है। कुछ राज्यों में, सरकारें कृषि ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान कर रही हैं, इसलिए ये दरें अपेक्षाकृत कम हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान ब्याज दर नीति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों (कृषि क्षेत्र को मंजूर किए गए ऋणों सहित) पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है, सिवाय इसके कि 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज की दर संबंधित बैंकों की आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अत:, वाणिज्यिक बैंक बीपीएलआर की घोषणा के अध्यधीन 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों पर अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से वस्तुपरक एवं पारदर्शी नीति के आधार पर पात्र उधारकर्ताओं को उप-बीपीएलआर दरों पर उधार देने के लिए भी स्वतंत्र हैं। बैंक अपने बीपीएलआर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी निधियों की लागत, लेन-देन की लागत और जोखिम लागत को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का संबंध है, ऋणों की ब्याज दरें पूर्णरूपेण अविनियमित कर दी गई हैं।

किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005-06 हेतु लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए 1,00,000 रुपये तक की मूल राशि पर ऋणकर्ता की देयता के 2 प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद, खरीफ 2006 से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपये की उच्चतर सीमा सहित 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

30. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट'' से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाल ही में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) की कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई;

(ग) इस पर ईजीओएम द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या बोलीदाता लैनको द्वारा बोली लगाने संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) जी हां। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सभी मामलों पर त्वरित निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रियों के विशेषाधिकार प्राप्त समूह ने मध्य प्रदेश में 4000 मेगावाट की सासन अल्ट्रा मेगा पिटहैड विद्युत परियोजना अवार्ड करने संबंधी मामले की जांच की है।

समग्र जनहित के मद्देनजर तथा बोली दस्तावेजों के विभिन्न अनुच्छेदों की जांच के बाद मंत्रियों के विशेषाधिकार प्राप्त समूह ने ग्लोबलेक लेनको समूह को जारी किए गए एलओआई को प्रापणकर्त्ता रद्द किए जाने का निर्णय लिया क्योंकि यह समूह आरएफक्यू चरण में ही योग्य नहीं था और आरएफक्यू के लिए इसका प्रत्युत्तर शुरू से ही गलत था। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रापणकर्त्ता एक करोड़ रुपये की कटौती करने के बाद उक्त समूह का बोली बॉण्ड वापस कर दे और बाकी बोलीदाताओं के साथ वार्तालाप करे और उनसे उपयुक्त टैरिफ हेतु उसकी अंतिम बोलियां प्राप्त करें।

तदनुसार, सासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) ने बाकी वैध बोलीदाताओं से आशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए जिनमें से मै. रिलायंस पावर लि. का 1.19616 प्रति कि.वा.घं. के समानीकृत टैरिफ का प्रस्ताव न्यूनतम था। एसपीएल ने रिलायंस पावर लि. को 1.8.2007 को इच्छा पत्र जारी किया और उसके उपरांत उन्हें स्पेशल पर्पज व्हीकल, सासन पावर लि., जो सासन यूएमपीपी के लिए स्थापित किया गया है, हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक प्रलेखन पूरा कर लिया है।

आंध्र प्रदेश में एनआरईजीए के अंतर्गत और अधिक जिलों को शामिल करना

31. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के और अधिक जिलों को शामिल करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश से पांच और जिलों अर्थात् कुरनूल, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम को एनआरआईजीए के दूसरे चरण में शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विशाखापत्तनम को छोड़कर, आंध्र प्रदेश के दो और जिलों अर्थात् पूर्व गोदावरी तथा गुंटूर के साथ-साथ अन्य चार जिलों को 1.4.2007 से दूसरे चरण में अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

न्यासों को आवंटित की गई भूमि

32. श्री सुदाम मरन्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय और डीडीए न्यासों, सोसाइटियों और सरकारी संगठनों, कल्याण संघों और अन्यों को अपने कार्यकलापों के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित करता है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2000 से आत की तारीख तक किस दर पर भूमि आबंटित की गई है;

(ग) क्या अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ को अपने कार्यकलापों के लिए काफी कम दरों पर भूमि दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संघ को 1 जनवरी, 2000 से आज की तारीख तक किस दर पर भूमि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. संघ से प्राप्त अभ्यावेदन वर्ष 2003 से लेकर आज की तारीख तक लंबित है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यक्रम (एलएण्डडीओ) ने यह सूचित किया है कि वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत विभिन्न सामाजिक/शैक्षणिक/धार्मिक तथा अन्य चेरिटेबल ट्रस्टों/सोसाइटियों को रियायती दरों और पूर्व-निर्धारित अलग-अलग श्रेणीय दरों पर भूमि आवंटित करना है बशर्ते वे शर्तों को पूरा करते हों

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को छोड़कर विभिन्न श्रेणी के संस्थानों को भूमि का आवंटन अब निलामी के जरिये किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रयोजन की संस्थानों के लिए सोसाइटियों को अब भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय दरों (रियायती दरों) पर आवंटन किया जाता है बशर्तें कि वे नाजूल नियमों में आवंटन हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।

(ख) से (घ) भूमि और विकास कार्यालय ने पात्र संस्थाओं को पूर्व निर्धारित भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय दरों तथा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की है। जनवरी, 2000 से अब तक दो सोसाइटियों को 16.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई थी तथा अन्य सोसाइटियों/ट्रस्टों को 88.00 लाख रुपए प्रति एकड़ की भिन्न-भिन्न अनन्तिम क्षेत्रीय दरों पर भूमि आवंटित की गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने वर्ष 1999-2000 से अब तक भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय दरों पर भूमि आवंटित की है जो 77.00 लाख रुपए प्रति एकड़ से 698.90 लाख रुपए प्रति एकड़ के बीच हैं। नाजूल नियमों के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सोसाइटियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त, डीडीए में ऐसी सोसाइटियों के लिए आवंटन हेतु आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) भूमि और विकास कार्यालय ने यह सूचित किया है कि ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए है किन्तु आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुरोधों पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ से भूमि के आवंटन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, मौजूदा नीति के अनुसार ने आवंटन के लिए पात्र नहीं है।

गुवाहाटी स्थित एनआईआरडी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकलाप

33. **श्री अनवर हुसैन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) नियमित रूप से सेमिनार आयोजित करने कार्यशाला और प्रशिक्षण देने का काम करता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या एनआईआरडी अपने कार्यक्रम में ग्रामीण कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व वाली सिविल सोसाइटियों/शैक्षिक संस्थाओं और मजदूर संघों को शामिल कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी)/ जोनल कार्यालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर 3 कार्यशालाएं और दस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं:-

कार्यशालाएं

(i) राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के क्रिया-कलापों पर नीतिगत विचार-विमर्श।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और ग्राम मानीटरिंग समिति: भूमिका और उत्तरदायित्व।

(iii) लघु वित्तपोषण के लिए अभिविन्यास पर सहयोगी कार्यशाला।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. मानव संसाधन प्रबंधन और भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली।

2. पेयजल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों का नियोजन एवं प्रबंधन।

3-4. आई.टी का प्रयोग करते हुए कार्यालय प्रबंधन पर दो पाठयक्रम।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संदर्भ में क्षमता निर्माण माड्यूलों को तैयार करना।

6. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।

7. कृषि का स्थायी विकास।

8-9. ग्रामीण विकास के लिए जीआईएस साफ्टवेयर संबंधी हैंड्स आन प्रेक्टिस पर दो पाठ्यक्रम।

10. ग्रामीण विकास पर कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस प्रबंधन।

(ग) जी, हां। एनआईआरडी जोनल कार्यालय, गुवाहाटी, नागरिक समितियों, समुदाय आधारित संगठनों, स्व-सहायता समूह संगठनों तथा विश्वविद्यालयों और कालेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को शामिल कर रहा है। ग्रामीण कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों को शामिल करना संबंधित राज्य सरकारों की मांग पर आधारित है।

(घ) चालू वित्तिय वर्ष के दौरान, एनआईआरडी जोनल कार्यालय, गुवाहाटी के कार्यक्रमों ने गैर-सरकारी संगठनों से 85 सहभागियों और शैक्षणिक तथा अन्य संस्थानों से 50 सहभागिकयों को कवर किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्तपोषण

34. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) हेतु डीजल उपकर के माध्यम से कितनी राशि प्राप्त हुई और वर्ष 2007-08 के दौरान कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अभी तक निर्मित सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) केन्द्रीय सड़क

निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार उपकर से प्राप्त धनराशि निर्धारित मानदंडों के अनुसार विभिन्न खंडों में आबंटित की जाती है। विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को आबंटित की गई धनराशि नीचे दिए अनुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	राशि
2004-05	2148.00
2005-06	3809.50
2006-07	3725.62
2007-08	3825.00

(ख) जून, 2007 के अंत तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई गई सड़कों और उसमें खर्च की गई धनराशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	(जून, 2007 तक) बनाई गई सड़कों की लम्बाई (कि.मी.) श्रनदमश 07)	जून, 07 तक व्यय (रुपए करोड़ में) (इसमें चल रहे कार्यों पर व्यय भी शामिल है)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10898.99	1228.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	1430.63	218.41
3.	असम	2924.19	1111.52
4.	बिहार (आरईओ)	1686.07	360.21
5.	बिहार (एनईए)	1285.73	670.10
6.	छत्तीसगढ़	8592.65	1763.08
7.	गोवा	158.70	5.32
8.	गुजरात	3075.50	392.00
9.	हरियाणा	1765.28	363.40
10.	हिमाचल प्रदेश	4586.47	674.74
11.	जम्मू एवं कश्मीर	138.12	106.04
12.	झारखण्ड	2633.82	482.78
13.	कर्नाटक	5466.65	577.84
14.	केरल	461.82	110.81
15.	मध्य प्रदेश	15167.84	3238.53
16.	महाराष्ट्र	5568.67	815.17
17.	मणिपुर	933.21	107.97
18.	मेघालय	702.76	111.45
19.	मिजोरम	1182.60	209.25
20.	नागालैंड	1589.37	142.96
21.	उड़ीसा	7287.52	1798.53
22.	पंजाब	1433.30	296.70
23.	राजस्थान	24566.06	3438.66
24.	सिक्किम	1731.87	151.95
25.	तमिलनाडु	3835.65	462.18
26.	त्रिपुरा	613.48	133.56
27.	उत्तर प्रदेश	16884.89	2313.08

1	2	3	4
28.	उत्तराखंड	670.42	228.67
29.	पश्चिम बंगाल	4697.97	1469.90
	योग	131970.23	22983.30
	संघ राज्य क्षेत्र		
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.58
31.	दादरा और नगर हवेली	84.702	7.75
32.	दमन और दीव		4.94
33.	दिल्ली		2.39
34.	लक्षद्वीप		0
35.	पांडिचेरी	73.22	9.27
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	157.922	24.93
	कुल योग	132128.15	23008.23

ग्राम सभा भूमि

35. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री कब्जे के** वारन्ट तामील करना और ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के बारे में दिनांक 24-8-05, 1-3-05 और 10-5-05 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3828, 177 और 6594 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्राम-सभा के अंतर्गत आने वाली भूमि का कब्जा लेने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से उत्तर प्रतीक्षित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कोई समय-सीमा नहीं बतायी गयी है।

गारमेंट निर्यात में उत्पाद शुल्क की धोखाधड़ी

36. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों से सिले-सिलाए परिधानों का गैर-कानूनी रूप से निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(ग) क्या कुछ उत्पाद-शुल्क अधिकारी/अन्य अधिकारी ऐसे गैर-कानूनी निर्यात में संलिप्त पा गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों और उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम. के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

37. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को भी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कितना काम किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अंतर्गत आबंटित और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	आबंटन		रिलीज
	योजना	राशि	
2005-06	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	16019.80	15446.36
2005-06	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया गया	2436.29 (राशि जिला-वार रिलीज की गई)
2006-07	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति	20621.95	11176.63
2006-07	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया गया	5465.48 (राशि जिला-वार रिलीज की गई)

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत किए गए कार्य का ब्यौरा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि योजनाओं को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जहां तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संबंध है, पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू किए गए कार्य निम्नानुसार है-

(i) बीपीएल के लिए 610810 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय

(ii) एपीएल के लिए 77760 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय

(iii) 10 स्वच्छता परिसरों का निर्माण

(iv) 9827 विद्यालय शौचालयों का निर्माण

(v) 6060 बालवाड़ी शौचालयों का निर्माण

(vi) 154 आरएसएम की स्थापना

(vii) 419 उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

लंबित ग्रामीण सफाई प्रस्ताव

38. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रस्ताव लंबित हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के सभी 33 जिलों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को मिल चुके हैं और उन्हें मंजूरी दे दी गई है। केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग आधारित कार्यक्रम है और इसलिए राज्य सरकारों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वार्षिक आबंटन नहीं किए जाते हैं। बढ़ी हुई मांग और अनुमोदित परियोजनाओं के अनुसार निधियां रिलीज की जाती हैं।

भारत सरकार ने महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 14.95 करोड़ रु., वर्ष 2006-07 के दौरान 87.20 करोड़ रु. और चालू वर्ष। के दौरान जुलाई, 2007 तक 7.85 करोड़ रु. रिलीज किए हैं।

शहरी विकास योजनाएं

39. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में झारखंड में शुरू की गई शहरी विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक झारखंड में किसी शहर के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों से बिजली

40. **श्री के.सी. पल्लानी शामी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में बिजली की कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत ने इस कमी को पूरा करने तथा बिजली की स्थिति में सुधार के लिए पड़ोसी देशों से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जुलाई 2007 तथा अप्रैल-जुलाई, 2007 के दौरान विद्युत अभाव के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारत ने विद्युत के आदान-प्रदान के लिए भूटान और नेपाल के साथ सहयोग समझौता किया है। जल विद्युत के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच के सहयोग से देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति का अंतर कम करने में मदद मिली है। भूटान में भारत की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से कार्यान्वित ताला (1020 मेगावाट), चुखा (336 मेगावाट) तथा कुरिचू (60 मेगावाट), जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत का वृहत् हिस्सा भारत को निर्यात किया जाता है।

भारत और नेपाल के बीच अंतःसीमा विद्युत विनिमय के अंतर्गत भी दोनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जहां नेपाल विद्युत का निवल आयातक है।

भूटान और नेपाल को छोड़कर भारत का किसी देश से विद्युत विनिमय का करार नहीं है। हालांकि, साऊथ एशियन एसोसिएशन फार रिजनल कोओपरेशन (सार्क) के दक्षिण एशियाई देशों तथा बिम्सटेक (बे आफ बंगाल इनिशिएटिव फार मल्टी सेक्टोरल टैक्नीकल एंड इकनामिक कोओपरेशन) के साथ सहयोग हेतु विद्युत समेत अनेक क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया है।

विवरण

(विद्युत आपूर्ति की अनंतिम स्थिति)

आंकड़े मि.यू. निवल में

राज्य प्रणाली क्षेत्र	जुलाई, 2007				अप्रैल-जुलाई, 2007			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)	मांग (मि.यू.)	पूर्ति (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	144	144	0	0.0	549	549	0	0.0
दिल्ली	2,329	2,324	-5	-0.2	8,650	8,630	-20	-0.2
हरियाणा	2,953	2,753	-200	-6.8	9,841	9,122	-719	-7.3
हिमाचल प्रदेश	511	511	0	0.0	1,921	1,910	-11	-0.6
जम्मू और कश्मीर	712	642	-70	-9.8	3,423	2,571	-852	-24.9
पंजाब	4,908	4,708	-200	-4.1	15,439	14,888	-551	-3.6
राजस्थान	2,593	2,593	0	0.0	11,023	10,984	-39	-0.4
उत्तर प्रदेश	5,334	4,584	-750	-14.1	20,754	18,225	-2,529	-12.2
उत्तरांचल	596	596	0	0.0	2,264	2,231	-33	-1.5
उत्तरी क्षेत्र	20,080	18,855	-1,225	-6.1	73,864	69,110	-4,754	-6.4
छत्तीसगढ़	1,164	1,116	-48	-4.1	4,746	4,467	-279	-5.9
गुजरात	4,457	4,079	-378	-8.5	21,727	18,773	-2,954	-13.6
मध्य प्रदेश	2,428	2,358	-70	-2.9	11,430	10,170	-1,260	-11.0
महाराष्ट्र	8,247	7,361	[illegible]	-10.7	37,287	30,647	-6,640	-17.8
दमन और दीव	139	125	-14	-10.1	557	504	-53	-9.5
दादरा और नगर हवेली	260	260	0	0.0	1,076	1,076	0	0.0
गोवा	222	221	-1	-0.5	929	920	-9	-1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिमी क्षेत्र	16,917	15,520	-1,397	-8.3	77,752	66,557	-11,195	-14.4
आंध्र प्रदेश	5,259	5,096	-163	-3.1	20,561	19,453	-1,108	-5.4
कर्नाटक	3,058	3,031	-27	-0.9	12,924	12,609	-315	-2.4
केरल	1,203	1,191	-12	-1.0	5,105	4,993	-112	-2.2
तमिलनाडु	5,634	5,593	-41	-0.7	22,070	21,712	-358	-1.6
पांडिचेरी	161	161	0	0.0	641	641	0	0.0
लक्षद्वीप#	2	2	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	15,315	15,072	-243	-1.6	61,301	59,408	-1,893	-3.1
बिहार	734	680	-54	-7.4	2,980	2,754	-226	-7.6
डीवीसी	1,092	1,078	-14	-1.3	4,375	4,292	-83	-1.9
झारखंड	386	369	-17	-4.4	1,565	1,498	-67	-4.3
उड़ीसा	1,612	1,594	-18	-1.1	6,083	5,986	-97	-1.6
पश्चिम बंगाल	2,463	2,402	-61	-2.5	9,999	9,715	-284	-2.8
सिक्किम	21	20	-1	-4.8	84	82	-2	-2.4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#	20	15	-5	-25	80	60	-20	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	6,308	6,143	-165	-2.6	25,086	24,327	-759	-3.0
अरुणाचल प्रदेश	28	26	-2	-7.1	120	102	-18	-15.0
असम	445	420	-25	-5.6	1,557	1,442	-115	-7.4
मणिपुर	50	47	-3	-6.0	153	139	-14	-9.2
मेघालय	154	125	-29	-18.8	534	370	-164	-30.7
नागालैंड	24	19	-5	-20.8	93	72	-21	-22.6
त्रिपुरा	29	26	-3	-10.3	132	115	-17	-12.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	68	62	-6	-8.8	242	223	-19	-7.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	798	725	-73	-9.1	2,831	2,463	-368	-13.6
अखिल भारत	59,418	56,315	-3,103	-5.2	240,834	221,865	-18,969	-7.9

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड एलोन प्रणाली, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट:- उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

व्यस्ततमकालीन मांग/आपूर्ति (अनंतिम)

राज्य प्रणाली क्षेत्र	जुलाई, 2007				अप्रैल-जुलाई, 2007			
	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(:)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	264	264	0	0.0	275	275	0	0.0
दिल्ली	3,909	3,903	-6	-0.2	4,075	4,030	-45	-1.1
हरियाणा	5,000	4,433	-567	-11.3	5,000	4,583	-417	-8.3
हिमाचल प्रदेश	874	874	0	0.0	874	874	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	1,377	1,227	-150	-10.9	1,700	1,306	-394	-23.2
पंजाब	8,000	6,987	-1013	-12.7	8,000	7,052	-948	-11.9
राजस्थान	4,088	4,088	0	0.0	4,792	4,792	0	0.0
उत्तर प्रदेश	9,000	8,264	-736	-8.2	9,228	8,328	-900	-9.8
उत्तरांचल	1,054	1,054	0	0.0	1,099	1,080	-19	-1.7
उत्तरी क्षेत्र	32,072	29,414	-2,658	-8.3	32,072	29,414	-2,658	-8.3
छत्तीसगढ़	2,064	1,823	-241	-11.7	2,266	1,853	-413	-18.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	9,642	7,982	-1,660	-17.2	10,728	8,376	-2,352	-21.9
मध्य प्रदेश	4,172	4,151	-21	-0.5	5,932	4,829	-1,103	-18.6
महाराष्ट्र	15,127	11,242	-3,885	-25.7	18,441	12,837	-5,604	-30.4
दमन और दीव	218	199	-19	-8.7	218	199	-19	-8.7
दादरा और नगर हवेली	433	398	-35	-8.1	433	398	-35	-8.1
गोवा	404	376	-28	-6.9	457	408	-49	-10.7
पश्चिमी क्षेत्र	30,397	24,268	-6,129	-20.2	36,371	26,732	-9,639	-26.5
आंध्र प्रदेश	8,410	7,866	-544	-6.5	9,701	8,641	-1,060	-10.9
कर्नाटक	4,850	4,715	-135	-2.8	6,583	5,506	-1,077	-16.4
केरल	2,556	2,545	-11	-0.4	2,764	2,711	-53	-1.9
तमिलनाडु	8,716	8,561	-155	-1.8	8,776	8,591	-185	-2.1
पांडिचेरी	245	245	0	0.0	276	276	0	0.0
लक्षद्वीप#	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिण क्षेत्र	24,083	23,207	-876	-3.6	25,682	24,194	-1,488	-5.8
बिहार	1,493	1,243	-250	-16.7	1,493	1,243	-250	-16.7
डीवीसी	1,733	1,715	-18	-1.0	1,787	1,757	-30	-1.7
झारखंड	660	651	-9	-1.4	672	672	0	0.0
उड़ीसा	2,725	2,669	-56	-2.1	2,725	2,669	-56	-2.1
पश्चिम बंगाल	4,763	4,714	-49	-1.0	4,887	4,854	-33	-0.7
सिक्किम	45	45	0	0.0	45	45	0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#	40	32	-8	-20	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	10,874	10,510	-364	-3.3	10,874	10,562	-312	-2.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	78	57	-21	-26.9	81	57	-24	-29.6
असम	799	707	-92	-11.5	829	707	-122	-14.7
मणिपुर	100	90	-10	-10.0	100	90	-10	-10.0
मेघालय	388	278	-110	-28.4	404	278	-126	-31.2
मिजोरम	60	52	-8	-13.3	77	52	-25	-32.5
नागालैंड	82	82	0	0.0	82	82	0	0.0
त्रिपुरा	142	141	-1	-0.7	147	141	-6	-4.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,589	1,343	-246	-15.5	1,589	1,343	-246	-15.5
अखिल भारत	99,015	88,742	-10,273	-10.4	102,428	88,742	-13,686	-13.4

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड एलोन प्रणाली, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट:- उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने के प्रति अनिच्छा

41. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकारियों ने उग्रवाद तथा नक्सवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों द्वारा उग्रवाद और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती की अनिच्छा व्यक्त करने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

जल विद्युत संयंत्रों पर हिमपर्दों के पिघलने का प्रभाव

42. श्री दुष्यंत सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के हिमनदों के पिघलने से देश के जल विद्युत संयंत्रों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) जल-विद्युत परियोजनाओं की आयोजना में जल संबंधी विश्लेषण पूर्व के अनुभव, अनुमानित वर्षा/रन-आफ आंकड़ों पर आधारित होती है। ग्लेशियरों के पिघलने से जल विद्युत संयंत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु, हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से ग्लेशियर-संपोषित नदियों का जल-विज्ञान प्रभावित हो सकता है।

जल संशाधन मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जियोलाजिकल सर्व आफ इंडिया ने ग्लेशियरों के पिघलने पर अध्ययन किए हैं और इन अध्ययनों के आधार पर ऐसा लगाता है कि ग्लेशियर खिसक रहे हैं। इसके मुख्य कारण असामान्य बर्फबारी, गर्मी के दौरान सामान्य से अधिक तापमान, शीत ऋतु में सामान्य से कम ठंढ़क या ये सभी हैं। यदि ग्लेशियरों के खिसकने में तेजी आ जाए, तो नदी के प्रवाह में थोड़ी कमी आ सकती है। किन्तु यहां यह कहना उचित है कि नदी .. वाह का बड़ा हिस्सा बर्फबारी और हिमपात से बनता है जिसके वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से बढ़ने की संभावना है। ग्लेशियरों के लगातार खिसकने से हिमालय की नदियों में पानी की थोड़ी कमी हो सकती है। किन्तु ग्लेशियर पिघलाव का वृहत हिस्सा जून-सितंबर की अवधि में छूटता है, जो मानसून का समय है। इस प्रकार ग्लेशियर के योगदान में होनेवाली आंशिक कमी की बेहतर मानसून के द्वारा क्षतिपूर्ति हो सकती है।

विद्युत उत्पादन तथा पेयजल एवं सिंचाई संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए मानसून महीनों के दौरान पर्याप्त जल संग्रहित करने के लिए, जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, स्थलों पर स्टौरेज परियोजनाएं निर्मित करने तथा जल विनियमित किए जाने की आवश्यकता है।

जन सुविधाओं को बंद किया जाना

43. **श्री अबु अयीश मंडल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में निम्न आय वर्गों तथा मलिन बस्तियों की कई जन सुविधाओं को बंद किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अब से सामुदायिक जन सुविधाओं संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या वैकल्पिक कार्रवाई की गई है?

ग्रामिण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू)) : (क) और (ख) स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं की समाप्ति से संबंधित जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत परियोजनाएं अनुमोदेत की जाती हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए, सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन शुरू किया है ताकि शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सुविधा कार्यक्रम (बीएसयूपी) के अंतर्गत 63 चुनिंदा शहरों में शहरों और नगरों की सहायता की जा सके। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शहरों और नगरों को जल आपूर्ति, मलजल, निकासी नालों, सामुदायिक शौचालयों, स्नान-गृहों इत्यादि से संबंधित परियोजनाओं सहित गंदी बस्तियों का उन्नयन शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। जिन शहरों में यह मिशन नहीं चलाया जा रहा है उन शहरों में गंदी बस्ती में रहने वालों के लिए आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान सहित गंदी बस्ती का उन्नयन करने के लिए समेकित आवास और गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया है। टीएससी, बीएसयूपी, आईएचएसडीपी तीनों कार्यक्रमों से संबंधित परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त की जाती हैं ताकि इन्हें केन्द्र सरकार स्तर पर स्वीकृत/अनुमोदित किया जा सके।

[हिन्दी]

सेरामिक टाइल्स पर शुल्क

44. **श्री वी.के. ठुम्मर :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाए जाने वाले सेरामिक ग्लेण्ड टाइल्स पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों पर उत्पाद शुल्क की छूट सीमा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आयातित सेरामिक टाइल्स पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) जी हां।

(ख) सेरामिक ग्लेज्ड टायल्स पर मूल्य के अनुसार 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तथापि, इस 16 प्रतिशत (सेनवैट क्रेडिट सहित) की दर की जगह 8 प्रतिशत (सिनवैट क्रेडिट के बिना) का रिआयती उत्पाद शुल्क उन सभी सेरामिक टायल ईकाईयों पर लगाया जाता है जो अपनी भट्ठी को जलाने के लिये बिजली का प्रयोग नहीं करती हैं। हालांकि लघु उद्योग ईकाईयों के लिए विनिर्दिष्ट की गई सामान्य छूट योजना के अंतर्गत सिरामिक टायल्स को शामिल नहीं किया गया है। सिरामिक ग्लेज्ड टायल्स का विनिर्माण करने वाली लघु उद्योग ईकाईयों के पास विकल्प है कि वे चाहे तो सिनवैट क्रडिट के बिना 8% का उत्पाद शुल्क जमा करें या सिनवैट के साथ 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क दें।

(ग) लघु उद्योगों को दी गई छूट से संबंधित योजना को सिरामिक टायलों पर भी लागू किये जाने के लिये सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सिरामिक टायल्य पर 10% की आधारभूत कस्टम्स ड्यूटी (बी सी डी) 16% की सी वी ड्यूटी जो कि उत्पाद शुल्क के बदले में लगायी जाती है, और 4 प्रतिशत की अतिरिक्त कस्टम्स ड्यूटी (ए सी डी), जो कि उत्पाद कर योग्य सामानों तथा आयातित सामानों पर राज्यों द्वारा लगाये गये राज्य कर/स्थानीय कर आदि और इन पर कुल उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के 3% की दर से लगाये जाने वाले शिक्षा उपकर के अलावा है, लगायी जाती है। तथापि, जब सिरामिक टायल्स का विभिन्न वरीयताओं या मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत आयात किया जाता है। तो इस पर 10% से कम का रिआयती आधारभूत सीमा शुल्क लगाया जाता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाएं

45. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा कुछ जल विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य, स्थान, कुल परिव्यय, संस्थापित क्षमता, सर्वेक्षण तथा कार्य के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां। जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सूचित किया गया है, वर्तमान में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम जो कि पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड से संबद्ध है को छोड़कर) में विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं निष्पादन किया जा रहा है:-

क्र.सं.	संगठन का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की परियोजनाएं			
	निष्पादनाधीन			
1.	सुबनसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	2000	

1	2	3	4	5
	स्वीकृति प्रदान की गई है, निवेश निर्णय की प्रतीक्षा है			
2.	लोकतक डी/एस	मणिपुर	66	
	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है			
3.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	3000	
	सर्वेक्षण एवं जांच (एस एवं आई) के अंतर्गत			
4.	तवांग-I	अरुणाचल प्रदेश	750	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 2008 तक तैयार की जाएगी
5.	तवांग-II	अरुणाचल प्रदेश	750	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 2008 तक तैयार की जाएगी
6.	सुबनसिरी अपर	अरुणाचल प्रदेश	2000	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) समस्या
7.	सुबनसिरी मध्य	अरुणाचल प्रदेश	1600	एमओईएफ समस्या
	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) की परियोजनाएं			
	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन			
1.	एटालिन	अरुणाचल प्रदेश	4000	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जून 2009 तक तैयार की जाएगी
2.	अत्तुनली	अरुणाचल प्रदेश	500	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जून 2009 तक तैयार की जाएगी
	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) की परियोजनाएं			
	कार्यान्वयनाधीन			
1.	कमेंग	अरुणाचल प्रदेश	600	
2.	तुरियल	मिजोरम	60	कार्य वर्तमान में रूका हुआ है
	स्वीकृति प्रदान की गई है, निवेश निर्णय की प्रतीक्षा है			
3.	तिपाइमुख	मनिपुर	1500	

1	2	3	4	5
	डीपीआर तैयार की गई है			
4.	पारे	अरुणाचल प्रदेश	110	
5.	मावहू	मेघालय	90	
	सर्वेक्षण एवं जांचाधीन			
6.	भरेली-I	अरुणाचल प्रदेश	1120	एमओईएफ समस्या

निर्धारित लक्ष्य, स्थान, कुल परिव्यय, अधिष्ठापित क्षमता, सर्वेक्षण एवं जांच की वर्तमान स्थिति तथा प्रत्येक परियोजना का निष्पादन कार्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इन सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का एक व्यापक अध्ययन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ईआईए. अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना के निर्माण को आरंभ करने से पूर्व एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) किए जाने तथा विभिन्न वैधानिक एजेंसियों की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र में स्कीम के ब्यौरे

क्र. सं.	स्कीम का नाम	क्षमता (मे.वा.)	नदी	राज्य	जिला	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सुबानसिरी लोअर	2000	सुबानसिरी	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	स्टोरेज	निष्पादनाधीन। 2011-12 में शुरू होने की संभावना है। 16.7.2003 को पर्यावरण द्वारा स्वीकृत और 12.10.2004 को वन द्वारा स्वीकृत। नवीनतम लागत 6176.81 करोड़ रुपये
2.	तवांग-I	750	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	तवांग	आरओआर	एनएचपीसी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच संशोधित एमओए 24.6.2007 को हस्ताक्षरित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रस्तावित स्थलों में पूर्वनिर्माण गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अप्रैल, 06 मूल्य स्तर

1	2	3	4	5	6	7	8
							(पीएल) पर 3172.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी निर्धारित है।
3.	तवांग-II	750	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	तवांग	आरओआर	एनएचपीसी और अरूणाचल प्रदेश सरकार के बीच संशोधित एमओए 24.6.2007 को हस्ताक्षरित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रस्तावित स्थलों में पूर्वनिर्माण गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अप्रैल, 06 मूल्य स्तर (पीएल) पर 3008.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी निर्धारित है।
4.	सुबानसिरी मिडिल	1600	कमला	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	स्टौरेज	जून, 02 मूल्य स्तर पर 6406.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत। स्थल स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं की गई है। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय नैशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) में लंबित है।
5.	सुबानसिरी अपर	2000	सुबानसिरी	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	स्टौरेज	जून, 02 मूल्य स्तर पर 8753.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत। स्थल स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं की गई है। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय नैशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) में लंबित है।
6.	दिबांग एमपीपी	3000	दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	दिबांग	स्टौरेज	नवम्बर, 05 मूल्य स्तर पर 14530.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लिए विस्तृत

1	2	3	4	5	6	7	8
							परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। एमओए 24.6.2007 को हस्ताक्षरित किया गया है। ईओए/ईएसपी रिपोर्ट 13.2.07 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।
7.	लोकतक डी/एस	66	लोकतक	मणिपुर	तामेंगलॉग	आरओआर	परियोजना को अक्टूबर, 06 मूल्य स्तर पर 867.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए नवम्बर, 2006 में स्वीकृति प्रदान की गई थी।
एनटीपीसी							
8.	इटालिन	4000	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	आरओआर	सर्वेक्षण एवं जांच के अंतर्गत सितम्बर, 06 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। जून, 03 मूल्य स्तर पर 14069.14 करोड़ की अनुमानित लागत। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी जून, 09 में निर्धारित है।
9.	एटूलिनी	500	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	आरओआर	सर्वेक्षण एवं जांच के अंतर्गत सितम्बर, 06 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। जून, 03 मूल्य स्तर पर 2725.26 करोड़ की अनुमानित लागत। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी जून, 09 में निर्धारित है।
नीपका							
10.	कामेंग	600	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी कामेंग	स्टोरेज	निष्पादनाधीन। नवीनतम लागत 2496.90 करोड़ रुपये। 2010-11 में शुरू होने की संभावना है।
11.	तूरियल	60	तूरियल	मिजोरम	आईजोल	आरओआर	नवीनतम अधिक मूल्य 689.81 करोड़ रुपये है। तूरियल क्राप कम्पेनशेसन क्लेमेंट (टीसीसीए)

1	2	3	4	5	6	7	8
							द्वारा स्थानीय आंदोलन के कारण कार्य रुका हुआ है जो कि फसल मुआवजे के विरूद्ध भुगतान की मांग करते हैं। कानून एवं न्याय स्थिति तथा परियोजना की लागत में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता एवं निरंतरता के मामले की समीक्षा विद्युत मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
12.	भरेली-I	1120	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी कामेंग	आरओआर	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समस्या (टाइगर आरक्षित क्षेत्र) सर्वेक्षण एवं जांच शुरू की जायेगी। नवम्बर, 03 मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत 3372.45 करोड़ रुपये।
13.	पारे	110	डिकरांग	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपारे	आरओआर	दिसम्बर, 05 मूल्य स्तर पर 624.87 करोड़ रुपये की अनुमानिर लागत के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
14.	माहू	90	उमियू	मेघालय	ईस्ट खासी हिल्स	आरओआर	मार्च, 07 मूल्य स्तर पर 408.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
15.	तिपाईमुख	1500	बराक	मणिपुर	चूराचंद	स्टौरेज	परियोजना को दिसम्बर, 02 मूल्य स्तर पर 5163.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए जुलाई 2003 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। संशोधित लागत दिसम्बर, 04 मूल्य स्तर पर मई, 05 में 6701.97 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत की गई। दूसरी पीआईबी 31.1.06 को हुई। इसे एमओईएफ द्वारा अभी स्वीकृत किया जाना है।
	कुल	16146					

उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होना

46. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें मंत्रालयों तथा सांविधिक निकायों से पूर्ववर्ती किस्तों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना उन्हें निधियां जारी कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2004-05 में परमाणु ऊर्जा, गृह, नागर विमानन, रसायन एवं पेट्रोरसायन, वित्त, विधि एवं न्याय और पर्यटन मंत्रालय/विभाग द्वारा 258 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र जिनमें कुल 88.48 करोड़ रुपए की राशि अंतर्निहित थी, प्राप्त किए बिना कुल 147.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय/विभाग और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 322 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र जिनमें 71.38 करोड़ रुपए की राशि अंतर्निहित थी, प्राप्त किए बिना 56.72 करोड़ रुपए के अनुदान जारी किए गए थे।

(ग) सामान्य वित्त नियमावली, 2005 के नियम 212(1) के अनुसार अनावर्ती अनुदानों के संबंध में यह अनिवार्य है कि ऐसे अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान/संगठन को वित्त वर्ष समाप्त होने के 12 माह के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देने चाहिए और ऐसा न करने पर मंत्रालय/विभाग के पास यह विकल्प रहता है कि वह सरकार से भविष्य में किसी प्रकार का अनुदान दिए जाने के लिए ऐसी संस्था अथवा संगठन को काली सूची में डालकर उसे अनुदान से वंचित कर दे। इसके अतिरिक्त, आवर्ती अनुदानों के संबंध में, मंत्रालयों/विभागों को परवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए स्वीकृत राशि तभी जारी करनी चाहिए जब कि पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संबंध में अनंतिम आधारपर आयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हों। परवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कुल राशि के 75% से अधिक का सहायता अनुदान तभी जारी किया जाएगा जबकि पिछले वर्ष में जारी किए गए सहायता अनुदान से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र और वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उसकी संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत कर दिए गए हों।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठनों/सांविधिक निकायों/संस्थाओं को अनुदान जारी करने से पूर्व सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए। वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने का परामर्श देता रहा है कि पिछले अनुदानों के संबंध में जब तक उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाएं, नए अनुदान जारी न किए जाएं।

[हिन्दी]

बैंकों में डकैती

47. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सरकार के नियंत्रणाधीन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2004, 2005, 2006 और जून 2007 तक के दौरान राज्यवार डकैती की घटनाएं और उनमें शामिल लूट की रकम संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी

मुख्य रूप से बैंकों की है। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति बैठकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है। बैंकरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों का इन बैठकों में भाग लेना जरूरी है। समिति राज्य में सुरक्षा माहौल का जायजा लेती है तथा बैंकों को आवश्यक निर्देश देती है। भारतीय बैंक संघ ने "बैंकों में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के लिए कार्य समूह की रिपोर्ट" शीर्षक से, रिपोर्ट के रूप में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट में किसी शाखा के जोखिम का मूल्याकंन करने के उपाय दिए गए हैं और शाखा की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा गार्डों की संख्या तय की गयी है। बैंकों ने जोखिम के कारणों के आधार पर शाखाओं का वर्गीकरण किया है और जहां जरूरी है वहां सशस्त्र गार्डों की तैनाती की है और चोरी/डकैती रोकने के उपकरण लगाए हैं। शाखाओं में सुरक्षा प्रबंधों के लिए अन्य सुरक्षा उपक्रमों के अलावा अलार्म प्रणाली, टाइम लाक उपकरण और सीसीटीवी प्रणाली भी मुहैया करवाई गयी है।

विवरण

2004, 2005, 2006 और जून, 2007 तक के दौरान डकैती की राज्यवार घटनाएं

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	2004		2005		2006		2007 (जनू तक)	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1	5.00	2	67.36	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	20.00	0	0	0	0
असम	0	0	2	4.50	5	16.89	0	0
बिहार	20	179.60	19	69.93	14	62.00	4	24.60
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	5.00	2	6.05
गुजरात	2	4.73	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	3	6.99	8	35.76	0	0	1	1.30
जम्मू एवं कश्मीर	1	36.67	2	28.19	0	0	0	0
झारखंड	11	83.58	7	43.30	10	64.74	5	6.13
कर्नाटक	0	0	0	0	1	7.70	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	2	3.12	2	5.77
महाराष्ट्र	1	2.57	5	32.71	0	0	1	10.00
उड़ीसा	1	12.68	4	40.84	6	56.10	3	253.94
पंजाब	2	17.55	3	71.47	5	9.41	1	7.00
राजस्थान	0	0	3	29.65	0	0	1	1.70
तमिलनाडु	0	0	1	10.00	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1	6.49	3	9.83	5	46.12	2	3.88
उत्तरांचल	2	32.02	2	4.41	0	0	1	6.22
पश्चिम बंगाल	7	66.22	7	144.83	7	55.06	4	60.20
कुल	52	454.10	70	582.78	56	326.14	27	386.79

उपर्युक्त आंकड़े बैंकों के हैं। वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय शहरी नीति

48. श्री महेश कनोडीया :
श्री अधीर चौधरी :
श्री उदय सिंह :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के शहरी क्षेत्रों के व्यापक एवं नियमित विकास के लिए एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय शहरी नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस नीति हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) यह नीति कब तक क्रियान्वित की जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय शेयर बाजार में बड़ी और लघु संस्थाओं की शेयरधारिता

49. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

श्री रामजीलाल सुमन :

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शेयर बाजार में प्रमुख घरेलू और विदेशी वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य निकायों सहित निवेशकों की शेयर पूंजी चिन्ताजनक स्तर पर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त बाजार में छोटे भारतीय निवेशकों की शेयर पूंजी का स्तर दयनीय ही रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के लिए सुविधाएं

50. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री काशीराम राणा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001 की जनगणना के आधार पर अहमदाबाद को वृहत शहर और वडोदरा एवं सूरत को दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वृहत शहर और दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के रूप में वर्गीकृत होने की वजह से उक्त शहरों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक उक्त शहरों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सुविधाओं को प्रदान करने पर कुल कितना व्यय हुआ है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। 2001 की जनगणना के आधार पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अहमदाबाद को मेगा शहर के रूप में तथा वडोदरा व सूरत को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रखा गया है।

(ख) शहरी अवस्थापना व शासन संबंधी उप मिशन के अंतर्गत, निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाएं सहायता हेतु स्वीकार की जाएंगी:

(i) शहरी नवीकरण अर्थात आंतरिक (पुराने) शहरी क्षेत्रों का पुनर्विकास (इसमें तंग गलियों को चौड़ा करना, भीड़भाड़ कम करने के लिए औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नान-कन्फोर्मिंग से कन्फोर्मिंग क्षेत्रों में स्थानांतरित करना, पुरानी व टूटी-फूटी पानी की पाइपों के स्थान पर नई/अधिक क्षमता वाली पानी की पाइपें बिछाना, सीवरेज/ जल निकासी/कचरा निपटान प्रणाली आदि का नवीकरण आदि शामिल है)।

(ii) जल आपूर्ति (डिसेलीनेशन संयंत्र सहित) तथा सफाई प्रबंध।

(iii) सीवरेज तथा कचरा निपटान।

(iv) नालों/बरसाती पानी की नालियों का निर्माण एवं मरम्मत।

(v) सड़कें, राजमार्ग/एक्सप्रेसवे/एमआरटीएस/मेट्रो परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन।

(vi) सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर पार्किंग स्थल/ क्षेत्र।

(vii) हेरीटेज क्षेत्रों का विकास।

(viii) मृदा अपरदन/भूस्खलन, केवल उन विशेष श्रेणी वाले राज्यों में जहां ये समस्याएं सामान्य हैं, की रोकथाम तथा पुनर्वास।

(ix) जल निकायों का संरक्षण।

(ग) और (घ) अब तक उक्त नगरों में 39 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई हैं। अब तक 21211.05 लाख रु. की केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है। विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने के लिए अनुमोदित केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाइओवर/रोड ओवर ब्रिज	कुलुपुर स्टेशन और नरोदा के बीच अहमदाबाद हिम्मतनगर एमजी रेलवे लाइन पर ओंकार क्रासिंग के पास एलसी सं. 5 क के बदले में 4 लेन के आरओबी का निर्माण	1851	647.85	161.96	22/01/2007	161.96	14/02/2007
2.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाइओवर/रोड ओवर ब्रिज	मनीनगर और वत्वा रेलवे स्टेशन के बीच ब्राडगेज रेलवे लाइन के ऊपर दक्षिणी सोसायटी के नजदीक 132 फीट रेलवे और ब्रिज का निर्माण	2144	750.4	187	22/01/2007	187.00	14/02/2007
3.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाइओवर/रोड ओवर ब्रिज	122 फीटर रिंग रोड पर श्रेयास क्रासिंग पर अहमदाबाद बटाउ एमजी रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	1212	424.2	106	26/05/2006	106.00	14/06/2006
4.	गुजरात	अहमदाबाद	-वही-	बसना और पिराना 122 रोड को जोड़ने के लिए साबरमती नदी के ऊपर चार लेन वाले पुल का निर्माण	2955	1034.25	258.5	26/05/2006	258.50	14/06/2006
5.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाइओवर/रोड ओवर ब्रिज	वत्वा और मनीनगर स्टेशन के बीच अंबिका ट्यूब क्रासिंग पर अहमदाबाद-मुंबई ब्राड गेज रेलवे लाइन पर सं. 306 के स्थान पर 4 लेन के आरओबी का निर्माण	1500	525	131	22/01/2007	131.00	14/02/2007
6.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यूटीपी तक पाइप लाइन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एमएलडी इनेटक वैल, रसाका में जल शोधन संयंत्र	5383.25	18841.37	471	21/03/2006	300.00	29/03/2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	पिराना में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	6922	2422.7	605.68	28/06/2006	605.68	19/07/2006
8.	गुजरात	अहमदाबाद	-वही-	बसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	1135	397.25	99.31	28/06/2006	99.31	19/07/2006
9.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत जल परिवहन प्रणाली	बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली-बीआरटी रोडवे के 12 किमी. लंबे विस्तार (प्रथम चरण का विस्तार-I) का निर्माण तथा शेष विस्तार का विस्तृत अध्ययन करना व इंजीनियरिंग	8760	306.6	766.5	11/08/2006	766.50	14/09/2006
10.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/ फ्लाइओवर/ रोड ओवर ब्रिज	अहमदाबाद में सोला (एईसी) जंक्शन पर 6 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	1857	649.95	162	22/01/2007	162.00	14/02/2007
11.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/ फ्लाइओवर/ रोड ओवर ब्रिज	साबरमती-विरामगम ब्राड गेज रेलवे लाइन अहमदाबाद पर 4 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	2011	703.85	175	22/01/2007	175.00	14/02/2007
12.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/ फ्लाइओवर/ रोड ओवर ब्रिज	शिवरंजनी जंक्शन अहमदाबाद में 4 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	1670	584.5	146	22/01/2007	146.00	14/02/2007
13.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/ फ्लाइओवर/ रोड ओवर ब्रिज	नेमनगर जंक्शन अहमदाबाद में 6 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	1513	529.55	137.5	22/01/2007	137.50	14/02/2007
14.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	एयूडीए क्षेत्र में मेजर और माइनर रेडियल रोड फेज-I का निर्माण	5013	1754.55	438	22/01/2007	438.00	14/02/2007
15.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकासी/ बरसाती जल निकासी	एमएमसी क्षेत्र के प. जोन के लिए बरसाती पानी की निकासी	5914	2069.9	517.47	19/09/2006	517.47	13/10/2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकासी/ बरसाती जल निकासी	एएमसी क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिण व केन्द्रीय जोन के लिए बरसाती पानी की निकासी प्रणाली	12088	4230.8	1057.7	25/10/2006	1057.70	20/12/2006
17.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकासी/ बरसाती जल निकासी	अहमदाबाद के एएमसी क्षेत्र के उत्तर व पूर्वी जोन के लिए बरसाती पानी की निकासी प्रणाली	12283	4299.05	1074.76	25/10/2006	1074.76	20/12/2006
18.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत जल परिवहन प्रणाली	बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (46 किमी. का विस्तार)	40572	14200.2	3550.05	10/06/2006	3550.05	15/12/2006
19.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	पूर्व एयूडीए क्षेत्र के लिए टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और बीनकोल के निकट सीवेज शोधन प्लांट	3681.26	1288.441	322.11	02/02/2007	128.84	22/02/2007
20.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	पश्चिम एयूडीए क्षेत्र टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन तथा बसना के निकट सीवेज शोधन संयंत्र	10692.01	3742.204	935.55	02/02/2007	935.55	21/03/2007
21.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	बामरोली में सेकंडरी सीवेज शोधन संयंत्र	1322.47	661.235	165.31	26/05/2006	165.31	14/06/2006
22.	गुजरात	सूरत	जल आपूर्ति	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसू शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	1919	959.5	239.8	05/10/2006	239.80	08/06/2006
23.	गुजरात	सूरत	-वही-	पालपालनपुर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	995	497.5	124.3	05/10/2006	124.30	08/06/2006
24.	गुजरात	सूरत	सड़क/ फ्लाइओवर/ रोड ओवर ब्रिज	डबोली को जहांगीरपुरा से जोड़ने के लिए तापी नदी के ऊपर पुल	6500	3250	812.5	10/05/2006	812.50	08/06/2006
25.	गुजरात	सूरत	जल निकासी/ बरसाती जल निकासी	वेसू क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी प्रणाली	4995	2497.5	624.38	28/06/2006	624.38	19/07/2006
26.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	1098	549	137	27/03/2006	137.00	29/03/2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	गुजरात	सूरत	सड़क/ फ्लाइओवर/ रोड ओवर ब्रिज	कपोधरा फायर स्टेशन पर फ्लाई ओवर ब्रिज	932	466	116.5	22/01/2007	116.50	14/02/2007
28.	गुजरात	सूरत	सड़क/ फ्लाइओवर/ रोड ओवर ब्रिज	नानावराक्षा के नजदीक फ्लाई ओवर ब्रिज	758	379	94.75	22/01/2007	94.75	14/02/2007
29.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	अदजान सीवरेज की क्षमता बढ़ाना	1193	596.5	149	27/03/2006	149.00	29/03/2006
30.	गुजरात	सूरत	-वही-	भेसान सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाना	1509	754.5	188	27/03/2006	188.00	29/03/2006
31.	गुजरात	सूरत	-वही-	वेसू क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	3437	1718.5	429.63	28/06/2006	429.63	19/07/2006
32.	गुजरात	सूरत	-वही-	पाल-पालनपुर क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	2128	1064	266	28/06/2006	266.00	19/07/2006
33.	गुजरात	सूरत	ठोस कचरा प्रबंधन	सूरत में कचरा निपटान में सुधार	5249.72	2624.86	656.22	26/03/2007	656.22	08/05/2007
34.	गुजरात	सूरत	जल आपूर्ति	सरथाना, कटारगम तथा रंदेर में एसएमसी के जल निर्माण कार्यों में सुधार	14068.65	7034.325	1758.58	26/03/2007	1758.58	08/05/2007
35.	गुजरात	सूरत	जल निकासी/ बरसाती जल निकासी	एसएमसी क्षेत्र के लिए सूरत नगर की बरसाती पानी की निकासी प्रणाली	13382.54	6691.27	1672.81	20/04/2007	1672.81	13/06/2007
36.	गुजरात	वडोदरा	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति स्रोत को बढ़ाना	4105	2052.5	513.13	28/06/2006	513.13	19/07/2006
37.	गुजरात	वडोदरा	जल निकासी/ बरसाती जल निकासी	वडोदरा सिटी की बरसाती पानी की निकासी प्रणाली	14594.56	7297.28	1824.32	22/02/2007	1824.32	08/05/2007
38.	गुजरात	वडोदरा	सीवरेज	वडोदरा सिटी के लिए सीवरेज प्रणाली	10514.93	5257.465	1314.37	22/01/2007	500.00	20/02/2007
				योग (लाख रु. में)	217858.4	89555.72	22389.69		21211.05	

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

51. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने देश में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जैसा कि दिनांक 27 जुलाई, 2007 के ''बिजनेस लाइन'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) एनटीपीसी लि. ने नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन शुरू करने के लिए 23 जुलाई, 2007 को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनटीपीसी लि. तथा एडीबी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एनटीपीसी लि. एवं (अन्य सरकारी इकाईयां) द्वारा 50% तक की इक्विटी शेयर होल्डिंग तथा शेष इक्विटी शेयर होल्डिंग अन्य कुशल निवेशकों द्वारा प्रदान करते हुए एक संयुक्त उद्यम गठित करना है। कुशल निवेशकों का चयन एनटीपीसी लि. तथा एडीबी द्वारा किया जाएगा। कुछ शर्तों को पूरा करने के पश्चात् एडीबी द्वारा बाद में 20% स्टेक अधिग्रहण किए जाने की आशा है।

संयुक्त उद्यम कंपनी एक जेनरेटिंग कंपनी होगी तथा अगले तीन वर्षों में लगभग 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन एवं स्वामित्व रखेगी। आरंभ में व्यवसाय के अंतर्गत मुख्य रूप से पवन विद्युत, लघु एवं अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, किंतु बाद में इसके अंतर्गत औद्योगिक सह-उत्पादन, अवशिष्ट से तैयार ऊर्जा, सौर, भू-तापीय, जैवकीय कचरा तथा जैव ईंधन परियोजना जैसे नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्रोतों को भी शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाएं

52. **श्री रामदास आठवले :**
श्री जुएल ओराम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने देश में अपने ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रत्येक राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र का निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक विद्युत उत्पादन कितना है;

(ग) क्या उड़ीसा में कानिहा ताप विद्युत संयंत्र ने उक्त अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा आंतरिक निष्पादन की समीक्षा नियमित आधार पर की जाने वाली समीक्षा का अभिन्न अंग है और नवरत्न कंपनियों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी लि. के निष्पादन की तिमाही समीक्षा की जाती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी लि. द्वारा किया गया विद्युत उत्पादन संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान के.वि.प्रा. द्वारा तय लक्ष्यों की तुलना में तलचर कानिहा विद्युत केन्द्र में 154 मिलियन यूनिट उत्पादन कम हुआ, जिसके पीछे कोयला आपूर्ति में कमी रहने का कारण निहित था। तलचर कानिहा के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए के.वि.प्रा. और विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयले के आयात पर कड़ी निगरानी के रूप में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लक्षित विद्युत उत्पादन हासिल किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तलचर कानिहा को प्राप्त हुए देशी एवं आयातित कोयले की मात्रा संबंधी विवरण निम्नवत है-

वर्ष	देशी कोयला (एमटी)	आयातित कोयला (एमटी)
1	2	3
2004-05	1,15,41,626	शून्य
2005-06	1,32,16,660	16,03,539
2006-07	1,57,08,788	7,31,712

परिणामतः, तलचर कानिहा ताप विद्युत संयंत्र ने के.वि.प्रा. द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 की अवधि के लिए तय विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

विवरण

एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों का निष्पादन

के.वि.प्रा. द्वारा तय लक्ष्य एवं वास्तविक विद्युत उत्पादन

2004-05, 2005-06 व 2006-07

स्टेशन	राज्य	2006-07		2005-06		2004-05	
		सीईए लक्ष्य	वास्तविक	सीईए लक्ष्य	वास्तविक	सीईए लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं							
सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	15100	14687	14655	15503	15200	15803
कोरबा	छत्तीसगढ़	15880	16500	15700	16001	16050	17050
रामागुंडम	आंध्र प्रदेश	19515	20248	19019	19691	16800	17172
फरक्का	पश्चिम बंगाल	11953	11399	11250	11464	10992	9701
विंध्याचल	मध्य प्रदेश	17842	20150	16940	18305	16800	17821
रिहंद	उत्तर प्रदेश	15175	16100	10868	10591	8050	7989
ऊंचाहार	उत्तर प्रदेश	7020	7559	6300	7041	6300	6781
एनसीटीपी (दादरी)	उत्तर प्रदेश	6490	7041	6340	6768	6300	6831
कहलगांव	बिहार	7240	6579	6180	6572	5950	6082
तालचेर (कानिहा)	उड़ीसा	22818	23656	20283	21185	16400	16246
तालचेर (थर्मल)	उड़ीसा	3377	3550	3034	3530	2850	3197
टांडा	उत्तर प्रदेश	3000	3513	2930	3330	2800	3318

1	2	3	4	5	6	7	8
सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	7570	8068	7500	7742	7500	8123
बदरपुर	दिल्ली	5250	5306	5209	5380	5400	5463
जीए/तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाएं							
अंता	राजस्थान	2770	2941	2739	2809	2950	2785
औरैया	उत्तर प्रदेश	4400	4614	4210	4282	4350	4118
दादरी	उत्तर प्रदेश	5500	5596	5112	5394	5450	5457
फरीदाबाद	हरियाणा	2850	2831	2656	2953	2900	3162
कवास	गुजरात	3700	3629	3300	2884	4000	2822
गांधार	गुजरात	4300	4555	3868	4478	3300	4032
कायमकुलम	केरल	1480	1137	1574	358	2050	622

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन

53. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री निखिल कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रहण में बहुत गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद शुल्क के संग्रहण में भारी गिरावट के लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचकों पर लगाम लगाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। गत वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क के संग्रहण में 5.8% और चालू वित्त वर्ष (जून तक) 6.0% (अनंतिम) की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को नियंत्रित करने के लिए उठाये गये कदमों ये शामिल हैं:

- अवरोधक उपाय जिसमें उन निर्धारितियों पर कतिपय प्रतिबंध लगाये गये हैं जिनके खिलाफ 10 लाख रु. से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले दर्ज हैं।
- व्यापार और उद्योग में जागरूकता बढ़ाने के अवरोधक प्रावधानों का प्रचार करना।
- उच्च प्रभाव वाली लेखा परीक्षा को लेना।
- मुखबिर नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
- विशेष इकाइयों, विशेष क्षेत्रों और विशेष उद्योगों के लिए रणनीतिक आसूचना का विकास करना।
- कार्य प्रणाली परिपत्रों को जारी करके आसूचना का प्रचार।

त्वरित परिवहन प्रणाली

54. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**

श्री सुग्रीव सिंह :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल पर स्थानीय उपकर लगाकर देश के विभिन्न शहरों में त्वरित परिवहन प्रणाली के लिए अवसंरचना में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस परिवहन प्रणाली की स्थापना पर होने वाले खर्च का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) इस समय, ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे और मझौले कस्बों (1-5 लाख आबादी वाले शहरों; 5 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों तथा 10 से 40 लाख तक की आबादी वालों शहरों और 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) की गतिशीलता की जरूरतों के लिए निवेश का आकलन किया गया है जिसमें पैदल चलने की व्यवस्था करने, गैर-मोटरयुक्त वाहनों, सड़कों की क्वालिटी में सुधार करने, कुछ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से भीड़-भाड़ खत्म करने, व्यस्त चौराहों का सुधार, पार्किंग स्थलों का प्रावधान करने, आधुनिक नगर बस सेवा शुरू करने, द्रुत जन परिवहन प्रणाली (सड़क/रेल आधारित) शुरू करने आदि में निवेश करना शामिल है। 11वीं योजना के दौरान इन विभिन्न श्रेणियों में अनुमानित निवेश की आवश्यकता इस प्रकार हैं :-

धनराशि की आवश्यकता	करोड़ रुपये में
1	2
परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	350
0.1-0.5 मिलियन शहर	7,400
0.5-1 मिलियन शहर	7,800
1-4 मिलियन शहर	26,040
4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर	21,000
मेगा शहरों के लिए द्रुत जन परिवहन (रेल आधारित)	32,000
नवीनतम आधुनिक बसें	38,000
कुल	1,32,590

[हिन्दी]

झारखंड में परिसीमन प्रक्रिया

55. **श्री हेमलाल मुर्मू : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को परिसीमन आयोग द्वारा की जाने वाली परिसीमन प्रक्रिया के संदर्भ में, विशेषकर झारखंड से लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में पूर्व स्थिति को बनाए रखने की जरूरत के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अब तक की गई परिसीमन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को, अन्य बातों के साथ, परिसीमन आयोग के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और वर्तमान में आरक्षित स्थानों की स्थिति में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्तावों/आदेशों को चुनौती देने वाले अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ अभ्यावेदनों में, यह भी मांग की गई कि परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में उचित यथास्थिति को बनाया रखा जाए। उदाहरणार्थ, असम के संबंध में यह मांग की गई है कि जब तक कि नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन/पूरा न कर

लिया जाए, परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, राज्य सभा ने राज्य में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में संकल्प पारित किया है। झारखंड के संबंध में राज्य ने, राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 28 स्थानों को कम करके 21 किए जाने और राज्य को आबंटित 6 संसदीय स्थानों को 4 करने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया है। तथापि, विभिन्न राज्यों के संबंध में परिसीमन आयोग के परिसीमन प्रस्तावों/आदेशों को अभी तक शेष बचे राज्यों के संबंध में परिसीमन आयोग की अधिसूचनाएं/आदेश जारी न होने के कारण क्रियान्वित नहीं किया गया है।

(ग) परिसीमन आयोग द्वारा 6 अगस्त, 2007 को उपलब्ध कराए गए ऐसे परिसीमन कार्य, जो पूरा हो गया है/चल रहा है, के संक्षिप्त ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परिसीमन कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा

क. ऐसे राज्य जहां परिसीमन कार्य पूरा हो गया है

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचना की तारीख
1	2	3
1.	गोवा	31-03-2005
2.	पांडिचेरी	31-03-2005
3.	त्रिपुरा	12-05-2005
4.	मिजोरम	27-05-2005
5.	केरल	31-05-2005
6.	राजस्थान	25-01-2006
7.	पश्चिमी बंगाल	15-02-2006
8.	छत्तीसगढ़	02-06-2006
9.	पंजाब	19-06-2006
10.	महाराष्ट्र	31-07-2006
11.	सिक्किम	04-09-2006
12.	दिल्ली	20-09-2006
13.	गुजरात	12-12-2006
14.	उड़ीसा	15-12-2006
15.	उत्तर प्रदेश	18-12-2006
16.	उत्तरांचल	28-12-2006
17.	हिमाचल प्रदेश	10-01-2007
18.	हरियाणा	15-02-2007
19.	आंध्र प्रदेश	03-05-2007
20.	मध्य प्रदेश	14-05-2007
21.	मेघालय	02-07-2007
22.	कर्नाटक	02-07-2007

ख. ऐसे राज्य जहां अंतिम अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जानी है

क्र.सं.	राज्य	वर्तमान स्थिति
1.	तमिलनाडु	आयोग ने 3 अगस्त, 2007 को अंतिम आदेश पारित किया है जिसे 13 अगस्त, 2007 को भारत के राजपत्र और तमिलनाडु के राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।
2.	झारखंड	अंतिम आदेश को अगस्त, 2007 में पारित किए जाने की संभावना है।
3.	बिहार	अंतिम आदेश को अगस्त, 2007 में पारित किए जाने की संभावना है।

ग. अन्य राज्यों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्थिति
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने रिट याचिका सं. 54, 55, 68 और 69/2007 में राज्य में परिसीमन कार्य को निलंबित करने का एक अंतरिम आदेश पारित किया है।
2.	असम	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने रिट याचिका सं. 62/2007 में राज्य में परिसीमन कार्य को निलंबित करने का एक अंतरिम आदेश पारित किया है।
3.	नागालैंड	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने, जनहित याचिका 67/2006 में अपने तारीख 19.07.2007 के अंतरिम आदेश में आयोग को यह निदेश दिया है कि वह आदेश की तारीख से 4 (चार) सप्ताह की अवधि तक, जब तक न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से मामले को निपटाने की आशा की जाती है, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10(2) के अधीन अंतिम अधिसूचना प्रकाशित न करें। चूंकि न्यायालय ने केवल आयोग के अंतिम आदेश का प्रकाशित किया जाना आस्थगित किया है और न कि परिसीमन कार्य इसलिए आयोग राज्य में परिसीमन कार्य जारी रखने का प्रस्ताव करता है।
4.	मणिपुर	गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तारीख 19.01.2007 के आदेश के परिणामस्वरूप मणिपुर के तीन पहाड़ी जिलों के संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा नई जनगणना की जानी थी। मणिपुर में परिसीमन कार्य को उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए आस्थगित रखा गया था। तथापि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा स्थगित कर दिया है। इसे देखते हुए परिसीमन कार्य को पुनः आरंभ किया गया है और 6 अगस्त, 2007 को सहबद्ध सदस्यों के साथ बैठक की गई है।

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र में सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी

56. श्री अडसराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरों व कस्बों में आवासों की उत्तरोत्तर मांग को पूरा करने हेतु प्राइवेट डेवलपर्स और बिल्डर्स को अपने साथ शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी हेतु समुचित माडल प्रस्तुत करने के लिए अग्रणी उद्योगपतियों, संस्थाओं और सिविल सोसायटी, आर्गेनाईजेशन्स से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र हेतु एक विनियामक की स्थापना करने की स्वीकृति दी है; और

(च) यदि हां, तो ऐसा विनियामक कब तक कार्यशील हो जाएगा?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय आवास एवं प्रवासन नीति 1998 में भूमि जुटाने, आवासों के निर्माण तथा प्रोजेक्ट में सुविधाओं का विकास करने में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) सभी के लिए सस्ता आवास विषय पर मुम्बई में 1 एवं 2 जून, 2007 को देश के आवास क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सरकार द्वारा किया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूंजीकरण

57. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रुग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पुनः सुदृढ़ीकरण पैकेज का 15 प्रतिशत प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कब तक पूर्णरूपेण पुनः पूंजीकरण किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) यह निर्णय लिया गया है कि ऋणात्मक शुद्ध मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चरणबद्ध तरीके से पुनः पूंजीकरण किया जाए। 31 मार्च, 2007 के लिए अनन्तिम आंकड़ों (गैर-लेखा परीक्षित) के अनुसार, ऋणात्मक शुद्ध मालियत वाले 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, जिनमें 11 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 18 एकल आधार वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल थे। पुनः पूंजीकरण के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शेयर बाजार में आतंकवादी गुटों की संलिप्तता

58. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या वित्त मंत्री शेयर बाजार में आतंकवादी गुटों के बारे में 02.03.2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 564 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक सभा पटल पर रख दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) एकत्र की गई सूचना के आधार पर, एक कार्यान्वयन रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा वह विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य सभा का 210वां सत्र, 2007

वित्त मंत्रालय **आर्थिक कार्य विभाग** **आश्वासन पूर्ति की तारीख :**

प्रश्न संख्या, तारीख और नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़, श्री देविदास पिंगले, श्रीमती निवेदिता माने, श्री ब्रजेश पाठक,	**शेयर बाजार में आतंकवादी गुट** (क) क्या शेयर बाजार में आतंकवादी गुट सक्रिय हैं;	(क) से (ङ) : सूचना संकलित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी	(क) से (ङ) : यह प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा 11 फरवरी, 2007 को सुरक्षा नीति संबंधी 43वें	निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा रहा है

1	2	3	4	5
श्री शैलेंद्र कुमार और श्री शिशुपाल एन. पटले द्वारा दिनांक 2.3.2007 को पूछा गया राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 564	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; (घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?		म्यूनिख सम्मेलन में दिए गए भाषण के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया प्रतीत होता है, जिसमें आतंकवादियों द्वारा निधियां जुटाने के लिए अपनायी गई विधियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्टाक बाजार प्रचालनों का जिक्र किया था। तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने यह स्पष्ट किया है कि भाषण में ऐसी संभावनाओं का जिक्र किया गया है किन्हीं विशिष्ट कंपनियों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।	

[अनुवाद]

समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन

59. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा समुद्री लहरों से सस्ती विद्युत उत्पादित करने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान में, सरकार द्वारा समुद्री लहरों से वाणिज्यिक आधार पर विद्युत उत्पादित करने की कोई योजना तैयार नहीं की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठन राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने केरल के विझिंझम में एक प्रायोगिक तरंग ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया है। इससे 20 से 30 किलो वाट बिजली उत्पादित की जा रही है। भारतीय तट पर तरंग ऊर्जा लागत प्रभावी नहीं है।

पी.एम.एल.ए. के अंतर्गत निर्यात धोखाधड़ी

60. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात धोखाधड़ी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार को ऐसे संशोधन से देश में गुप्त एवं संदेहास्पद लेन-देन को रोकने में किस हद तक मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) से (घ) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संशोधनों हेतु कई प्रस्ताव विभिन्न विभागों/एजेंसियों से प्राप्त हुए हैं। धनशोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 को जो "शुल्क अपवंचन अथवा निषेध" से संबंधित है, शामिल करना, ऐसे प्रस्तावों में से एक है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 को धनशोधन निवारण अधिनयम की अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद अपराधी पर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अपराध के अतिरिक्त धनशोधन के अपराध के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है।

स्थानीय बैंकों का विलय

61. श्री वी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय ऐसे स्थानीय बैंकों की पहचान की है जो कि विदेशी बैंकों द्वारा अधिग्रहण किए जाने की बजाय विलय व समेकन के लिए उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विलय एवं एकीकरण हेतु किसी स्थानीय क्षेत्र बैंक की पहचान नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित सभी बैंकों की कार्य प्रणाली की सतत् आधार पर निगरानी करता है। उपयुक्त उपचारात्मक उपाय, जब भी अपेक्षित हों, किए जाते हैं।

एन.टी.पी.सी. की गैस आधारित परियोजनाओं की न्यून विद्युत उत्पादन क्षमता

62. श्री उदय सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के गैस आधारित विद्युत संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी के गैस आधारित केंद्रों के निष्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार रहे-

वर्ष	घोषित क्षमता		निर्धारित विद्युत उत्पादन		विद्युत उत्पादन	पीएलएफ
	मिलियन यूनिट (मि.यू.)	%	(मि.यू.)	%	(मि.यू.)	%
2006-07	27230	87.61	23352	75.13	24166*	75.42
2005-06	27735	89.24	22207	71.54	22800*	71.16
2004-05	26548	85.42	21911	70.50	22376*	69.84

*उक्त दर्शाए गए आंकड़ों में तरल ईंधन आधारित कायमकुलम सीसीपीपी शामिल नहीं है।

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान विद्युत उत्पादन में हुई कमी का मुख्य कारण प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति तथा तरल ईंधन की ऊंची लागत के कारण लाभार्थियों से कम शेड्यूल मिलना था।

(ग) गत तीन वर्षों में महंगे तरल ईंधन एवं आरएलएनजी के कारण इसकी कम प्राप्ति की वजह से एनटीपीसी के गैस स्टेशनों को निम्नानुसार विद्युत उत्पादन की हानि हुई:-

2006-07	—	3879 मि.यू.
2005-06	—	5528 मि.यू.
2004-05	—	4637 मि.यू.

(घ) गैस आपूर्ति में कमी को दूर करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा उठाए गए विभिन्न सुधारकारी उपायों में शामिल है-

(i) अल्पावधिक ठेकों के जरिए विभिन्न स्रोतों से आरएलएनजी की तत्काल प्राप्ति।

(ii) फाल-बैक आधार पर आरएलएनजी की आपूर्ति हेतु गेल/आईओसी/बीपीसीएल के साथ करार।

फलस्वरूप एनटीपीसी के गैस आधारित स्टेशनों का पीएलएफ 69.84% से बढ़कर 75.42% हो गया है।

रियल एस्टेट कीमतों में वृद्धि

63. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के निरसन तथा सट्टेबाजों द्वारा कृत्रिम रूप से पैदा किए गए अभाव के कारण पूरे देश में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूमि की जमाखोरी को रोकने हेतु कोई उपाय करने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं। शहरी भूमि के मूल्यों में वृद्धि होने के कारणों में शहरी आबादी में अत्यधिक वृद्धि, विकसित भूमि की कमी, लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवसन तथा सट्टेबाजी शामिल हैं।

(ख) भूमि राज्य का विषय है। राज्य सरकार उपयुक्त भूमि विकास नीतियों और भवन योजनाओं की स्वीकृति के लिए भवन उपनियमों और प्रक्रियों के उचित परिपालन के जरिए सट्टा प्रयोजन के लिए भूमि की होर्डिंग की रोकथाम कर सकती है।

अवसंरचनात्मक सुधार हेतु विदेशी मुद्रा भंडार

64. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अप्पासाहब पाटील शिवाजीराव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार अवसंरचना के सुधार हेतु विदेशी मुद्रा भंडार से सरकार को ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी राय ली है कि इन निधियों का उपयोग अवसंरचना के सुधार हेतु ही हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से निधि उधार लेकर भारत में अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली भारतीय कंपनियों के उधार देने अथवा कुछ शर्तों के अंतर्गत केवल भारत से बाहर व्यय हेतु ऐसी परियोजनाओं के बाहरी वाणिज्यिक उधार के सह-वित्त-प्रबंधन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बारे में कोई कानूनी राय नहीं ली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, की धारा 17 (12क), धारा 17(13) और धारा 17 (12ख) की व्यवहार्यता के संबंध में कानूनी राय ली है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बोनस में वृद्धि

65. श्री वसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का बोनस बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया है, जैसा कि दिनांक 09 जुलाई, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत संबंधी सम्मेलन

66. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा हाल ही में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों तथा विद्युत सचिवों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई; और

(घ) सम्मेलन में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों व विद्युत सचिवों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 23 और 24 अप्रैल को बुलाया गया था।

(ख) और (ग) सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी-

(i) क्रेश कार्यक्रम के जरिए 11वीं योजना के अंत तक हानियों (टी एंड डी/एटीएंडसी) में 15% तक कमी।

(ii) अगले 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन के तीव्र विस्तार हेतु कार्यक्रम।

(iii) खुली पहुंच माध्यम समेत अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके विद्युत बाजारों की कार्यप्रणाली में सुधार।

(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण।

(v) ऊर्जा संरक्षण और मांग पक्ष प्रबंधन।

(घ) उपरोक्त सभी मुद्दों पर एक आम सहमति बनी थी। राज्यों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के संबंध में अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और उन्हें सही-सही प्रक्षेपित करने तथा अपनी ''राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं'' को शीघ्रता से तैयार करने और उन्हें विद्युत मंत्रालय का अग्रेषित करने को कहा गया था।

सम्मेलन में हुई चर्चाओं का रिकार्ड सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था। इसके बाद इन विषयों को दिनांक 28 मई, 2007 को विद्युत क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हेतु लिया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।

अनिवासी भारतीयों की जमा राशि पर ब्याज दर में वृद्धि

67. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने देश में अनिवासी भारतीय की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्र और राज्यों के बीच कर राशि का विभाजन

68. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या वित्त मंत्री दिनांक 8 दिसंबर, 2006 के तारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय विशिष्ट सेवाओं पर राज्यों द्वारा सेवा कर के संग्रहण तथा विनियोजन के संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) से (ग) जैसा कि 2007-08 के दौरान राज्यों ने मांग की है, केन्द्र सरकार संलग्न विवरण में उल्लिखित सेवाओं पर से सेवाकर वसूल रही है और बजट प्रक्रिया के माध्यम से इन करों को राज्यों को प्रदान कर रही है।

विवरण

उन 33 अंतर्राज्यीय प्रकृति की सेवाओं की सूची जिन पर इस समय केन्द्र सरकार कर लगा रही है और जिनको राज्यों को अंतरित किये जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	सेवा
1	2
1.	कृषिगत कच्चेमाल और जीवित पशुओं से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
2.	भोज्य पदार्थ, पेय और तम्बाकू से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
3.	वस्त्र, परिधान और जूते-चप्पल से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
4.	घरेलू उपकरण, वस्तुएं और उपस्कर से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
5.	विविध सामग्री और हार्डवेयर से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
6.	निर्माण सामग्री और हार्डवेयर से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
7.	रसायनों और औषधिक उत्पादों से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
8.	मशीनरी उपकरण और आपूर्ति से संबंधित शुल्क या अनुबंध आधारित थोक व्यापार सेवायें
9.	बाहर भोजन की आपूर्ति करने वाली कैटरिंग सेवा
10.	यात्रियों के लिए नान शेड्यूल्ड रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
11.	राजमार्ग, सेतु और सुरंग प्रचालन सेवायें (प्रबंधन, देख भाल, मरम्मत सेवायें)
12.	डिसइन्फेक्टिंग एंड एक्सटर्मिनेटिंग सर्विसेज
13.	विंडो क्लीनिंग सर्विसेज
14.	जनरल क्लीनिंग सर्विसेज
15.	स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग सर्विसेज
16.	अन्य सफाई एवं धूमन सेवायें
17.	ऐसी सेवायें जो अन्य सदस्य संगठनों द्वारा प्रदान की गई हैं और उनको अन्य किसी जगह कवर नहीं किया गया है (इसमें सभी प्रकार के क्लब्स आते है)
18.	पर्फोमिंग आर्टस इवेन्ट प्रमोशन एंड आर्गेनाइजेशन सर्विसेज
19.	पर्फोमिंग आर्टस इवेन्ट प्रमोशन एंड आर्गेनाइजेशन सर्विसेज
20.	स्पोर्ट्स एंड रिक्रियेशनल स्पोर्ट्स इवेन्ट आर्गेनाइजेशन सर्विसेज
21.	स्पोर्टस एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स इवेन्ट प्रमोशन सर्विसेज
22.	सिक्का प्रचलित लान्ड्री सेवायें
23.	अन्य वस्त्र सफाई सेवायें
24.	प्रेसिंग सर्विसेज
25.	फैक्स सेवायें
26.	ब्यूटी ट्रीटमेंट सेवायें
27.	कामर्सियल ट्रैनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज
28.	इन्टरनेट कैफे सेवायें
29.	मण्डप कीपर्स सेवायें
30.	पण्डाल या शामियाना ठेकादार सेवायें
31.	फोटो ग्राफी सेवायें
32.	निजी सुरक्षा एजेंसी सेवायें
33.	रियल इस्टेट एजेन्ट्स सेवायें।

[अनुवाद]

आय कर रिटर्न प्रीपेयरर्स स्कीम

69. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर्स (टी.आर.पी.) स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस योजना द्वारा क्या उद्देश्य प्राप्त किया जाना है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर्स को प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) टी.आर.पी. की सेवाओं की क्या स्थिति है;

(ङ) क्या बीमा और बैंकों जैसे संस्थानों द्वारा टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर्स को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) कर विवरणी तैयारकर्ता योजना छोटे और मझोले करदाताओं को अपनी आयकर विवरणी दायर करने में मदद करने के लिए कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में उनको सहायता प्रदान करने के वास्ते आरंभ की गई है। प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य हैं- छोटे और सीमांत करदाताओं की अनुपालन लागत घटाना, करदाताओं में कर कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बेरोजगार एवं अल्प रोजगार प्राप्त स्नातकों जो कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

(ग) इस योजना के तहत 3737 प्रमाणित कर विवरणी तैयारकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही सरकार के एजेंट हैं, और इस प्रकार उनके लिए कोई सेवा शर्त निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, का.आ. 2039(अ) दिनांक 28.11.2006 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर विवरणी तैयारकर्ता योजना में पैरामीटर जिसके अंतर्गत टी.आर.पी. के रूप में वे अपना पेशा संचालित कर सकते हैं, निर्धारित हैं।

(ङ) और (च) कर विवरणी तैयारकर्ता सिर्फ छोटे और सीमांत करदाताओं की आय विवरणी दायर कर सकते हैं तथा विवरणी दायर करने के लिए बीमा एवं बैंक जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस समय इन संस्थाओं द्वारा कर विवरणी तैयारकर्ताओं की सेवाओं का किसी अन्य ढंग से उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बकाया कर राशि

70. **श्री वी.के. ठुम्मर :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार व्यक्तियों तथा कंपनियों पर आयकर तथा अन्य कारपोरेट करों की बकाया धनराशि कितनी है;

(ख) किन-किन कम्पनियों पर दस लाख रुपए से अधिक की कर राशि बकाया है;

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों से करों की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) करों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) 1-6-2007 की स्थिति के अनुसार व्यष्टियों और कंपनियों के विरुद्ध बकाया आयकर और कार्पोरेट कर की राशि 119263 करोड़ रुपए है।

(ख) 1-6-2007 की स्थिति के अनुसार कंपनियों के विरुद्ध बकाया मांग 66928 करोड़ रुपए है। कंपनियां जिनके विरुद्ध दस लाख रुपए से अधिक का कर बकाया है, के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। यह ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा संकलित करना होगा तथा अपेक्षित समय एवं प्रयास प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) कंपनियों के विरूद्ध बकाया 66928 करोड़ रुपए में से निवल संग्रहणीय मांग सिर्फ 9454 करोड़ रुपए है। 57474 करोड़ रु. की शेष मांग को वसूल करना अनेक कारणों से कठिन है- जैसे कि स्थगन किस्त, संरक्षी कर निर्धारण, विशेष न्यायालय (टोट्र्स) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्तियों से संबंधित मांग, कर निर्धारिती का पता न चल पाना, बी.आई.एफ.आर. में अथवा निपटान आयोग के समक्ष अथवा परिसमापन आदि में कंपनी। सरकार बकाया की वसूली के लिए हर संभव प्रयास करती है और फलस्वरूप कंपनियों की बकाया मांग 1-4-07 को 67718 करोड़ रुपए से घटकी 1-6-07 को 65478 करोड़ रुपए हो गई।

(घ) चूककर्ताओं के विरूद्ध सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम मामला दर मामला अलग-अलग होते हैं तथा आयकर अधिनियम, 1961 की वित्तीय अनुसूची के साथ पठित अध्याय XVII के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उपायों में धारा 220(2) के अंतर्गत सांविधिक नोटिस जारी करना, देय राशि का भुगतान न होने के लिए ब्याज लगाना और अर्थदण्ड लगाना, चूककर्ता के बैंक खातों तथा ऐसे चूककर्ता पर ऋणदाता को बकाया राशि की जब्ती, चूककर्ता की चल/अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, चूककर्ता की गिरफ्तारी, चूककर्ता की चल/अचल संपत्ति के प्रबंधन के लिए रिसीवर की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

आवास और शहरी विकास संबंधी योजना

71. **डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली में आवास तथा शहरी विकास संबंधी कोई प्रभावी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयाजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित देश में आवास और शहरी विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसमें शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत देश में 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास और अवस्थापना सुविधाओं के कार्य शुरू करने के लिए शहरों और नगरों को सहायता दी जाती है। जो शहर इस मिशन में शामिल नहीं है उनमें आवास और स्लम उन्नयन कार्यक्रमों हेतु एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य स्लमवासियों को पर्याप्त आश्रय और बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं देकर, स्वस्थ और अनुकूल वातावरण बनाकर समग्र स्लम विकास का प्रयास करना है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी, दोनों कार्यक्रम दिसंबर, 2005 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जेएनएनयूआरएम की अवधि वर्ष 2005-06 से शुरू होकर सात वर्षों के लिए है।

(ग) शहरी अवस्थापना, आवास और स्लम विकास के लिए नियत की जाने वाली संभावित राशि इस प्रकार है:-

क्र. सं.	राज्य	मिशन अवधि के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत नियतन (करोड़ रु. में)	
		बीएसयूपी	आईएचएसडीपी
1.	असम	111.94	47.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.57	4.52
3.	मणिपुर	11.83	12.35
4.	मेघालय	23.70	8.97
5.	मिजोरम	27.63	7.65
6.	नागालैंड	5.89	6.79
7.	सिक्किम	2.66	0.90
8.	त्रिपुरा	13.66	8.36
9.	पश्चिम बंगाल	2084.98	271.51
10.	दिल्ली	1456.28	0.00

(घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि जेएनएनयूआरएम एक मांग आधारित स्कीम है और परियोजनाओं की मंजूरी देना विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने और राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर जेएनएनयूआरएम दिशानिर्देशों के अनुसार सुधारों को कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत कार्य-निष्पादन

72. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत लक्षित विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में काफी कमियां है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश राज्यों में फीडर ट्रिपिंग्स की संख्या तथा विद्युत की आपूर्ति बाधित रहने की अवधि तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की विफलता दर स्वीकार्य से बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता को सुधारने, वितरण ट्रांसफार्मरों की विफलता दर को रोकने तथा उपभोक्ता शिकायतों के निपटान में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में ए.टी. एण्डसी. हानियों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को वर्ष 2002-03 में आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में सुधार व कमी को प्रोत्साहित करना, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार लाना है।

(ख) और (ग) जी, हां। कई शहरों में फीडर ट्रिपिंग की संख्या और कामबंदी की अवधि तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की विफलता दर बहुत अधिक है। इनका मुख्य कारण वितरण प्रणालियों का पुरानी और अधिक भार वाली होना, वितरण प्रणाली में समुचित अनुरक्षण की कमी, विद्युत कमी, एमआईएस का समुचित न होना इत्यादि है।

(घ) एपीडीआरपी के निवेश घटक के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में उनके वितरण नेटवर्कों के उच्चीकरण एवं सशक्तीकरण हेतु प्रदान की जाती है। सब स्टेशनों एवं वितरण ट्रांसफार्मरों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; फीडर के विभाजन; रिकंडक्टरिंग; फीडर मीटरिंग; उपभोक्ता सेवा केंद्र; सब स्टेशन आटोमेशन समेत आई टी सक्षमता इत्यादि से जुड़े कार्य राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जाते हैं। विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए बृहत् क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि 34.54% थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षेत्र	राज्य	2005-06
1	2	3
	बिहार	67.46
	झारखंड	54.10
	उड़ीसा	
पूर्वी	सेंट्रल ईएससीओ	42.55
	नार्थर्न ईएससीओ	36.77
	सदर्न ईएससीओ	45.48
	वेस्टर्न ईएससीओ	37.84
	सिक्किम	64.45
	पश्चिम बंगाल	26.60
	कुल	40.70

1	2	3
उत्तर पूर्वी	**अरुणाचल प्रदेश**	37.19
	असम	
	सेंट्रल असम ईडीसीएल	37.77
	लोअर असम ईडीसीएल	28.25
	अपर असम ईडीसीएल	39.62
	मणिपुर	77.83
	मेघालय	18.47
	मिजोरम	16.92
	नागालैंड	45.04
	त्रिपुरा	24.08
	कुल	33.28
उत्तर	**दिल्ली**	
	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	39.06
	बीएसईएस यमुना पावर लि.	48.58
	नार्थ दिल्ली पावर लि.	28.01
	हरियाणा	
	दक्षिण हरियाणा बीवीएनएल	40.78
	उत्तर हरियाणा बीवीएनएल	41.90
	हिमाचल प्रदेश	15.15
	जम्मू व कश्मीर	68.25
	पंजाब	25.84
	राजस्थान	
	अजमेर वीवीएनएल	47.55
	जोधपुर वीवीएनएल	47.03
	जयपुर वीवीएनएल	42.26
	उत्तर प्रदेश	
	दक्षिण वीवीएन	55.59
	मध्य वीवीएन	49.46
	पश्चिम वीवीएन	42.43
	पूर्वी वीवीएन	46.08
	उत्तरांचल	38.20
	कुल	40.41
दक्षिण	**आंध्र प्रदेश**	
	एपीसीपीडीसीएल	18.82
	एपीईपीडीसीएल	12.67
	एपीएनपीडीसीएल	15.26
	एपीएसपीडीसीएल	16.51
	कर्नाटक	
	बंगलौर एस्काम	35.75
	गुलबर्गा एस्काम	52.74
	हुबली एस्काम	40.38
	मंगलौर एस्काम	20.83
	चेस्काम	46.03
	केरल	25.95
	पांडिचेरी	16.05

1	2	3
	तमिलनाडु	20.46
	कुल	23.73
	छत्तीसगढ़	38.19
	गोवा	15.92
	गुजरात	
	दक्षिण जीवीसीएल	22.40
	मध्य जीवीसीएल	24.61
	पश्चिम जीवीसीएल	43.05
	उत्तर जीवीसीएल	27.57
पश्चिम	मध्य प्रदेश	50.35
	एमपी मध्य केवीवीसीएल	43.20
	एमपी पश्चिम केवीवीसीएल	46.91
	एमपी पूर्वी केवीवीएल	26.51
	महाराष्ट्र	50.22
	एमएसईडीसीएल	35.71
	कुल	36.88
	कुल योग	34.54

(स्रोत-पीएफसी)

[हिन्दी]

रियल इस्टेट आदि को ऋण

73. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री सूरज सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2006-2007 में रियल इस्टेट और पूंजी बाजार क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वर्ष 2005-06 की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकों को दिए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों का उक्त वर्षों के दौरान बैंकों से न्यूनतम तथा अधिकतम ऋण प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्थावर संपदा तथा पूंजी बाजार क्षेत्र के बैंकों के लिए बकाया ऋणों में वर्ष 2006-07 में क्रमश: 61827.05 करोड़ रुपए तथा 6768.48 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

(ग) स्थावर संपदा पर भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 29.6.2005 का परिपत्र सं.डीबीएस.सीओ.पीपी.बीसी.21/11.01.005/2004-05 तथा पूंजी बाजार संबंधी 15 दिसम्बर, 2006 का परिपत्र सं. डीबीओडी सं. डीआईआर.बीसी.47/13.07.05/2006-07 भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 25 मई, 2007 की स्थिति के अनुसार, कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप, उद्योग (लघु, मझौले और बड़े), वैयक्तिक ऋणों तथा सेवा क्षेत्र के लिए बकाया ऋण निम्नलिखित है-

	करोड़ रुपए
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	222042
उद्योग (लघु, मझौले और बड़े)	676440
वैयक्तिक ऋण	455439
सेवाएं	398428

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सांसदों की भूमिका

74. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.आर.डी.ए. के वित्त पोषण के लिए क्या प्रावधान हैं;

(ख) क्या डी.आर.डी.ए. के अधीन किये जाने वाले कार्यों को जिला बोर्डों द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा इस संबंध में सासंदों की कोई भूमिका नहीं होती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) बजट में किए गए आबंटन के अनुसार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दी जाती हैं।

(ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) का प्रशासन शासी निकाय द्वारा संचालित किया जाता है जो नीतिगत निदेश देता है, वार्षिक योजना अनुमोदित करता है और विभिन्न कार्यक्रमों सहित योजना के कार्यान्वियन की समीक्षा और निगरानी भी करता है। जहां तक डीआरडीए के शासी निकाय के संघटन का संबंध है, ''डीआरडीए प्रशासन'' योजना के दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ जिले के संसद सदस्यों, विधायकों, विधान पार्षदों को शासी निकाय के सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रावधान है जो जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करता है। जहां जिला परिषद अस्तित्व में नहीं हैं राज्य सरकार, डीआरडीए के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए संबंधित जिला से निर्वाचित विधायकों को मनोनीत कर सकती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

75. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) का विचार देश में अपने गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए विदेशों से गैस प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2012 के अंत तक गैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.टी.पी.सी. ने भविष्य में विस्तार हेतु भारत में गैस ब्लाकों को खोजने के लिए संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) एनटीपीसी ने नाइजीरिया की संघीय सरकार (एफजीएन) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। एमओयू में परिकल्पना है कि एफजीएन दीर्घकालीन आधार पर प्रति वर्ष न्यूनतम तीन (3) मिलियन टन तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) एनटीपीसी को प्रदान करेगा बशर्ते कि इसकी उपलब्धता युक्तिसंगत कीमत पर 25 वर्षों की अवधि के लिए बनी रहे। एनटीपीसी अन्य देशों से भी तरल प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रही है।

(ग) सन् 2012 के अंत तक गैम आधारित विद्युत उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत है-

(i)	विद्यमान विद्युत संयंत्र (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)	12444.42 मेगावाट
(ii)	11वीं योजना की परियोजनाएं	4266.00 मेगावाट
	सकल जोड़	16710.42 मेगावाट

ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) एनटीपीसी ने भारत में न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (एनईएलपी) राउंड्स में भाग लेकर पैट्रोलियम (तेल/गैस) ब्लाक अर्जित करने की संभावना का पता लगाने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। एनईएलपी वी के अंतर्गत एनटीपीसी लि. जियो पैट्रोल इंटरनेशनल इंक. (आपरेटर) और कैनोरो रिसोंसेज लि. के एक संघ को अरुणाचल प्रदेश राज्य में पैट्रोलियम क्षेत्र सौंपा गया है। अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

विवरण

क्र. सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	जिस राज्य में स्थित है
1	2	3	4
क.	विद्यमान विद्युत संयंत्र (31.03.07 के अनुसार)		
	केंद्रीय क्षेत्र		
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी	430.00	हरियाणा
2.	अंता सीसीजीटी	413.00	राजस्थान
3.	औरैया सीसीजीटी	652.00	उत्तर प्रदेश
4.	दादरी सीसीजीटी	817.00	उत्तर प्रदेश
5.	कवास सीसीजीटी	644.00	गुजरात
6.	गांधार सीसीजीटी	648.00	गुजरात
7.	कैथालगुड़ी सीसीजीटी (एजीबीपीपी)	291.00	असम
8.	अगरतला जीटी	84.00	त्रिपुरा
9.	रत्नागिरि सीसीजीटी	1480.00	महाराष्ट्र
	उप जोड (के.क्षे.)	5459.00	
	राज्य क्षेत्र		
1.	आईपी सीसीजीटी	282.00	दिल्ली
2.	प्रगति सीसीजीटी	330.40	दिल्ली
3.	रामगढ़ सीसीजीटी	113.80	राजस्थान
4.	धौलपुर जीटी #	110.00	राजस्थान
5.	उतरान सीसीजीटी	144.00	गुजरात
6.	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.10	गुजरात
7.	धुव्रण सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.62	गुजरात
8.	धुव्रण सीसीपीपी (जीएसईएल)	72.00	गुजरात
9.	उरान सीसीजीटी	912.00	महाराष्ट्र
10.	विज्जेश्वरम सीसीजीटी	272.00	आंध्र प्रदेश
11.	कराईकल सीसीजीटी	32.50	पांडिचेरी
12.	नरीमनम जीटी	10.00	तमिलनाडु
13.	कोविलकलप्पल (थिरूमाकोट्टई) सीसीजीटी	107.00	तमिलनाडु
14.	वलुथुर सीसीजीटी	94.00	तमिलनाडु
15.	कुट्टालम सीसीजीटी	100.00	तमिलनाडु
16.	नामरूप सीसीजीटी	133.50	असम
17.	लकवा जीटी	120.00	असम
18.	मोबाइल गैस टीजी	21.00	असम
19.	बारामूरा जीटी	37.50	त्रिपुरा
20.	रोखिया जीटी	90.00	त्रिपुरा
	उपकेंद्र (रा.क्षे.)	3244.42	
	निजी क्षेत्र (लाइसेंसी)		
1.	वटवा सीसीजीटी (एईसी)	100.00	गुजरात
2.	ट्रांबे सीसीजीटी	180.00	महाराष्ट्र
	उप जोड़ (निजी क्षेत्र)	280.00	
	निजी यूटिलिटीज (आईपीपी)		
1.	जीपीईसी पगुथान सीसीजीटी	655.00	गुजरात

1	2	3	4
2.	जीआईपीसीएल स्टेज-II सीसीजीटी	160.00	गुजरात
3.	एस्सा इम्प. सीसीजीटी	515.00	गुजरात
4.	गोदावरी सीसीजीटी (स्पैक्ट्रम)	208.00	आंध्र प्रदेश
5.	कोंडापल्ली सीसीजीटी	350.00	आंध्र प्रदेश
6.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (जीवीके)	235.00	आंध्र प्रदेश
7.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (जीवीके) विस्तार	220.00	आंध्र प्रदेश
8.	समलकोट सीसीपीपी/पेद्दुपुरम	220.00	आंध्र प्रदेश
9.	वेमागिरि सीसीपीपी	370.00	आंध्र प्रदेश
10.	पी. नल्लूर सीसीजीटी	330.50	तमिलनाडु
11.	कुरूप्पुर सीसीजीटी	119.80	तमिलनाडु
12.	वालनथरावी सीसीपीपी	52.80	तमिलनाडु
13.	डीएलएफ प्रा. सीसीजीटी	24.50	असम
	उप जोड़ (आईपीपी)	3461.00	
	कुल	12444.42	
ख.	11वीं योजना परियोजना		
1.	रत्नागिरि (डाभोल) सीसीजीटी	740.00	महाराष्ट्र
2.	धौलपुर जीटी+एसटी	220.00	राजस्थान
3.	धुव्रण सीसीपीपी (जीएसईएल)	40.00	गुजरात
4.	सुगेज टोरेंट सीसीजीटी	1128.00	गुजरात
5.	उतरान सीसीजीटी	350.00	गुजरात
6.	कोनासीमा सीसीजीटी	445.00	आंध्र प्रदेश
7.	गौतमी सीसीजीटी	464.00	आंध्र प्रदेश
8.	वलुथूर विस्तार सीसीजीटी	92.00	तमिलनाडु
9.	लकवा डब्ल्यूएच	37.00	असम
10.	त्रिपुरा गैस सीसीजीटी	750.00	त्रिपुरा
	उप जोड़	4266.00	
	कुल	16710.42	

रेल टिकटों की आन लाइन बुकिंग

76. **श्री अनवर हुसैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के उपभोक्ता शीघ्र ही अपनी रेल टिकटें आन लाइन बुक करा सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर में भारतीय स्टेट बैंक में उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो सकेंगे; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत असम के कितने कस्बे शामिल किए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक के इंटरनेट की सुविधा रखने वाले ग्राहकों को 'आनलाइन' रेलवे टिकट के आरक्षण की सुविधा पहले ही उपलब्ध है। भारतीय स्टेट बैंक के सभी इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक देशभर में इस सुविधा का लाभ www.irctc.co.in पर रजिस्टर्ड करवाकर उठा सकते हैं तथा संबंधित भुगतान भारतीय स्टेट बैंक में अपने खाते में डेबिट कार्ड द्वारा सकते हैं।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

77. **श्री रामदास आठवले :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कितने गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान मिला;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) ऐसे संगठनों को धनराशि स्वीकृत करने केलिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों नामत: 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 549 गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान मिला। इन संगठनों को आबंटित कुल धनराशि 84,49,68,061 रुपये थी।

(ग) इन संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इन्हें परियोजनाएं चलाने, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए निधियां स्वीकृत की जाती हैं। निधियां स्वीकृत करने से पहले आन्तरिक संवीक्षा, समकक्ष अन्य समूह पुनरीक्षाओं और विशेषज्ञों की समितियों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। परियोजनाएं मंजूर करने से पहले अनेक मानदंड लागू किए जाते हैं और इनमें सामाजिक लाभों के लिए परियोजना की प्रासंगिकता, संगठनों की सुयोग्यता और अनुभव, परियोजना अन्वेषकों की सुयोग्यता शामिल हैं और इसमें परियोजनाओं का मूल्यांकन आवश्यक है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्मेलन

78. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण संवितरण के लिए किसी सूत्र को अंतिम रूप दिया है;

(घ) यदि हां, तरे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का यह भी विचार है कि देश में आदिवासी समुदायों को ऐसी वरीयता दी जाए; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री ने 1 अगस्त, 2007 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। विचार-विमर्श में, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पसंख्यकों को अधिक ऋण, वित्तीय समावेशन, शैक्षिक ऋण, कृषि को ऋण की उपलब्धता, कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता, लघु एवं मझौले उद्यमों को ऋण आदि जैसे मुद्दे शामिल थे।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अंतर्गत, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% उधार देना अपेक्षित है, जिसमें से बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 10% कमजोर वर्गों को उधार देना अपेक्षित है।

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के संबंध में दिनांक 30.04.2007 के परिपत्र को संशोधित काते हुए 'कमजोर वर्ग' की श्रेणी के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करते हुए बैंकों को दिनांक 18.05.2007 को परिपत्र जारी किया है।

अल्पसंख्यकों को उधार के संबंध में दिनांक 05.07.2007 के अपने समेकित मास्टर परिपत्र में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने का परामर्श दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों मिलने वाला लाभ उचित एवं पर्याप्त में प्राप्त हो। मास्टर परिपत्र, में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक बैंक में अलग प्रकोष्ठ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) और (च) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधार के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा एक श्रेणी के रूप में जनजातीय समुदायों के लिए

भी निधियां निर्धारित की जाती हैं ताकि सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना आदि में सब्सिडी की व्यवस्था की जा सके।

मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करना

79. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश में नए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) इन न्यायालयों के कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (घ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश में नए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का केंद्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुरोधों की, चाहे वे लंबित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए हो अथवा नए जिले के सृजन जैसे किसी अन्य कारक के मुद्दे हों, गुणावगुण पर समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारें, अपने संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से, संबंधि राज्यों में न्यायालयों के संचालन और गठन से संबंधित सभी विषयों का विनिश्चय करती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना का क्रियान्वयन

80. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के क्रियान्वयन में आ रही मुश्किलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से वांछनीय सहयोग मिल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) कुछ राज्यों ने एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध न होने की जानकारी दी है। राज्यों को योजना के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में एनआरईजीएस के लिए प्रतिबद्ध अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती करने और उन्हें परिलब्धियों का भुगतान, 4% प्रशासनिक व्यय में से करने की सलाह दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेबी के पास जमा धनराशि

81. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनएसडीएल, सीएसडीएल तथा अन्य जमाकर्ताओं कार्वी, एचडीएफसी बैंक, आईएनजी वैश्य तथा आईडीबीआई बैंकों को सेबी ने दंड स्वरूप 116 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनियों ने उक्त धनराशि जमा करा दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) शेयर बाजार में अनियमितताओं तथा घोटालों से संबंधित 30 जून तक सेबी तथा न्यायालयों अधिकरणों में कितने मामले चल रहे हैं; और

(ङ) विदेशी तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों सहित ऐसी कंपनियों के नाम तथा क्रमसंख्या-वार ब्यौरा क्या है तथा इन कंपनियों द्वारा किए गए घोटालों एवं अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सेबी ने दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया है कि उसने एनएसडीएल, सीडीएसएल और कुछेक निक्षेपागार भागीदारों को सामूहिक और पृथक रूप से लगभग 116 करोड़ रुपए की राशि वापस करने का निदेश दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने उपर्युक्त आदेश का प्रचालन स्थगित कर दिया है।

(घ) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार शेयर बाजार में अनियमिततओं के संबंध में सेबी, न्यायालयों और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चल रहे मामलों की संख्या क्रमशः 27,09,1104 और 146 है।

(ङ) सेबी द्वारा जून, 2002 से पारित आदेशों के ब्यौरे उसकी वेबसाईट www.sebi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान

82. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सी.एफ. टी.आर.आई.) ने खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में कोई अनुसंधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास अग्रणियों में से एक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले इस संस्थान ने खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान किया है, जिसे वाणिज्यिक उपयोगार्थ अपनाया गया है। सीएफटीआरआई द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

खाद्य विज्ञान में दीर्घावधि अनुसंधान के परिणामस्वरूप सीएफटीआरआई के उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास योगदान जो व्यापक रूप से उद्योग एवं जनता तक पहुंचें हैं।

1950 :
- शिशु आहार - अमूल
- वेजिटेबल मिल्क
- सूपों के लिए निर्जलीकृत सब्जियां और फ्रूट पाउडर के लिए प्रौद्योगिकी

1960 :
- वेजिटेवल प्रोटीन सप्लीमेंट (पोषक आहार)
- पहले से ही पके हुए और खाने के लिए तैयार आहार (40 सूत्रण)
- पपैन और पेक्टिन के उत्पादन प्रोटोकॉल्स (अनेक लधु स्तरीय उधोग कार्य कर रहे हैं)
- चावलों की पारबॉयलिंग हेतु उन्नत प्रक्रम - 30,000 इकाइयां लाभान्वित

1970 :
- मसाला तेल और मसाला ओलिओरेजिन्स - भारत का 70% निर्यात सीएफटीआरआई के अनुसंधान से होता है
- लघु चावल मिल और डिस्टोनर (4 लाख से ज्यादा उपयोग में;
- 150 से ज्यादा उत्पादों की पैकेजिंग
- पापड़ मशीन की लांचिंग ओर इसकी सफलता की कहानी

1980 :
- चावल भूसी तेल विमोमीकरण
- चावल ओर गेंहू भूसी स्थिरीकरण
- संपूर्ण देश में चावल और गेहूं मिलों हेतु मिन्नी रोलर फ्लेकर
- ऊर्जा आहार - प्रतिदिन 30 लाख बच्चों को यह आहार खिलाया जाता है।

1990	–	जलयान से आम, केले, अंगूरों के निर्यात हेतु प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल्स - एपीईडीए द्वारा यथा क्रियान्वित
	–	लगातार डोसा, इडली और चपाती बनाने वाली मशीनें तथा परंपरागत खाद्यों के अन्य स्वचालित यंत्र
	–	शुष्क मक्का प्रेषण संयंत्र (वाणिज्यिक स्तर पर इनमें से अनेक संयंत्रों को अधिष्ठापित किया गया है)
2000	–	न्यूनतम संसाधित खाद्य प्रोटोकॉल
	–	प्राकृतिक रंग प्रक्रम
	–	प्राकृतिक योगज प्रक्रम
	–	कनवीनियैंस फूड्स जिसके कारण इंस्टेंट फूड बाजार में क्रांति आई है
	–	वनीला क्योरिंग (लघु विधि)
2010 : (लक्षित अनुसंधान)	–	स्वास्थ्य आहार
	–	मसालों, जड़ी-बूटियों और रोपण उत्पादों से न्यूट्रास्यूटिकल्स
	–	फंक्शनल और विशिष्ट आहार
	–	खाद्य सुरक्षा
	–	बाल चिकित्सा से जरा-चिकित्सा तक पोषण सुरक्षा

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग

83. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री किन्जरपु येरननायडू :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा जापान ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में और अधिक सहयोग के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत-जापान ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत गठित नवीन और अक्षय ऊर्जा पर कार्यकारी-ग्रुप ने अपनी पहली बैठक दिनांक 28 जून, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तौर-तरीकों का पता लगाएंगे।

गैस कंपनियों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

84. श्री उदय सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने गैस आपूर्ति समझौते के मुद्दे पर अपनी संविदा को कार्यान्वित कराने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई निजी क्षेत्र की कंपनियों, जिन्हें सरकार ने संविदाएं दी थीं, ने अब मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। एनटीपीसी ने 17 वर्षों की अवधि के लिए 132 बिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (टीबीटीयू) प्रति वर्ष की दर पर प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अंतर्गत बोलियां आमंत्रित की। बहुत से मुख्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बोलीकर्त्ताओं ने बोली में भाग लिया था। योग्यता प्रक्रिया के पश्चात्, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफजी) अप्रैल, 2003 में जारी किया गया था और तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां सितंबर, 2003 में खोली गई थीं। अंतिम मूल्य आफर 14.5.2004 को खोला गया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.

(आरआईएल) को न्यूनतम तकनीकी वाणिज्यिक स्वीकार्य बोलीदाता के रूप में मूल्यांकित किया गया था। आरआईएल को दिनांक 16.6.2004 को आशय पत्र दिया गया था और इसे उनके द्वारा प्राप्त किया गया था जिसके परिणामस्वरूप यह संविदा हुई।

तत्पश्चात्, आरआईएल ने दायित्व की सीमा के रूप में गैस सेल परचेज एग्रीमेंट (जीएसपीए) में मुख्य परिवर्तनों की अपेक्षा की और आरआईएल ने पीएसपीए पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए, एनटीपीसी ने संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए, एनटीपीसी ने संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु 20.12.2005 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के विरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

दिसंबर, 2005 के बाद से मामले पर अलग-अलग तिथियों पर न्यायालय में सुनवाई हुई है और अब इसकी अगली सुनवाई 29.8.2007 को होनी निर्धारित है।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा विकसित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाए प्राकृतिक गैस की अनुपलब्ध आपूर्ति के कारण वाणिज्यिक रूप से प्रचालनगत नहीं बनाई गई है-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	निजी (स्वतंत्र) विद्युत उत्पादक
1.	जेगरूपाडु सीसीपीपी	220 मेगावाट	जीवीके
2.	गौतमी सीसीपीपी	464 मेगावाट	गौतमी पावर लि.
3.	कोनासीमा सीसीपीपी	445 मेगावाट	कोनासीमा पावर कारपोरेशन लि.
4.	वेमागिरि सीसीपीपी	370 मेगावाट	वेमागिरि पावर जेनरेशन लि.
	कुल	1499 मेगावाट	

(ङ) प्राकृतिक गैस की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुस्तरीय कार्यनीति अपनाई है जो कि निम्नवत है-

(i) घरेलू खोज एवं उत्पादन (ई एंड पी) गतिविधियों का तीव्रीकरण।

(ii) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) जैसे परंपरागत स्रोतों का दोहन।

(iii) भूमिगत कोयला गैसीकरण।

(iv) हाइडेट संसाधनों के मूल्यांकन तथा उनके संभाव्य वाणिज्यिक दोहन के लिए नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम (एनजीएचपी) का कार्यान्वयन।

(v) जलीय प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में गैस के आयात का प्रोत्साहन और

(vi) ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइनों के माध्यम से गैस सोर्सिंग।

[हिन्दी]

शिरडी का विकास

85. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को श्री साई बाबा न्यास प्रबंध, शिरडी से शिरडी को आधुनिक नगर बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार, शहरी विकास मंत्रालय की छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की योजना के तहत शिरडी कस्बा शामिल है। योजना के दिशानिर्देशों

के अनुसार, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के स्वीकार्य घटकों के संबंध में अनुमोदित/संस्तुत परियोजनाओं पर शहरी विकास मंत्रालय में वित्तीय सहायता निर्मुक्त करने हेतु विचार किया जाता है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा शिरडी कस्बे में सीवरेज संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है तथा 2006-07 के दौरान यू आई डी एस एस एम टी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 10.07 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

86. श्री अनवर हुसैन :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये की लागत वाली 4000 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है तथा धनराशि मंजूर कर दी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अभी तक असम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7239.27 कि.मी. लंबाई के 1923 सड़क कार्यों को, जिसकी लागत 3149.70 करोड़ रु. है, मंजूरी दी है। इसके अलावा, असम सरकार से 905.31 करोड़ रु. की लागत से 1819.857 कि.मी. लंबाई के परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) 409.67 करोड़ रु. की लागत वाले 835.588 कि.मी. लंबाई के परियोजना प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कोर नेटवर्क, भारत निर्माण लक्ष्यों, गुणवत्ता प्रबंधन, संस्थागत क्षमता, लागत आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उठाए गए मुद्दे पर पूर्ण व्याख्यात्मक नोट अभी राज्य सरकार से प्राप्त होना है। इसके अलावा, 495.64 करोड़ रु. की लागत वाले 984.269 कि.मी. लंबाई के परियोजना प्रस्तावों की राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी में संवीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

विद्युत प्रशुल्क को तर्कसंगत बनाना

87. श्री रामदास आठवले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगातार बढ़ते जा रहे विद्युत शुल्कों तथा इसके देश के आर्थिक विकास पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं या कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) उपभोक्ता को आपूर्त विद्युत की लागत में समूची थोक बिजली की खरीद लागत, पारेषण लागत तथा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय उपलब्धि, अर्थात् समेकित तकनीकी एवं व्यावसायिक घाटा (एटी एंड सी) प्रचालनात्मक व्यय, प्रणाली उन्नयन/संवर्धन हेतु सब्सिडी इत्यादि शामिल है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत ही टैरिफ तय करना यथोचित विद्युत विनियामक आयोग का कार्य है।

विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मक ढांचा मुहैया करवाता है और इससे लागतें कम होने के आसार हैं।

(ii) राष्ट्रीय विद्युत नीति में संभावित जल विद्युत क्षमता के पूर्ण विकास पर अधिकतम जोर दिया गया है। दीर्घावधिक रूप में जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की लागत काफी कम हो जाती है।

(iii) ताप विद्युत के संबंध में इस नीति में उल्लेख है कि ईंधन के उपलब्ध विकल्पों के चयन का आधार उत्पादन संबंधी लागत और बिजली की आपूर्ति होना चाहिए। नए उत्पादन स्टेशनों को ईंधन स्त्रोतों उदाहरणत: पिटहैड स्थानों या लोड केंद्रों के करीब अवस्थित किया जाना किफायती रहेगा।

(iv) 6.1.2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति में ये प्रावधान है कि भविष्य में विद्युत की सभी जरूरतें लाइसेंस वितरित करके प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पूरी की जानी चाहिए, सिवाय ऐसे मामलों के जहां मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा हो या जहां चिह्नित उत्पादक के रूप में राज्य नियंत्रित/स्वामित्व वाली कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सभी नई उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ का फैसला पांच वर्ष के बाद या विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए समय उचित है, प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर होना चाहिए था।

(v) कोयला आधारित स्टेशनों के लिए ईंधन की लागत कम करने की दृष्टि से ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कैप्टिव कोयला खदानीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(vi) पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाकर खराब निष्पादन वाले ताप विद्युत स्टेशनों की प्रचालनात्मक कुशलता को बढ़ाया गया है।

(vii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2004-09 की अवधि हेतु जारी की गई टैरिफ संबंधी निबंधन एवं शर्तों से प्रचालनात्मक मानदंडों में सुधार हुआ है।

(viii) वृहद विद्युत नीति में पूंजीगत उपस्करों के आयात पर शून्य कस्टम ड्यूटी तथा इस नीति की पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने वाली उत्पादन परियोजनाओं के लिए देश के आपूर्तिकर्त्ताओं को निर्यात तुल्य लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।

(ix) किफायती लागत और उच्च कौशल युक्त सर्वोत्कृष्ट तकनीक का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट क्षमता की अति विशाल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण।

(x) सरकार ने पहले भी विद्युत परियोजनाओं के लिए नाप्था तथा प्राकृतिक गैस और कोयले पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है।

(xi) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का उद्देश्य तकनीकी क्षतियां कम करने के लिए उप पारेषण वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण में पूंजी निवेश और आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्यों की मदद करना तथा राज्य विद्युत उपक्रमों की नकद हानियों को कम करने के लिए नकद सहायता देकर प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए इसके पुनर्गठन किए जाने का प्रावधान है।

(xii) बिजली की भारी क्षति वाले स्थानों के चिह्निकरण के लिए विद्युत का लेखा रखने और लेखा परीक्षा हेतु फीडरों के मापन और उपभोक्ताओं को आपूर्ति पर बल दिया जाता है।

(xiii) बिजली चोरी से संबंधित विद्युत अधिनियम, 2003 के कानूनी प्रावधानों को विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया गया है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

हिमालय क्षेत्र में भूकंप पर अनुसंधान

88. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.आई.टी., रुड़की ने हिमालय क्षेत्र में भूकंप के संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या आई.आई.टी., रुड़की ने क्षेत्र में भूकंप से होने वाली क्षति को कम करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

आईआईटी, रुड़की हमारा संगठन नहीं है। परंतु भारत मौसम विज्ञान विभाग इन मुद्दों के संबंध में इन संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है।

(ख) आई.आई.टी. रुड़की द्वारा हिमालय क्षेत्र में भूकंप के संबंध में किए गए अनुसंधान के निष्कर्षों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

— देहरादून शहर में भूकंप के खतरों और जोखिम के आकलन से पता चलता है कि रिक्टर पैमाने पर 5.0 परिमाण तक का भूकंप आने पर संरचनात्मक हानि संभवतः बहुत कम होती है।

— बांध जलाशय प्रणाली के ठीक नीचे 15 किमी. की गहराई में आने वाले रिक्टर पैमाने पर 8.5 परिणाम वाले अधिकतम संभावित परिमाण के भूकंप के लिए टेहरी बांध को भूकंप रोधी पाया गया।

— टेहरी बांध के आस-पास आए हल्के भूकंपों के अध्ययनों का उपयोग जलाशय के लगातार भरे रहने के कारण होने वाले भूकंपनीयता संबंधी परिवर्तनों को मानीटर करने के लिए किया जाता है और इनसे उपयुक्त अवसंरचनात्मक अंतक्षेपण को डिजाइन करने में भी मदद मिलती है।

(ग) जी हां।

(घ) भूकंप से होने वाली हानि/क्षति को कम करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

— विद्यमान कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों में भूकंपनीयता की दृष्टि से परिवर्तन करने और सीमेंट से मजबूत बने ऐसे भवनों के निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई, जिसमें छत, लिंटेल, और कैम्बों स्तम्भ मूल हैं तथा जो ऊर्ध्वाधर रूप से मजबूत होते हैं।

— टेहरी राक-फिल बांध, कोटेश्वर बांध, आदि जैसी बड़ी संरचनाओं के लिए भूकंप रोधी डिजाइन तैयार किए गए।

— अल्पावधिक पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न समुदाय स्तरीय सुग्राह्यता/जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से भूकंप रोधी प्रौद्योगिकियों के ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना।

[हिन्दी]

समुद्र जल का खारापन दूर करना

89. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री जल को पेयजल बनाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक लीटर समुद्री जल को पेयजल बनाने में अनुमानित कितनी लागत आएगी; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने समुद्री जल को पेय जल में बदलने के लिए निम्न तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली (एलटीटीडी) पर आधारित विलवणीकरण प्रौद्योगिकी का देश में डिजाइन तैयार किया तथा इसका विकास एवं प्रदर्शन किया। एलटीटीडी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सतह के गर्म समुद्री जल को निम्न दाब पर फ्लैश से वाष्पीकृत कर वाष्प को ठंडे समुद्री जल से संघनित किया जाता है। प्रयोगशाला (500 लीटर प्रतिदिन तथा 5000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता) में कई परीक्षण करने के पश्चात प्रतिदिन 1 लाख लीटर स्वच्छ जल का उत्पादन करने वाला यह एलटीटीडी संयंत्र विकसित किया गया तथा मई 2005 में लक्षद्वीप स्थित कावारती में इसे चालू किया गया। तब से यह संयंत्र बिना रुके ठीक ढंग से काम कर रहा है और कावारती के लोगों की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा कर रहा है। इस संयंत्र से अब तक लगभग 6 करोड़ लीटर जल प्राप्त किया जा चुका है। अप्रैल 2007 में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले संयंत्र का चेन्नै से लगभग 40 किमी. दूर एक नौका (बार्ज) पर प्रदर्शन किया गया।

(घ) इस संयंत्र से प्राप्त किए जाने वाले जल की अनुमानित लागत प्रति लीटर छः पैसे है।

(ङ) प्रतिदिन 10 लाख लीटर जल उत्पादन करने संबंधी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन पूरा हो गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय प्रतिदिन 100 लाख लीटर स्वच्छ जल तैयार करने वाले प्रदर्शन संयंत्र का प्रस्ताव रख रहा है।

[अनुवाद]

आयकर आकलन का तरीका

90. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयकर आकलन की जांच के तरीके में परिवर्तन तथा संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे जांच के तरीके पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आकलन की जांच के तरीके में परिवर्तन से कर संग्रहण में किस सीमा तक सुधार होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) आयकर निर्धारण की संवीक्षा से संबंधित विधिक प्रावधान वैसे ही हैं जैसे कि आयकर अधिनियम की धारा 143 में विहित हैं। तथापि, संवीक्षा के लिए मामलों के चयन संबंधी आंतरिक दिशा निर्देशों में हाल में परिवर्तन किया गया है।

(ख) संवीक्षा के लिए मामलों के चयन में मानव की दखल एवं विवेकाधिकार कम करने तथा कंप्यूटर समर्थित संवीक्षा चयन प्रणाली (सी.ए.एस.एस.) अपनाने के विचार से परिवर्तन किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) हर वर्ष जोखिम आंकलन के आधार पर सुपरिभाषित पैरामीटर विहित करने वाले संवीक्षा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सी.ए.एस.एस. तथा हाथ से भी मामलों का चयन किया जा रहा है। मामलों के चयन के लिए विस्तृत पैरामीटर नीचे दिये गये हैं :

संवीक्षा के लिए मामलों का चयन अन्य बातों के साथ-साथ सकल आय, कटौतियों तथा दावाकृत छूटों तथा मुकदमेबाजी में निहित विधिक मुद्दों, विशिष्ट लेन-देन की मात्रा एवं स्वरूप, कर-निर्धारिती की स्थिति आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए समूची करदाता संख्या के लिए हर वर्ष निर्धारित किये गये पैरामीटरों के संदर्भ में कंप्यूटर समर्थित कार्यक्रम के माध्यम से एवं हाथ से भी किये गये जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया जाता है।

(ङ) कर-निर्धारण के परिवर्तित संवीक्षा तंत्र द्वारा कर संग्रहण में संभावित सुधार की सटीक मात्रा का उल्लेख करना संभव नहीं है। तथापि, उम्मीद है कि परिवर्तित संवीक्षा तंत्र से संभावित राजस्व मामलों का चयन होगा जिससे पर्याप्त मात्रा में कर संग्रहण में सुधार होगा।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों को हानि

91. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राज्य विद्युत बोर्ड/निगम भारी हानि उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड/निगम द्वारा कितनी वित्तीय हानि उठाई गई;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन बोर्डों/निगमों की हानि को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्राप्त हुई उपलब्धियों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) राज्यों के विद्युत उपक्रमों का विनियमन संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन राज्यों के विद्युत उपक्रमों को ऋण राशि प्रदान करता है और इन उपक्रमों की वित्तीय उपलब्धियों के परिणामों का वार्षिक संग्रह जारी करता है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपक्रमों के वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लाभों/घाटे का यथा संग्रहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) रा.वि. बो./विद्युत उपक्रमों के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार ने भी निम्नवत मुख्य उपाय किए हैं-

(i) राज्य विद्युत बोर्डों की ओर से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय 34,957.96 करोड़ रुपये की पिछली बकाया राशि का वर्ष 2001 में जांच की गई है।

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 में स्वतंत्र विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ तय किए जाने का प्रावधान है।

(iii) अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान है कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारण टैरिफ में राज्य सरकार यदि किसी वर्ग को कोई सब्सिडी देना चाहती है तो सरकार सब्सिडी दिए जाने की एवज में संबंधित उपक्रम/लाइसेंस धारक को पूरी राशि अदा करेगी। यह प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा उपक्रमों को समय पर सब्सिडी जारी करने हेतु रखा गया था।

(iv) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का उद्देश्य तकनीकी क्षतियां कम करने के लिए उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण में पूंजी निवेश और आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्यों की मदद करना तथा राज्य विद्युत उपक्रमों की नकद हानियों को कम करने के लिए नकद सहायता देकर प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किए जाने का प्रावधान है।

(v) बिजली चोरी से संबंधित विद्युत अधिनियम, 2003 के क़ानूनी प्रावधानों को विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया गया है।

(vi) बिजली की भारी क्षति वाले स्थानों के चिन्हिकरण के लिए विद्युत का लेखा रखने और लेखा परीक्षा हेतु फीडरों के मापन और उपभोक्ताओं को आपूर्ति पर बल दिया जाता है।

(vii) विद्युत उपक्रमो की वित्तीय व्यवहार क्षमता में सुधार लाना विद्युत क्षेत्र सुधारों का एक मुख्य निष्पादनीय कार्य है। विद्युत उपक्रमों का कारोबारी घारा लगातार बढ़ते रहने का रूझान थम गया है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य विद्युत उपक्रमों का कारोबारी घाटा (सब्सिडी के बिना) जो 1992-93 के 4560 करोड़ रूपये से बढ़कर 2000-01 में 25,259 करोड़ रुपये हो गया था, कम होकर वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में क्रमशः 19,107 करोड़ रुपये, 23,880 करोड़ रुपये और 19546 करोड़ रुपये रह गया है।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

2003-04 से 2005-06 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों का लाभ/हानि संबंधी विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	वर्ष		
			2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	बीएसईबी	(690)	(1,268)	(1,515)
	झारखंड	जेएसईबी	(370)	(331)	(507)
	उड़ीसा	सीईएससीओ	(63)	(61)	(84)
		ग्रिडको	418	357	26
		एनईएससीओ	(79)	(96)	(2)

1	2	3	4	5	6
		ओएचपीसी	6	59	(24)
		ओपीजीसीएल	136	143	148
		एसईएससीओ	(91)	(107)	(29)
		डब्ल्यूईएससीओ	(77)	(29)	(8)
		ओपीटीसीएल			(0)
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	(9)	(11)	(6)
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	9	10	23
		डब्ल्यूबीएसईबी	(305)	(285)	(257)
कुल पूर्वी क्षेत्र			(1,114)	(1,618)	(2,236)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	(69)	(85)	(90)
	असम	एएसईबी	(656)	(1,081)	(111)
		एपीजीसीएल			(51)
		एईजीसीएल			(1)
		सीएईडीसीएल			(24)
		एलएईडीसीएल			(27)
		यूएईडीसीएल			(42)
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(131)	(131)	(226)
	मेघालय	मेघालय एसईबी	64	(9)	(52)
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(46)	(61)	(33)
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(167)	(96)	(98)
	त्रिपुरा	त्रिपुरा पीडी	(76)	(55)	(8)
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			(1,081)	(1,518)	(764)

1	2	3	4	5	6
जारी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	(32)	60	89
		बीएसईएस यमुना	(55)	7	46
		दिल्ली ट्रांस्को	(1,791)	(955)	94
		इन्द्रप्रस्थ	(22)	(52)	(49)
		एनडीपीएल	29	57	113
		प्रगति	90	71	48
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(323)	(582)	(466)
		एचपीजीसीएल	(0)	(35)	9
		एचवीपीएनएल	166	1	(110)
		यूएचबीवीएनएल	(629)	(940)	(1,121)
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	(46)	(37)	(56)
	जम्मू और कश्मीर	जेएण्डके पीडीसीएल	62	45	26
		जेएण्डके पीडीडी	(1,051)	(1,125)	(1,375)
	पंजाब	पीएसईबी	(663)	(4,757)	(1,402)
	राजस्थान	एवीवीएनएल	(673)	(716)	(618)
		जेडीवीवीएनएल	(535)	(683)	(671)
		जेवीवीएनएल	(525)	(615)	(340)
		आरआरवीपीएनएल	(23)	(2)	(3)
		आरआरवीयूएनएल	(21)	(20)	(19)
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(397)	(707)	(840)
		एमवीवीएन	(231)	(635)	(671)
		पश्चिम वीवीएन	(172)	(604)	(599)
		पूर्व वीवीएन	(293)	(1,232)	(1,357)

1	2	3	4	5	6
		यूपीजेवीएनएल	(7)	(2)	(42)
		यूपीपीसीएल	(631)	(247)	(149)
		यूपीआरवीयूएनएल	(218)	(214)	(293)
	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	9	(9)	(2)
		यूटी पीसीएल	(49)	(169)	(215)
		यूटी ट्रांस्को		(13)	(20)
कुल उत्तरी क्षेत्र			(8,032)	(14,112)	(9,993)
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपी जेनको	10	52	63
		एपी ट्रांस्को	60	31	138
		एपीसीपीडीसीएल	(720)	(463)	(235)
		एपीईपीडीसीएल	(224)	(179)	(12)
		एपीएनपीडीसीएल	(306)	(307)	(634)
		एपीएसपीडीसीएल	(399)	(328)	(561)
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	(176)	81	51
		जेईएससीओएम	(436)	(474)	(387)
		एचईएससीओएम	(666)	(819)	(637)
		केपीसीएल	223	239	252
		केपीटीसीएल	(44)	109	(264)
		एमईएससीओएम	(218)	(253)	11
		वीवीएनएल	2	10	7
		सीएसईएससीओएम			(174)
	केरल	केएसईबी	(916)	(239)	(43)

1	2	3	4	5	6
	पांडिचेरी	पांडिचेरी पीसीएल	13	11	9
		पांडिचेरी पीडी	25	53	30
	तमिलनाडु	टीएनईबी	(1,360)	(2,101)	(2,535)
कुल दक्षिणी क्षेत्र			(5,132)	(4,578)	(4,921)
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	346	135	414
	गोवा	गोवा पीडी	153	146	144
	गुजरात	जीईबी	(3,033)	(2,028)	
		जीएसईसीएल	2	11	70
		डीजीवीसीएल			(64)
		एमजीवीसीएल			(84)
		पीजीवीसीएल			(401)
		यूजीवीसीएल			(575)
		जीईटीसीओ			(14)
	मध्य प्रदेश	एमपीएसईबी	(667)	450	84
		एमपीपीजीसीएल			5
		एमपीपीटीसीएल			(5)
		एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल			(395)
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीएसएल			(321)
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल			(319)
	महाराष्ट्र	एमएसईबी	(549)	(768)	(291)
		एमएसईडीसीएल			(304)
		एमएसपीजीसीएल			113
		एमएसपीटीसीएल			311
कुल पश्चिम क्षेत्र			(3,748)	(2,054)	(1,632)
सकल योग			(19,107)	(23,880)	(19,546)

संक्षेपाक्षरों की सूची

एईजीसीएल	—	असम इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड कारपोरेशन लि.
एपीसीपीडीसीएल	—	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
एपीईपीडीसीएल	—	आंध्र प्रदेश इस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
एपीजीसीएल	—	असम पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि.
एपीएनपीडीसीएल	—	आंध्र प्रदेश नार्थर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
एपीएसपीडीसीएल	—	आंध्र प्रदेश साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
एपीट्रांस्को	—	आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
एवीवीएनएल	—	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.
एएसईबी	—	असम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एपीजेनको	—	आंध्र प्रदेश जेनरेशन कारपोरेशन लि.
बेसकाम	—	बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
बीएसईबी	—	बिहार स्टटे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
सेस्को	—	सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आफ उड़ीसा लि.
चेस्काम	—	चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लि.
सीपीएसयू	—	सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
सीएसईबी	—	छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
सीएईडीसीएल	—	सेन्ट्रल असम इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
डीजीवीसीएल	—	दक्षिण गुजरात विज. कंपनी लि.
डीएचबीवीएनएल	—	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.
डीवीवीएनएल	—	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
ईडी/पीडी	—	इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट/पावर डिपार्टमेंट
जीएसईसीएल	—	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि.
जेस्काम	—	गुलबर्गा इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
ग्रिडको	—	ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि.
जीईबी	—	गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
गेटको	—	गुजरात इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
एचपीजीसीएल	—	हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.
हेस्काम	—	हुबली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
एचपीएसईबी	—	हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एचवीपीएनएल	—	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.
आईपीसीएल	—	इंद्रप्रस्थ पावर कारपोरेशन लि.
जेडीवीवीएनएल	—	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
जेएसईबी	—	झारखंड स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
जेवीपीएनएल	—	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
जेएंडके पीडीडी	—	जम्मू एवं कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
जेएंडके पीडीसीएल	—	जम्मू एवं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
केपीसीएल	—	कर्नाटक पावर कारपोरशन लि.
केपीटीसीएल	—	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.
केएसईबी	—	केरल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एलएईडीसीएल	—	लोअर असम इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
मेस्काम	—	मैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.

एमजीवीसीएल	–	मध्य गुजरात विज. कंपनी लि.
एमपीएसईबी	–	मध्य प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एपीपीजीसीएल	–	मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन क.लि.
एमपीपीटीसीएल	–	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन क.लि.
एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	–	एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण क.लि.
एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	–	एमपी पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण क.लि.
एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	–	एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क.लि.
एमएसईबी	–	महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एमएसईडीसीएल	–	महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क. लि.
एमएसपीजीसीएल	–	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन क.लि.
एमएसपीटीसीएल	–	महाराष्ट्र स्टेट पावर ट्रांसमिशन क.लि.
एमईएसईबी	–	मेघालय स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एमवीवीएनएल	–	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.
एनएलपीएल	–	नार्थ दिल्ली पावर लि.
नेस्को	–	नार्थन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आफ उड़ीसा लि.
ओएचपीसी	–	उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.
ओपीजीसीएल	–	उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.
ओपीटीसीएल	–	उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
पीजीवीसीएल	–	पश्चिम गुजरात विज. क.लि.
पीपीसीएल	–	प्रगति पावर कारपोरेशन लि.
पीएसईबी	–	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
पूर्व वीवीएनएल	–	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.
पश्. वीवीएनएल	–	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.
आरआरवीयूएनएल	–	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
आरआरवीपीएनएल	–	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
सेस्को	–	साउथर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आफ उड़ीसा लि.
टीएनईबी	–	तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
यूएईडीसीएल	–	अपर असम इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क. लि.
यूजीवीसीएल	–	उत्तर गुजरात विज.क.लि.
एचएचबीवीएनएल	–	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राजस्थान के शहर

92. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कौन-कौन से शहरों का चयन किया गया है;

(ख) इस अभियान के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) मे उप मिशन-1 शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर तथा अजमेर-पुष्कर चयनित शहर हैं। यू आई जी के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहरों को मंत्रालय की दूसरी स्कीम नामत: छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की है जोकि 3 दिसम्बर, 2005 से शुरू होकर वर्ष 2012 तक 7 वर्षों के लिए है। वर्ष 2005-12 के दौरान राजस्थान के लिए संकेतन आबंटन यू आई जी हेतु 589.69 करोड़ रुपए तथा यूआईडीएसएसएमटी हेतु 401.43 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के मिशन अवधि के दौरान पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

अफीम की खेती

93. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में अफीम की खेती बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अफीम का कितना वार्षिक उत्पादन होता है तथा भेषजीय उपयोग के लिए एवं गुप्त प्रयोजन के लिए अफीम की कितनी मात्रा विपथित की गई;

(घ) क्या सरकार ने अफीम की खेती को नष्ट करने की बजाय नियंत्रित उत्पादन के लिए विनियमन लागू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अफीम विनियमों के अंतर्गत कितनी मात्रा में अफीम को नष्ट किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारत में लाइसेंस प्राप्त अफीम की खेती केवल तीन राज्यों-मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में अवैध खेती का पता लगा है। विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में नष्ट की गई अवैध खेती का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

राज्य	नष्ट की गई अवैध खेती (एकड़ में)		
	2005	2006	2007 (31.7.2007 तक)
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	—	—	2186
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—
मणिपुर	30	—	15
असम	—	—	—

(ग) भारत में अफीम की खेती एन डी पी एस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार केवल औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में वैध रूप से उत्पादित अफीम का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

फसल वर्ष	70 डिग्री से.ग्रे. पर उत्पादित अफीम की मात्रा (मि.ट. में)	90 डिग्री से.ग्रे. पर औषधीय उद्देश्यों के लिए संयत्र को भेजी गई अफीम (मि.ट. में)
2004-05	457	132
2005-06	434*	140
2006-07	346*	135

*अस्थाई आंकड़े/संदिग्ध संवर्ग की अफीम के विश्लेषण का परिणाम प्रतीक्षित है।

जहां तक गुप्त उद्देश्य के लिए उपयोग की गई अफीम की मात्रा का संबंध है, विगत तीन वर्षों के दौरान की गई अफीम की जब्ती का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	जब्त की गई अफीम की मात्रा (कि.ग्रा. में)
2005	2009
2006	2826
2007 (30 जून तक)	649

(घ) भारत 1988 संयुक्त राष्ट्र औषधि समेलन, 1972 प्रोतोकाल द्वारा यथा संशोधित स्वापक औषधियों पर 1961 संयुक्त राष्ट्र एकल सम्मेलन तथा मनःप्रभारी पदार्थो पर 1971 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक हस्ताक्षर-कर्त्ता है। पर्याप्त मात्रा में औधियों की खेती, उसके उत्पादन, विनिर्माण और उपयोग की अनुमति केवल चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है।

वर्तमान समय में भारत अफीम की खेती की अनुमति केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में है। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने की सामान्य शर्तें भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष अधिसूचित की जाती हैं ताकि अवैध खेती, उत्पादन और विनिर्माण को रोका जा सके।

(ङ) वर्ष 2005, 2006 और 2007 (31.7.2007 तक) के दौरान नष्ट की गई अवैध अफीम खेती (पूर्वोत्तर राज्यों में खेती सहित) क्रमशः 31 एकड़ 617 एकड़ और 19877 एकड़ है।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा

94. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली मुद्रा का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अनुमानित रूप से कितनी जाली मुद्रा प्रचलन में है; और

(घ) जाली मुद्रा के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) देश में भारतीय करेंसी में जाली नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं: जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमी सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में वृद्धि करना. अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षात्मक पहलुओं संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा बैंकों के सभी मुख कार्यालयों में जाली नोट संबंधी सतर्कता प्रकोष्ठ बनाना। इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय शामिल किए गए हैं जिनसे जालसाजी करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच पर निगरानी के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो नोडल एजेंसी नामित किया है।

[अनुवाद]

मकानों के निर्माण हेतु समय सीमा

95. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके द्वारा पूर्व में आबंटित विभिन्न श्रेणियों के भूखंड पर मकानों के निर्माण की अधिकतम अनुमत्त अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 10 कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को नागरिक सुविधाओं के प्रभाव, कुछ क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था की कमी तथा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के क्रियान्वयन में न्यायालय के आदेश के चलते आबंटियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न वर्गों से इस अवधि को कम से कम 15 वर्ष करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित प्लाट खाली न रहें तथा सुविधाओं का विकास एक उचित समयावधि में हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए उसने विभिन्न श्रेणी के रिहायशी प्लाटों पर मकानों के निर्माण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को 25 वर्षों से घटाकर 10 वर्ष कर दी है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि निर्माण अवधि

को बढ़ाए जाने संबंधी किसी विशेष प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

लंबित मामले

96. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च-न्यायालय, नई दिल्ली में 1985 से 2000 तक वर्ष-वार अलग-अलग दाखिल किए गए तथा लंबित दीवानी तथा फौजदारी के कितने मामले थे;

(ख) क्या जघन्य अपराधों, आपराधिक मानव बध, बलात्कार तथा हत्या के संबंध में एक विशेष पीठ गठित किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में 1985 से 2000 तक संस्थित किए गए लंबित सिविल तथा दांडिक मामलों की वर्षवार संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय में दांडिक मामलों की सुनवाई करने के लिए केवल एक खंडपीठ और दो एकल न्यायपीठें थी। गंभीर मामलों सहित दांडित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक और खंडपीठ तथा दो और एकल न्यायपीठों का गठन किया गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सूचित किया है कि न्यायाधीशों की वर्तमान पदसंख्या को देखते हुए किसी अन्य विशेष न्यायपीठ का गठन संभव नहीं है।

विवरण

वर्ष	सिविल		दांडिक मामले	
	संस्थान	वर्तमान में लंबित मामले	संस्थान	वर्तमान में लंबित मामले
1	2	3	4	5
1985	20658	90	2442	40
1986	14156	104	2405	49
1987	13290	171	3037	60
1988	16850	308	3315	60
1989	29884	186	3599	54
1990	14349	373	4391	85
1991	14124	406	3959	65
1992	18016	531	4601	31
1993	17009	666	4720	32
1994	16141	750	4806	38
1995	15333	758	4403	49
1996	16255	631	4739	76
1997	15959	741	5045	205
1998	19759	705	6942	177
1999	18245	734	6425	360
2000	21326	1333	8390	476
सकल योग	281354	8487	73219	1857

एस.जी.आर.वाई, एसजी.एस.वाई तथा एन.एस.ए.पी. का कार्यनिष्पादन

97. श्री महावीर भगोरा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई), स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) तथा नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत धनराशि जारी करने के प्रावधान क्या है;

(ख) क्या इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तथा वर्षवार इन धनराशियों को जारी करने का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में क्या प्रावधान हैं; और

(च) राज्यवार तथा वर्षवार लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (च) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत निधियां दो किस्तों में रिलीज की जाती हैं। पहली किस्त आमतौर पर बिना शर्त के उन जिलों को रिलीज कर दी जाती है जिन्होंने विगत वर्ष के दौरान दूसरी किस्त प्राप्त की हो। दूसरी किस्त तक रिलीज की जाती है तब निधि का उपयोग, राज्य अंश का अंशदान इत्यादि के संबंध में निर्धारित शर्तें पूरी कर ली जाती हैं। एसजीआरवाई स्वलक्षित कार्यक्रम है। नकद और खाद्यान्नों का मुद्रा के रूप में मूल्य के आधार पर श्रमदिवस सृजन के लिए निर्देशात्मक लक्ष्य का सुझाव दिया जाता है। एसजीएसवाई के अंतर्गत अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 50% लाभ, महिलाओं के लिए 40% और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 03% लाभ सुरक्षित रखकर उपेक्षित वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वित्तीय वर्ष के दिसम्बर, तक मासिक आधार पर समान किस्तों में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वतः ही रिलीज कर दी जाती है। राज्य, वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कम-से-कम 50% हिस्से का उपयोग कर लें ताकि वित्तीय वर्ष के शेष तीन महीने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा सके। एनएसएपी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान एसजीआरवाई और एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार रिलीज की गई निधियां और उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान एनएसएपी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या क्रमशः विवरण-II और III में दी गई है।

विवरण-I

एसजीआरवाई और एसजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य-वार रिलीज और वास्तविक उपलब्धियां

राज्य का नाम	केन्द्रीय रिलीज (रु. लाख में)				वास्तविक उपलब्धि			
	एसजीएसवाई		एसजीआरवाई		एसजीएसवाई (स्वरोजगारियों की सं.)		एसजीआरवाई (श्रमदिवस लाख में)	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	5263.37	5885.67	29453.70	13545.64	132462	226782	434.16	136.40
अरुणाचल प्रदेश	183.89	125.36	1377.50	842.20	2013.	725	9.42	11.74
असम	6601.52	7217.03	40916.96	29847.28	55753	57064	716.00	632.34
बिहार	11079.65	11613.93	59124.30	20462.40	131033	85688	618.37	192.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	2633.11	3093.97	16605.81	6089.13	28971	28987	256.82	83.58
गोवा	29.36	50	242.07	250.58	625	624	1.91	2.64
गुजरात	1996.08	2208.34	12648.76	10724.36	30948	21335	186.34	104.78
हरियाणा	1147.48	1304.92	6758.76	7552.28	14955	9890	70.90	73.99
हिमाचल प्रदेश	448.75	517.66	2230.05	1948.24	8457	5210	36.48	24.32
जम्मू एवं कश्मीर	419.78	591.21	3229.13	3252.59	7185	4463	42.09	29.18
झारखंड	3498.87	4736.81	33841.77	4173.94	79847	53844	407.43	40.97
कर्नाटक	3579.36	4185.34	21881.83	19871.61	46924	36181	395.07	310.51
केरल	1797.82	1985.02	9767.11	9618.09	22483	18053	109.46	53.88
मध्य प्रदेश	5722.89	6566.78		20402.84	56456	44610	533.55	267.72
महाराष्ट्र	7443.34	8740.86	40869.63	31832.03	73839	56378	659.28	412.54
मणिपुर	116.82	184.35	2164.50	2179.95	1964	360	13.56	32.30
मेघालय	281.43	308.92	2334.13	1753.09	1835	1112	41.74	25.87
मिजोरम	123.21	125.14	748.55	688.66	1557	5307	11.48	14.20
नागालैंड	135.9	234.97	1415.70	1356.43	3508	2125	33.10	20.53
उड़ीसा	6065.95	6724.76	33322.45	11931.45	63904	48395	556.02	183.61
पंजाब	562.17	633.02	6412.39	4416.73	5923	6617	36.68	44.19
राजस्थान	2662.12	3222.55	17945.03	25360.83	33476	27274	182.54	162.76
सिक्किम	138.45	141.22	828.75	703.59	1466	1054	7.60	10.53
तमिलनाडु	4691.65	5204.41	25995.76	23561.42	39708	45630	472.11	239.73
त्रिपुरा	869.92	1137.37	5213.91	4324.16	6188	1598	130.36	77.54
उत्तर प्रदेश	17018.11	19901.34	98576.36	68935.32	261080	234784	1608.64	797.53
उत्तराखंड	943.75	1061.01	6607.12	6123.38	17243	8159	102.02	86.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	5465.50	6201.87	34453.29		18829	17304	539.74	165.95
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6.25	0	44.36	0.00	1594	108	3.94	0.27
चंडीगढ़	0	0	0.00	0.00	0	0	एन.आर.	एन.आर.
दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00	0.00	0	0	एन.आर.	एन.आर.
दिल्ली	0	0	0.00	0.00			एन.आर.	एन.आर.
दमन और द्वीव	0	12.5	0.00	0.00	0	0	एन.आर.	एन.आर.
लक्षद्वीप	0	0	126.75	129.55	15	42	0.41	0.15
पांडिचेरी	100	100	0.00	166.64	875	1248	1.23	0.59
कुल	91026.50	104016.33	549743.00	346484.00	1151116	1050951	8218.45	4239.22

एसजीआरवाई और एसजीएसवाई चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं की जाती हैं।

विवरण-II

एनएसएपी के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य-वार रिलीज और वास्तविक उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तीन योजनाओं के लिए संयुक्त रिलीज (रु. लाख में)	सूचित लाभार्थियों की संख्या		
			एनओएपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6746.70	466000	16492	93200
2.	बिहार	13213.06	820193	27920	148483
3.	छत्तीसगढ़	2880.35	183893	11472	25337
4.	गोवा	66.95	3451	282	एन.आर.
5.	गुजरात	3582.50	63550	7718	20358
6.	हरियाणा	1311.73	95800	4500	एन.आर.

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	547.17	22700	3040	5242
8.	जम्मू व कश्मीर	735.10	64708	3110	एन.आर.
9.	झारखंड	4615.34	166236	3744	54939
10.	कर्नाटक	5207.76	488130	एन.आर.	एन.आर.
11.	केरल	2874.17	141768	11744	44980
12.	मध्य प्रदेश	7649.45	683680	30551	एन.आर.
13.	महाराष्ट्र	10234.03	659429	18302	120000
14.	उड़ीसा	5899.77	493381	4635	एन.आर.
15.	पंजाब	897.89	45853	1290	एन.आर.
16.	राजस्थान	3754.48	144555	10426	119162
17.	तमिलनाडु	7043.03	481028	48977	71974
18.	उत्तर प्रदेश	19851.70	1461481	30500	एन.आर.
19.	उत्तराखंड	1224.26	64246	3000	एन.आर.
20.	पश्चिम बंगाल	7993.56	451579	13296	67611
	पूर्वोत्तर राज्य				
21.	अरुणाचल प्रदेश	415.46	12923	260	4761
22.	असम	8218.02	614513	15539	26640
23.	मणिपुर	628.92	43619	2024	22695
24.	मेघालय	684.72	33776	618	9263
25.	मिजोरम	195.85	10525	400	2583
26.	नागालैंड	447.02	30051	680	एन.आर.
27.	सिक्किम	190.69	14869	157	2500
28.	त्रिपुरा	1119.32	83972	1460	17351

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.00	665	एन.आर.	एन.आर.
30.	चंडीगढ़	16.00	4497	157	एन.आर.
31.	दादरा व नागर हवेली	15.00	1086	134	एन.आर.
32.	दमन और दीव	4.00	372	एन.आर.	एन.आर.
33.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	567.00	150000	400	एन.आर.
34.	लक्षद्वीप	5.00	32	एन.आर.	एन.आर.
35.	पांडिचेरी	115.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल योग	118971.00	8002561	272828	857079

एन.आर. : असूचित।

विवरण-III

एनएसएपी के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य-वार रिलीज और वास्तविक उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तीन योजनाओं के लिए संयुक्त रिलीज (रु. लाख में)	सूचित लाभार्थियों की संख्या		
			एनओएपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11975.33	466000	11759	93200
2.	बिहार	36002.20	904916	13795	166600
3.	छत्तीसगढ़	7321.40	198906	5910	25337
4.	गोवा	66.95	3409	313	एन.आर.
5.	गुजरात	4507.10	40117	1055	एन.आर.
6.	हरियाणा	3296.25	95800	एन.आर.	एन.आर.
7.	हिमाचल प्रदेश	1389.08	41342	3685	5001

1	2	3	4	5	6
8.	जम्मू व कश्मीर	1381.41	66038	603	एन.आर.
9.	झारखंड	10257.15	366236	5000	एन.आर.
10.	कर्नाटक	9043.49	533334	एन.आर.	एन.आर.
11.	केरल	4056.39	134409	3644	44950
12.	मध्य प्रदेश	17387.80	453620	31087	एन.आर.
13.	महाराष्ट्र	22213.91	742561	19395	120145
14.	उड़ीसा	17021.72	643400	7928	64800
15.	पंजाब	1289.03	45853	1290	एन.आर.
16.	राजस्थान	8533.24	418566	7040	105293
17.	तमिलनाडु	13159.76	494996	16214	71974
18.	उत्तर प्रदेश	37824.45	1576481	39000	एन.आर.
19.	उत्तराखंड	3217.41	65752	1640	एन.आर.
20.	पश्चिम बंगाल	15220.45	467846	15503	65068
	पूर्वोत्तर राज्य				
21.	अरुणाचल प्रदेश	759.11	12923	847	4761
22.	असम	15866.36	628949	7877	26640
23.	मणिपुर	1062.92	43619	1707	8590
24.	मेघालय	1190.80	33446	2	एन.आर.
25.	मिजोरम	345.32	10525	617	2583
26.	नागालैंड	1016.72	28053	487	एन.आर.
27.	सिक्किम	304.33	14869	150	2500
28.	त्रिपुरा	2386.92	83972	2275	14851

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	78.42	702	एन.आर.	एन.आर.
30.	चंडीगढ़	16.00	4350	280	एन.आर.
31.	दादरा व नागर हवेली	78.42	1132	71	एन.आर.
32.	दमन व दीव	4.00	246	2	एन.आर.
33.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	567.00	84000	एन.आर.	एन.आर.
34.	लक्षद्वीप	5.60	36	एन.आर.	एन.आर.
35.	पांडिचेरी	115.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल योग	248961.44	8706404	199176	822293

एन.आर. : असूचित।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये लाभ का दुरूपयोग

98. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय ने देश में लघु क्षेत्र के उद्योगों संबंधी योजना के भारी दुरुपयोग होने के संबंध में सरकार को आगाह किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में डी.जी.सी. ई.आई. द्वारा कुल कितने छापे मारे गए तथा कितने लघु क्षेत्र के उद्योगों को इस योजना का लाभ प्राप्त करते हुए दुरूपयोग करते पाया गया;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु क्षेत्र की इकाइयों को उत्पादन शुल्क में छूट के कारण सरकार को कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय नें चालू वर्ष के दौरान देश भर में लघु क्षेत्र उद्योग की 14 इकाइयों पर छापे मारे हैं और 17 लघु क्षेत्र उद्योग इकाइयों को लघु क्षेत्र उद्योग स्कीम के लाभों के दुरूपयोग में शामिल पाया।

(ग) इससे संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि वर्ष 2006-07 के प्राप्ति बजट में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किये गये एक अध्ययन के आधार पर वर्ष 2004-05 में 11,316 करोड़ रु. उल्लेख माफ किये गये शुल्क के रूप में किया गया है।

(घ) एक बार उत्पादन 90 लाख रु. को पार करने पर लघु क्षेत्र उद्योग की इकाइयों द्वारा घोषणा दायर करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

99. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसी कटौती से घरेलू खुदरा बाजार में खाद्य तेल की कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सरकार ने हाल ही में कतिपय खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क की कटौती की है।

(ख) 23 जुलाई, 2007 से विनिर्दिष्ट खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कटौती निम्न प्रकार की गई है:

(i) कच्चे पामोलीन सहित कच्चे पाम आयल पर 50% से 45%;

(ii) आर बी डी पामोलीन सहित रिफाइन्ड पाम आयल पर 57.5% से 52.5%;

(iii) सोयाबीन तेल पर 45% से 40%;

(iv) कच्चे सूर्यमुखी तेल पर 50% से 40%; तथा

(v) रिफाइन्ड सूर्यमुखी तेल पर 60% से 50%;

(ग) अन्य सभी कारक अपरिवर्तित रखे गए हैं, आयात में उपर्युक्त कमी से इन तेलों की आयातित लागत (सी आई एफ+ सीमा शुल्क) में लगभग निम्न प्रकार कमी आने की संभावना है:

पाम आयल पर 0.9 रु. प्रति कि.ग्रा.;

सोयाबीन तेल पर 1.2 रु. प्रति कि.ग्रा.; और

सूर्यमूखी तेप पर 2.9 रु. प्रति कि.ग्रा.

गरीबों को कानूनी सहायता

100. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री काशीराम राणा :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिक खर्च और लम्बी प्रक्रिया के कारण देश में गरीब लोग न्यायालय नहीं जाते और अन्याय सहते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार पीड़ितों और गरीबों के लिए न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक विस्तृत तथा गहन अध्ययन कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) मामले की उच्च लागत विभिन्न कारकों के कारण है जैसे कि किसी अनुभवी सक्षम वकील की सेवाएं प्राप्त करना, यात्रा व्यय आदि, जो विभिन्न स्थगनों और न्यायालय प्रक्रियाओं की अन्य लंबी अपेक्षाओं के मद्दे और अधिक बढ़ जाती है। विधि के सक्षम न्यायालय में मामला फाइल करने के लिए विहित न्यायालय फीस उद्‌गृहीत की जाती है, जो साधारणतया नाममात्र होती है। ऐसे मामलों में भी, जहां कोई मुकदमेबाज उस फीस का संदाय करने में असमर्थ है, वह न्यायालय से विहित प्रक्रिया के अनुसार उस फीस को माफ करने का अनुरोध कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम, 1987 की धारा 12 कतिपय प्रवर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, मानव के दुर्व्यापार के शिकार या भिखारी, स्त्री या बालक, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति आदि के लिए, आय के मानदण्ड पर ध्यान न देते हुए और उक्त अधिनियम में विहित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए भी निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करती है।

(ख) से (ङ) न्यायालय की लंबी प्रक्रिया के संबंध में, न्यायिक सुधार लाने, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, के भाग रूप में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के विभिन्न सम्मेलनों में न्यायपालिका और राज्य सरकारों के साथ आवधिक रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। यद्यपि, न्यायालयों में किसी मामले के निपटारे की गति मुख्यतः एक न्यायिक कृत्य है। सरकार ने न्यायालयों में लंबित तथा बकाया मामलों की संख्या में कमी को सुकर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। यह आशा की जाती है कि ये उपाय मुकदमेबाजी की अत्यधिक लागत को कम करने में भी प्रभावी

होंगे। सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए मुख्य उपाय निम्नलिखित है:

(1) सेशन न्यायालयों में लंबे समय से लंबित मामलों को समाप्त करने के विचार से सरकार ने त्वरित निपटान न्यायालयों की एक स्कीम आरंभ की थी जिसे 31.03.2010 तक विस्तारित किया गया है।

(2) सरकार प्रत्येक तीन वर्ष मे न्यायाधीश पदसंख्या (उच्च न्यायालयों की) का पुनर्विलोकन करती है और रिक्त पदों का तुरंत भरा जाना सुनिश्चित करती है जिससे कि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या से न्याय प्रशासन प्रभावित न हो।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियां भरे जाने के संबंध में, जो ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में राज्यों को निदेश दिए हैं। सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में स्मरण कराया है।

(4) निपटान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा देने और विशेष अधिकरणों को स्थापित करने आदि जैसे उपाय किए गए हैं जिससे कि न्यायालयों में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके।

(5) वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने, मुकदमेबाजों को शीघ्र अनुतोष प्रदान करने और न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए वर्ष 1997 में सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 अंतःस्थापित की गई थी जो मध्यकता, सुलह, माध्यस्थम, न्यायिक समाधान या लोक अदालत के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए उपबंध करती है।

(6) लोक उपयोगिता सेवा के लिए स्थायी लोक अदालत स्थापित करने के लिए 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का संशोधन किया गया था।

(7) सरकार ने न्यायालयों में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक स्कीम आरंभ की है जो तीव्र न्याय प्रदाय को सुकर बनाएगी। प्रथम चरण के रूप में देश के सभी न्यायिक अधिकारियों को लैपटाप उपलब्ध कराए गए है।

(8) सरकार शीघ्र न्याय प्रदान करने तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रभाव का एक विधेयक इस समय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के विचार से दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में उचित परिवर्तन किए हैं। पृथक रूप से, सरकार ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 में 'सौदा अभिवाक्' की अवधारणा को आरंभ किया है।

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र का आवास एवं मलिन बस्ती विकास

101. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में मलिन बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या शहरी गरीबों हेतु सामाजिक आवास मलिन बस्ती विकास और विपणन परिसरों के निर्माण के माध्यम से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य राज्यों के विकास हेतु कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना में प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, प्रत्येक राज्य में स्लमों में रहने वालों की अनुमानित जनसंख्या (50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी गरीबों के लाभार्थ आवास, स्लम विकास और अन्य संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्यों को धनराशि आवंटित की जाती है। संकेतन आवंटन निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	राज्य	मिशन अवधि (2005-12 के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत आवंटन (करोड़ रु. में)	
		शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)	समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
1	2	3	4
1.	असम	111.94	47.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.57	4.52
3.	मणिपुर	11.93	12.35
4.	मेघालय	23.70	8.97
5.	मिजोरम	27.63	7.65
6.	नागालैंड	5.89	6.79
7.	सिक्किम	2.66	0.90
8.	त्रिपुरा	13.68	8.36

विवरण

वर्ष 2001 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्लम जनसंख्या
(2001 की आंशिक जनगणना पर आधारित)*

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरों/कस्बों की सं. जिनके स्लमों को दर्शाया गया	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल शहरी जनसंख्या	शहरों/कस्बों की जनसंख्या जिनमें स्लमों को दर्शाया गया	कुल स्लम जनसंख्या	कुल स्लम आबादी का प्रतिशत	
						राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या में	स्लम दर्शाने वाले शहरों/कस्बों की जनसंख्या में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू व कश्मीर	5	2516638	1446148	268513	10.7	18.6
2.	पंजाब	27	8262511	5660268	1159561	14.0	20.5
3.	चंडीगढ़	01	808515	808515	107125	13.2	13.2
4.	उत्तरांचल	06	2179074	1010188	195470	9.0	19.3
5.	हरियाणा	22	6115304	4296670	1420407	23.2	33.1
6.	दिल्ली	16	12905780	11277586	2029755	15.7	18.0
7.	राजस्थान	26	13214375	7668508	1294106	9.8	16.9
8	उत्तर प्रदेश	69	34539582	21256870	4395276	12.7	20.7

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	बिहार	23	8681800	4814512	531481	6.1	11.0
10.	त्रिपुरा	01	545750	189998	29949	5.5	15.8
11.	मेघालय	01	454111	132867	86304	19.0	65.0
12.	असम	07	3439240	1371881	82289	2.4	6.0
13.	पश्चिम बंगाल	59	22427251	15184596	4115980	18.4	27.1
14.	झारखंड	11	5993741	2422943	301569	5.0	12.4
15.	उड़ीसा	15	5517238	2838014	629999	11.4	22.2
16.	छत्तीसगढ़	12	4185747	2604933	817908	19.5	31.4
17.	मध्य प्रदेश	43	15967145	9599007	2417091	15.1	25.2
18.	गुजरात	41	18930250	12697360	1866797	9.9	14.7
19.	महाराष्ट्र	61	41100980	33635219	11202762	27.3	33.3
20.	आंध्र प्रदेश	77	20808940	16090585	5187493	24.9	32.2
21.	कर्नाटक	35	17961529	11023376	1402971	7.8	12.7
22.	गोवा	02	670577	175536	14482	2.2	8.3
23.	केरल	13	8266925	3196622	64556	0.8	2.0
24.	तमिलनाडु	63	27483998	14337225	2866893	10.4	20.0
25.	पांडिचेरी	03	648619	513010	73169	11.3	14.3
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	01	116198	99984	16244	14.0	16.2
	भारत	640	283741818	184352421	42578150	15.0	23.1

*2001 की जनगणना में पहली बार देश में स्लम क्षेत्रों विशेषकर 1991 में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों और कस्बों के बारे में जनांकिकीय आंकड़े इकट्ठा करने के प्रयास किए गए थे।

स्रोत : भारत के महापंजीयक

नोट : हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप ने 2001 में अपने यहां स्लमों के होने की कोई सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न

102. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत वर्ष 2007-08 हेतु विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने सरकार से और अधिक खाद्यान्न आबंटित करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान पात्र जिलों के लिए अब तक 4.68 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं और 4.28 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न प्राधिकृत किए गए हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2007-08 के लिए खाद्यान्नों का आबंटन	वर्ष 2007-08 में प्राधिकृत खाद्यान्न
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10304	10304
2.	अरुणाचल प्रदेश	5187	5187
3.	असम	34118	0
4.	बिहार	2007-08 में कोई एसजीआरवाई जिला नहीं।	
5.	छत्तीसगढ़	3392	3392
6.	गोवा	@	
7.	गुजरात	21247	21247
8.	हरियाणा	17240	17240
9.	हिमाचल प्रदेश	4602	3600
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6104	4993
11.	झारखंड	2007-08 में कोई एसजीआरवाई जिला नहीं।	
12.	कर्नाटक	35781	35781
13.	केरल	20123	20123
14.	मध्य प्रदेश	27770	27770
15.	महाराष्ट्र	50778	50778
16.	मणिपुर	4277	4277
17.	मेघालय	1669	868
18.	मिजोरम	826	826
19.	नागालैंड	1376	1376
20.	उड़ीसा	14073	14073
21.	पंजाब	15719	14857
22.	राजस्थान	28318	28318
23.	सिक्किम	419	419

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	47881	47881
25.	त्रिपुरा	2008	2008
26.	उत्तरांचल	11274	11274
27.	उत्तर प्रदेश	98604	98604
28.	पश्चिम बंगाल	2341	2341
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	822	0
30.	दादरा व नागर हवेली	541	0
31.	दमन व दीव	@	
32.	लक्षद्वीप	@	
33.	पांडिचेरी	833	0
	अखिल भारत	467627	427537

@गोवा, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप को उनके अनुरोध के आधार पर एसजीआरवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों के अनिवार्य आबंटन से छूट दी गई है।

बी पी एल सूची में अनियमितताएं

103. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीपीएल सूची तैयार करते समय सूची में गैर बीपीएल व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने बीपीएल सूची में से अवांछित व्यक्तियों के नामों को हटाने तथा वांछित व्यक्तियों के नामों को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को बी. पी. एल. जनगणना 2002 के आधार पर पारदर्शी रूप से नई बी. पी. एल सूची तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया में ग्राम सभा द्वारा बी.पी.एल. सूची को अनुमोदित किया जाना प्रारूप बी.पी.एल. सूची को पंचायत मुख्यालय में प्रदर्शित किया जाना और नई बी.पी.एल. सूची में लोगों के क्रम के बारे में उनके द्वारा आपत्तियां यदि कोई हों, को दर्ज किए जाने को सुगम बनाना शामिल है। इसके अलावा, एक द्वि-स्तरीय अपील पद्धति की भी व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सूची के संबंध में आपत्ति के बारे में एसडीएम या तहसीलदार, जैसा भी मामला हो, को पहली अपील कर सकता है। यदि वह संतुष्ट न हो तो वह कलेक्टर को दूसरी अपील कर सकता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के इन उपायों के परिणाम-स्वरूप अधिकांश राज्यों ने प्रस्तावित नई बी.पी.एल. सूची के बारे में काफी अधिक संख्या में लोगों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने की सूचना दी है, जिन पर दिशानिर्देशों में निहित सांस्थानिक पद्धति के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि जिस अवधि के लिए सूची लागू है उस अवधि में बी.पी.एल. सूची में नए नामों को सतत आधार पर शामिल करने तथा अपात्र नामों को हटाने का प्रावधान किया जाए ताकि जन शिकायतों को दूर किया जा सके।

गरीबी उपशमन

104. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किस सीमा तक लक्ष्य हासिल किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का आकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

जुलाई, 2004 से जून, 2005 (रिपोर्ट सं. 508 (61/1.0/1) तक की अवधि के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 61वा चक्र) के संबंध में नवीनतम प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-05 के लिए दो भिन्न उपयोग वितरण प्राप्त किए गए हैं। सभी मदों के लिए 30 दिन के रिकाल पीरियड (अर्थात संदर्भ अवधि) का उपयोग करते हुए उपभोग व्यय के एकत्र आंकड़ों से पहला वितरण प्राप्त किया गया। अनियमित रूप से खरीदे गए पांच अखाद्य मदों अर्थात वस्त्र, फुटवियर, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्यय के लिए 365 दिन के रिकाल पीरियड और शेष मदों के लिए 30 दिन के रिकाल पीरियड का उपयोग करते हुए उपभोक्ता व्यय के एकत्र किए गए आंकड़ों से दूसरा वितरण प्राप्त किया जाता है। इन दोनों उपभोग वितरणों को क्रमशः यूनिफार्म रिकाल पीरियड (यूआरपी) उपभोग वितरण और मिक्सड रिकाल पीरियड (एमआरपी) उपभोग वितरण माना गया है। योजना आयोग ने वर्ष 2004-05 में दोनों वितरणों और विशेषज्ञ समूह प्रक्रिया विधि का उपयोग करते हुए निर्धनता का आकलन किया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोक्ता व्यय आंकड़े के 61वें चक्र के यूनीफार्म रिकाल पीरियड (यूआरपी) उपभोग वितरण से वर्ष 2004-05 में आकलित गरीबी का प्रतिशत और गरीबों की संख्या वर्ष 1993-94 के गरीबी अनुमानों के तुल्य है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोक्ता व्यय आंकड़े 61वें चक्र के मिक्सड रिकाल पीरियड (एमआरपी) उपभोग वितरण से वर्ष 2004-05 में आकलित गरीबी का प्रतिशत और गरीबों की संख्या वर्ष 1999-2000 के गरीबी आकलन के लगभग (पूर्णतः नहीं) तुल्य है। यूआरपी और एमआरपी आकलनों के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के राज्य वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार ने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, दसवीं योजनावधि (2002-07) में वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशत गरीबी उपशमन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 11वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में 10 प्रतिशत गरीबी उपशमन करने का उल्लेख किया गया है।

(ग) योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा हर 5 वर्ष पर कराए गए उपभोक्ता व्यय के वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण से गरीबी का आकलन करता है। दो नवीनतम वर्षों (क) 1993-94 और 2004-05 (यूआरपी) और 1999-2000 तथा 2004-05 (एमआरपी) के तुल्य गरीबी आकलन उपलब्ध है। इसीलिए अंतिम दो वर्षों के आकलन उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

राज्यों 2004-05 द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या और उसका प्रतिशत

(यूआरपी - उपभोग के आधार पर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरीबों की संख्या (लाख में)	गरीबों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	126.10	15.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.03	17.6
3.	असम	55.77	19.7
4.	बिहार	369.15	41.4
5.	छत्तीसगढ़	90.96	40.9
6.	दिल्ली	22.93	14.7
7.	गोवा	2.01	13.8
8.	गुजरात	90.69	16.8
9.	हरियाणा	32.10	14.0
10.	हिमाचल प्रदेश	6.36	10.0
11.	जम्मू व कश्मीर	5.85	5.4
12.	झारखंड	116.39	40.3
13.	कर्नाटक	138.89	25.0
14.	केरल	49.60	15.0
15.	मध्य प्रदेश	249.68	38.3
16.	महाराष्ट्र	317.38	30.7
17.	मणिपुर	3.95	17.3
18.	मेघालय	4.52	18.5

1	2	3	4
19.	मिजोरम	1.18	12.6
20.	नागालैंड	3.99	19.0
21.	उड़ीसा	178.49	46.4
22.	पंजाब	21.63	8.4
23.	राजस्थान	134.89	22.1
24.	सिक्किम	1.14	20.1
25.	तमिलनाडु	145.62	22.5
26.	त्रिपुरा	6.38	18.9
27.	उत्तर प्रदेश	590.03	32.8
28.	उत्तराखंड	35.96	39.6
29.	पश्चिम बंगाल	208.36	24.7
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.92	22.6
31.	चंडीगढ़	0.74	7.1
32.	दादरा व नागर हवेली	0.84	33.2
33.	दमन व दीव	0.21	10.5
34.	लक्षद्वीप	0.11	16.0
35.	पांडिचेरी	2.37	22.4
	अखिल भारत	3017.20	27.5

यूआरपी - उपभोग - यूनिफार्म रिकॉल पीरियड उपभोग जिसमें सभी मदों के लिए उपभोक्ता व्यय आंकड़ें 30 दिनों के रिकॉल पीरियड से एकत्र किए जाते हैं।

टिप्पणियां :

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए उपयोग किया जाता है।

2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा का व्यय वितरण गोवा के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए उपयांग किया जाता है।

3. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए उपयोग किया गया है।

4. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है।

5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा एवं नगर हवेली का व्यय वितरण दादरा एवं नगर हवेली को गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

6. गोवा का गरीबी अनुपात दमन एवं दीव के लिए उपयोग किया जाता है।

7. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है।

विवरण-II

राज्यों 2004-05 द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या और उसका प्रतिशत

(एमआरपी - उपभोग के आधार पर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरीबों की संख्या (लाख में)	गरीबों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	88.71	11.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.54	13.4
3.	असम	42.39	15.0
4.	बिहार	290.01	32.5
5.	छत्तीसगढ़	71.11	32.0
6.	दिल्ली	15.83	10.2
7.	गोवा	1.74	12.0

1	2	3	4
8.	गुजरात	67.43	12.5
9.	हरियाणा	22.56	9.9
10.	हिमाचल प्रदेश	4.27	6.7
11.	जम्मू व कश्मीर	4.54	4.2
12.	झारखंड	100.39	34.8
13.	कर्नाटक	96.30	17.4
14.	केरल	37.51	11.4
15.	मध्य प्रदेश	210.97	32.4
16.	महाराष्ट्र	259.83	25.2
17.	मणिपुर	3.00	13.2
18.	मेघालय	3.43	14.1
19.	मिजोरम	0.89	9.5
20.	नागालैंड	3.03	14.5
21.	उड़ीसा	153.59	39.9
22.	पंजाब	13.30	5.2
23.	राजस्थान	107.18	17.5
24.	सिक्किम	0.87	15.2
25.	तमिलनाडु	115.10	17.8
26.	त्रिपुरा	4.85	14.4
27.	उत्तर प्रदेश	458.15	25.5
28.	उत्तराखंड	28.86	31.8
29.	पश्चिमी बंगाल	173.23	20.6
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.71	17.6
31.	चंडीगढ़	0.40	3.8
32.	दादरा व नगर हवेली	0.77	30.6
33.	दमन व दीव	0.16	8.0
34.	लक्षद्वीप	0.09	12.3
35.	पांडिचेरी	1.92	18.2
	अखिल भारत	2384.99	21.8

एमआरपी – उपभोग – मिक्सड रिकॉल पीरियड उपभोग जिसमें 5 अखाद्य मदों अर्थात् वस्त्र, फुटवियर, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्यय के लिए उपभोक्ता व्यय आंकड़े 365 दिनों के रिकॉल पीरियड से एकत्र किए जाते हैं और शेष मदों के लिए उपभोग संबंधी आंकड़े 30 दिनों के रिकॉल पीरियड से एकत्र किए जाते हैं।

टिप्पणियां :

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए उपयोग किया जाता है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा का व्यय वितरण गोवा के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
3. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए उपयोग किया गया है।
4. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है।
5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा एवं नगर हवेली का व्यय वितरण दादरा एवं नगर हवेली को गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
6. गोवा का गरीबी अनुपात दमन एवं दीव के लिए उपयोग किया जाता है।
7. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है।

एसजीआरवाई, एसजीएसवाई और एनएसएपी के अंतर्गत अ.ज.जा. हेतु प्रावधान

105. श्री महावीर भगोरा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्ण-जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत आदिवासियों के लिए कोई अलग से प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत आदिवासियों के लिए सृजित नए रोजगारों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि (i) जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर आबंटित वार्षिक आबंटन (खाद्यान्नों को मिलाकर) का 22.5% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों की वैयक्तिक/समूह लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा और (ii) ग्राम पंचायत आबंटन (खाद्यान्नों को मिलकर) का न्यूनतम 50% हिस्सा अनु.जाति/अनु.जनजाति बसावटों/वार्डों में आवश्यकता आधारित आधारभूत सुविधा के सृजन के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसी तरह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यक्रम का 50% लाभ अनु. जाति/अनु.जनजाति के लिए निर्धारित किया जाए। आईएवाई के अंतर्गत 60% मकान अनु.जाति/अनु.जनजाति को आबंटित करने होते हैं। हालांकि, दिशा-निर्देशों में अनु.जातियों/अनु.जनजातियों के लिए संयुक्त लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं लेकिन अनु.जाति/अनु. जनजाति की निगरानी अलग-अलग की जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत सृजित कुल रोजगार का 15.29% रोजगार अनु. जनजातियों के लिए था। इसी तरह एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों में 14.16% स्वरोजगारी अनु. जनजाति के थे। आईएवाई के अंतर्गत 18.69% मकान अनु. जनजाति को आबंटित किए गए थे और एनआरईजीए के नए कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित कुल रोजगार श्रमदिवस का 36.45% अनु. जनजाति के लिए था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में शामिल तीन अलग-अलग योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तब तक संचालित की जाती रहीं जब तक कि इन्हें वर्ष 2002-03 से राज्य योजना को अंतरित नहीं कर दिया गया। एनएसएपी के अंतर्गत सहायता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों में सबसे निर्धन परिवार को दी जाती थी।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों को ऋण

106. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी बैंकों के लिए अल्पसंख्कों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना अनिवार्य बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधीब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 01.09.2006 के अपने परिपत्र द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया था कि अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता क्षेत्र के समग्र लक्ष्यों तथा कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% के उप-लक्ष्य के अंतर्गत ऋण का उचित और बराबर हिस्सा मिले।

'कमजोर वर्गों' के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी मूल परिपत्र में दिनांक 18.05.2007 को संशोधन किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यकों को ऋण संबंधी अपने समेकित मूल परिपत्र द्वारा बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों को उचित एवं पर्याप्त हिस्सा मिले, सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के लाभ मिलें तथा अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक में पृथक प्रकोष्ठ बनाए जाएं।

चूंकि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने संबंधी ये अनुदेश हाल ही में दिए गये हैं, अतः पिछले तीन वर्ष के दौरान इन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने का प्रश्न नहीं उठता।

ब्याज दर

107. **श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत संबद्ध तथा निजी बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण, टाप-अप ऋणों पर प्रभारित की जा रही ऊंची ब्याज दर के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले अत्यधिक ब्याज और अन्य प्रभारों के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। संबंधित बैंकों द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मई, 2007 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा है कि ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित वस्तुपरक एवं पारदर्शी नीति बनाएं। यह कहा गया है कि बैंक-बोर्डों को उपयुक्त आन्तरिक नियम एवं प्रक्रियाएं निर्धारित करनी चाहिएं ताकि बैंकों द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों पर कार्रवाई एवं अन्य प्रभारों सहित अत्यधिक ब्याज दरें न लगाई जाएं।

आन्ध्र प्रदेश में आवासीय योजनाएं

108. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश के उन अत्यधिक पिछड़े जिलों में आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यक्रम हैं; जो गत चार वर्षों के दौरान सूखे और बाढ़ से बार-बार प्रभावित होते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्वनिर्धारित मानदंड के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं जिसमें प्रत्येक राज्य की आवासीय कमी और गरीबी अनुपात को पर्याप्त वेटेज दिया जाता है। इसके अलावा, आईएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिले को जिले के वार्षिक आबंटन की 10% राशि या 50 लाख रु. (राज्य अंश सहित), इनमें से जो भी अधिक हो, रिलीज किए जा सकते हैं ताकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आकस्मिकताएं पूरी की जा सकें, जो कि लगभग 200 मकानों के लिए पर्याप्त है। तथापि, राज्य के अधिकांश भागों को प्रभावित करने वाली बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को फिर से बनाने के लिए, संबंधित राज्य सरकार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग के साथ इस मामले को उठाएगी।

[हिन्दी]

झुग्गी वासियों को राजसहायता देने हेतु महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्ताव

109. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास शहरी क्षेत्रों के निर्धन झुग्गी वासियों को आवास मुहैया कराने के लिए राजसहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और इस संबंध में वास्तव में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्कीम	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की सं.	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की सं.	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमोदित अनुमत्य केन्द्रीय अंश (करोड़ रु. में)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी राशि (करोड़ रु. में)
शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)	35	32	3380.42	3055.63	1336.57	334.15
समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	29	19	290.61	199.65	154.25	60.35

[अनुवाद]

कर्नाटक में सर्वेक्षण रिपोर्टों की स्कैनिंग और माइक्रोफिल्मिंग

110. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक में 168 तालुकाओं में सर्वेक्षण रिपोर्टों की स्कैनिंग और माइक्रोफिल्मिंग के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण रिपोर्टों की स्कैनिंग और माइक्रोफिल्मिंग के लिए प्रायोगिक परियोजना को भारत सरकार का अनुमोदन मिल चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामिण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ङ) कर्नाटक की राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 163 तालुकों के भू-कर (कैडेस्ट्रल) सर्वेक्षण अभिलेखों की स्कैनिंग, क्लीनिंग, इन्हें सूचीबद्ध करने तथा परिरक्षण के लिए 16.78 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक की राज्य सरकार को भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उक्त प्रयोजन के लिए 8.84 करोड़ रुपये के लगभग निधियां जारी की गई थीं।

[हिन्दी]

भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

111. **श्री महावीर भगोरा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी एल आर) के लिए राज्य-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है

(ख) सी एल आर के अंतर्गत राज्य-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सी एल आर के अंतर्गत और जिलों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने तहसील/तालुका तथा सब डिवीजनों में भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) सी एल आर के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ निधियां जारी करने के क्या मानदण्ड हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पालिमर्स करेंसी नोट

112. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेपर की बजाय पालिमर्स से बनाया गया करेंसी नोट मुद्रित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये करेंसी नोटों के कब तक परिचालन में आने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय बैंक नोटों की मियाद को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विकल्प खोजना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। इस अभ्यास के एक हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक इस समय पालिमर सबस्ट्रेट पर छपाई करने सहित करेंसी नोटों की मियाद को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है।

न्यायालयों में न्यायाधीश

113. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में इस समय पुरूष और महिला न्यायाधीशों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है; और

(ख) न्यायालयों में पर्याप्त महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए किसी आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। तथापि, सरकार ने समय-समय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, उनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए बार में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के उपयुक्त व्यक्तियों और महिलाओं की पहचान करने के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पुरुष और महिला न्यायाधीशों तथा रिक्तियों के संबंध में ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तारीख 06.08.2007 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	आसीन न्यायाधीशों की संख्या	महिला न्यायाधीशों की संख्या	पुरुष न्यायाधीशों की संख्या	रिक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
	उच्चतम न्यायालय	26			22	04

1	2	3	4	5	6	7
	उच्च न्यायालय					
1.	इलाहाबाद	95	76	04	72	19
2.	आंध्र प्रदेश	39	31	02	29	08
3.	बम्बई	61	53	05	48	08
4.	कलकत्ता	50	42	02	40	08
5.	छत्तीसगढ़	08	06	00	06	02
6.	दिल्ली	36	32	05	27	04
7.	गुवाहाटी	23	23	01	22	00
8.	गुजरात	42	30	03	27	12
9.	हिमाचल प्रदेश	09	09	00	09	00
10.	जम्मू-कश्मीर	14	09	00	09	05
11.	झारखंड	12	09	00	09	03
12.	कर्नाटक	40	36	01	35	02
13.	केरल	29	27	01	26	02
14.	मध्य प्रदेश	42	41	04	37	01
15.	मद्रास	46	44	04	40	02
16.	उड़ीसा	20	14	01	13	06
17.	पटना	31	31	04	27	00
18.	पंजाब और हरियाणा	40	35	01	34	05
19.	राजस्थान	40	37	01	36	03
20.	सिक्किम	03	01	00	01	02
21.	उत्तरांचल	09	09	00	09	00
	योग	689	595	39	556	94

भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूंजी आगम का प्रभाव

114. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में अधिक पूंजी आगम के विरुद्ध आशंकाएं व्यक्त की हैं जैसा कि दिनांक 19 जून, 2007 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप भारत की मुद्रा का अधिक मूल्यांकन होगा तथा परंपरागत और वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता समाप्त होगी;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष (2007-08) की पहली और दूसरी तिमाही में कितना पूंजी आगम हुआ तथा भारतीय मुद्रा के मूल्यांकन तथा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) वैश्वीकरण, मुद्रास्फीति और वित्तीय बाजारों के संबंध में बैंक डी फ्रांस द्वारा 14 जून, 2007 को पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगोष्ठी में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर द्वारा पढ़े गए पत्र में भारत में पूंजी खाते के उदारीकरण की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार कहा गया था: ''प्रेषणों के अधिक आगम और पूंजी आगम के साथ साफ्टवेयर निर्यात में बढ़े और सतत उछाल से मुद्रा के संभावित अतिमूल्यांकन तथा इसके परिणामस्वरूप अन्य पारम्परिक और वस्तु क्षेत्रों की दीर्घावधिक प्रतिस्पर्धात्मकता के कम हो जाने की संभावना है जिसे आम भाषा में 'डच डिजीज' के नाम से जाना जाता है। इस तथ्य को देखते हुए कि वस्तु क्षेत्र में अधिक लोग लगे हैं, मुद्रा विनिमय दर प्रबंधन के माननीय पहलुओं को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।''

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रिम रूप से जारी कैलेंडर के अनुसार 2007-08 की पहली तिमाही के संबंध में भुगतान संतुलन के आधार पर पूंजी प्रवाहों संबंधी आंकड़े सितंबर 2007 के अंत में जारी किए जाएंगे; वर्ष 2007-08 की दूसरी तिमाही के आंकड़े दिसंबर 2007 के अंत में जारी किए जाएंगे।

(घ) हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा विनिमय दर नीति अत्यधिक अस्थिरता कम करने, अस्थिरता पैदा करने वाले सट्टाकारी कार्यकलापों के उद्भव को रोकने, मुद्रा भंडारों का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सहायता करने और एक सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करने की आवश्यकता से मार्गदर्शित होती रही है। हाल की अवधि में रुपये के मूल्य में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने निर्यातकों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें शुल्क हकदारी पासबुक दर बढ़ाना, निर्यात ऋण गारंटी निगम के प्रीमियम में कटौती, सीमा उत्पादन शुल्क के सभी बकायों के समाशोधन और केंद्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए 600 करोड़ रुपए जारी करना, शुल्क आहरण दरों में वृद्धि करना और लदान पूर्व व बाद की ऋण की ब्याज दरों में कमी करना शामिल है।

विद्युत क्षेत्र का विकास

115. **श्री किन्जरपु येरननायडू :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किये गए और क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में दसवीं योजना के दौरान सब के लिए विद्युत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्र और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा राज्य-वार कितना निवेश किया गया है; और

(ग) इस योजनावधि के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत देश में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने आवंटित धनराशि का कितना उपयोग किया?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) विद्युत क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने तथा इसे प्रतियोगी एवं व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :-

- 11वीं योजना वर्किंग ग्रुप आन पावर ने उत्पादन क्षमता में व्यापक वृद्धि प्रस्तावित की है।
- जल क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु 50000 मेगावाट जल पहल शुरू की गई है।
- थर्मल परियोजनाओं के बैंक-ग्राह्य शैल्फ के निर्माण के लिए लगभग 10,0000 मेगावाट तक के स्थलों को चिन्हित किया गया है।

- टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली मार्ग के अंतर्गत प्रत्येक लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा वृहत विद्युत परियोजनाओं का विकास।

- सुधारों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु राज्य विद्युत यूटिलिटियों की आवधिक रेटिंग।

- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को तेज करने के लिए स्टैण्ड एलोन प्रणाली को अनुमति देना।

- गांवों और ग्रामीण घरों के तीव्र ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई है।

- अन्तःक्षेत्रीय पारेषण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण द्वारा विद्युत के अंतःराज्यीय एवं अंतःक्षेत्रीय अंतरण की वृद्धि।

- ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन।

(ख) और (ग) 10वीं योजना के दौरान, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा लगभग 65,340 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। यद्यपि त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत 10वीं योजना के दौरान सीपीएसयू को आबंटन राज्य विशिष्ट नहीं रहा है फिर भी निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को 6941.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और 1749.03 करोड़ रुपये की राशि निवेश घटक के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। उसी प्रकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत भी 4900 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। आरजीजीवीवाई के कारण राज्यवार वितरण के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय दो योजनाओं के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु परियोजनाओं को वित्तपोषण करता है। ये निम्नलिखित है:-

- नान लैपसेबल सेन्ट्रल पूल आफ रिसोर्सिस (एनएलसीपीआर) के माध्यम से वित्तपोषण।

- नार्थ ईस्टर्न काउंसलिंग (एनईसी) द्वारा वित्तपोषण।

उपरोक्त दो योजनाओं के अंतर्गत उस मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि तथा विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 10वीं योजना के दौरान उत्तरपूर्वी राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

(क) एपीडीआरपी निवेश की स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	(31.3.07 तक) जारी	आहरित वैकल्पिक निधि	31.03.07 तक (समुपयोग) कुल	%
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	566.76	466.45	961.34	85
2.	बिहार	313.18	250.57	488.72	59
3.	छत्तीसगढ़	159.21	65.99	197.85	56
4.	दिल्ली	105.51	105.51	211.02	100
5.	गोवा	113.40	44.87	178.75	62
6.	गुजरात	400.26	372.44	978.74	90
7.	हरियाणा	168.99	107.28	231.57	54
8.	झारखंड	153.87	65.54	217.59	51
9.	कर्नाटक	463.62	587.34	848.25	72
10.	केरल	248.57	159.12	423.20	49
11.	मध्य प्रदेश	178.70	177.37	283.11	43
12.	महाराष्ट्र	426.78	376.62	948.65	58
13.	उड़ीसा	74.02	35.52	41.79	20
14.	पंजाब	202.67	211.59	362.37	51
15.	राजस्थान	434.28	499.86	757.83	64
16.	तमिलनाडु	441.82	392.77	724.14	76

1	2	3	4	5	6
17.	उत्तर प्रदेश	293.70	632.68	875.71	82
18.	पश्चिम बंगाल	92.92	113.96	324.20	73
		4838.26	4665.48	9054.83	66
	विशेष श्रेणी राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	36.68		33.27	40
2.	असम	394.35	47.07	374.84	58
3.	हिमाचल प्रदेश	306.88	15.88	306.82	95
4.	जम्मू और कश्मीर	593.39		377.80	34
5.	मणिपुर	42.67		2.67	2
6.	मेघालय	90.45		87.23	38
7.	मिजोरम	78.01		68.09	63
8.	नागालैंड	71.44		64.81	53
9.	सिक्किम	154.73		152.09	100
10.	त्रिपुरा	54.31		57.40	39
11.	उत्तराखंड	279.76		230.69	74
	कुल	2102.75	62.95	1755.71	52
	सकल योग	6941.01	4728.43	10810.54	63

(ख) प्रोत्साहन दावों की स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	नकदी हानि में कमी	पात्रता	प्रोत्साहन राशि जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	530.22	265.11	265.11
2.	गुजरात	1502.56	751.28	461.33
3.	हरियाणा	210.98	105.49	105.49
4.	केरल	289.82	144.91	96.38
5.	महाराष्ट्र	275.78	137.89	137.89
6.	पंजाब	503.88	251.94	109.42
7.	मध्य प्रदेश	672.46	336.23	54.06
8.	राजस्थान	275.42	137.71	137.71
9.	पश्चिम बंगाल	993.48	496.74	381.64
	कुल	5254.60	2627.30	1749.03

विवरण-II

2005-06 और 2006-07 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी निधि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान	74.982	68.738	143.72
2.	उत्तर प्रदेश	812.607	1544.403	2357.01
3.	उत्तरांचल	59.441	278.279	337.72
4.	छत्तीसगढ़	6.50	36.18	42.68
5.	कर्नाटक	84.184	75.766	159.95
6.	बिहार	381.976	470.144	852.12
7.	झारखंड	3.50	285.24	288.74
8.	उड़ीसा	3.50	63.67	67.17
9.	पश्चिम बंगाल	115.421	160.059	275.48
10.	गुजरात	0	13.36	13.36

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	0	104.66	104.66
12.	आंध्र प्रदेश	0	94.35	94.35
13.	असम	0	39.22	39.22*
14.	हरियाणा	0	12.33	12.33
15.	हिमाचल प्रदेश	0	7.48	7.48
16.	केरल	0	5.13	5.13
17.	जम्मू और कश्मीर	0	19.59	19.59
18.	मणिपुर	0	13.53	13.53
19.	महाराष्ट्र	0	10.02	10.02
20.	नागालैंड	0	4.23	4.23
	कुल	1542.111	3306.379	4848.49
	बीपीएल दावों तथा समर्थ गतिविधियों के लिए वितरण	55.46		55.46
	सकल योग	1597.571		4903.95

इसमें परियोजना लागत का 10% तक का ऋण घटक शामिल है।

विवरण-III

10वीं योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना का वित्तपोषण

(क) एनएलसीपीआर स्कीम

क्र. सं.	राज्य	जारी राशि	समुपयोजित निधि
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	102.01	92.72
2.	असम	105.35	87.84
3.	मणिपुर	54.06	60.07
4.	मेघालय	49.65	59.18
5.	मिजोरम	107.74	113.30
6.	नागालैंड	107.51	102.66
7.	सिक्किम	103.06	87.92
8.	त्रिपुरा	104.96	162.59
	कुल	734.34	766.28

कुछ राज्यों में 10वीं योजना के पूर्व जारी निधियों की उपलब्धता के कारण समुपयोग अधिक है।

(ख) एनईसी स्कीम

क्र. सं.	राज्य	जारी राशि	समुपयोजित निधि
1.	अरुणाचल प्रदेश	6.75	6.65
2.	असम	5.20	5.00
3.	मणिपुर	12.72	11.48
4.	मेघालय	15.74	0.90
5.	मिजोरम	10.32	10.32
6.	नागालैंड	1.40	1.40
7.	सिक्किम	3.60	0.00
8.	त्रिपुरा	67.83	57.97
	कुल	123.56	93.72

[हिन्दी]

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

116. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) ने उड़ीसा की आवास परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता अथवा ऋण प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना हेतु उपलब्ध कराए ऋण अथवा वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हडको द्वारा वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में मंजूर की गई आवास स्कीमों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) हडको, राज्य सरकार, आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सुधार न्यासों, सहकारी समितियों और विभिन्न अन्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के संगठनों को विभिन्न प्रकार की आवास और शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए, उनकी वित्तीय मजबूती, तकनीकी व्यवहार्यता और कानूनी अनुमत्यता के आधार पर ऋण सहायता मुहैया करता है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में मंजूर आवास स्कीमों की सूची

(लाख रु. में)

स्कीम सं.	एजेंसी	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	यूनिटों की सं.
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2004-05				
18359	सफल	रिहायश-सह-वाणिज्यिक परिसर का निर्माण पीसी प्लाजा	257.81	100.00	18
18477	सूडा	छतरपुर, उड़ीसा में वाम्बे स्कीम	8.80	0.00	22
18521	पीयूएचसीटीएससी	पुरी में पोमुपनिया अपार्टमेंट का निर्माण	575.00	400.00	90
18573	ओआरएचडीसी	तूफान प्रभावित जिलों के लिए ईडब्ल्यूएस आरएचएस	5865.48	5250.00	15000
18638	सूडा	पुरी में वाम्बे आवास योजना	40.00	0.00	100
18639	सूडा	पिपली, पलसारा, गोपालपुर में वाम्बे आवास स्कीम	24.00	0.00	60

1	2	3	4	5	6
18640	सूडा	तेलिया नगर बालांगीर में वाम्बे आवास स्कीम	8.00	0.00	20
			6779.09	5750.00	15310
	वर्ष 2005-06				
	वर्ष 2005-06 के दौरान कोई स्कीम मंजूर नहीं की गयी है।				
	वर्ष 2006-07				
18996	नीलाचल	झारपाड़ा भुवनेश्वर में रिहायशी परिसर का निर्माण	225.30	100.00	0
18997	नीलाचल	झारपाड़ा भुवनेश्वर में रिहायशी परिसर का निर्माण	619.34	300.00	0
19087	आइकोन ग्रोप	पारिया, भुवनेश्वर में डुप्लेक्स रिहायशी परिसर का निर्माण	218.83	100.00	0
			1063.47	500.00	0

न्यायालयों में ग्रीष्म अवकाश

117. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री एम अंजन कुमार यादव :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में वर्षों से लाखों मामले लंबित होने के बावजूद ये न्यायालय ग्रीष्म अवकाश के दौरान बंद रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों में ग्रीष्म अवकाश रद्द करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य घंटे, संबंधित न्यायालयों द्वारा विरचित नियमों से विनियमित होते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत का उच्चतम न्यायालय किसी एक वर्ष में 222 दिन कार्य करता है; देश में सभी उच्च न्यायालयों में किसी एक वर्ष में सामान्यत: 210 कार्य दिवस होते हैं और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या तथा साथ ही कार्य घंटे संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनियमित किए जाते हैं। न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की सेवानिवृति

118. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणीवार और बैंकवार कितने कर्मचारी सेवानिवृत हुए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणीवार और बैंकवार कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणीवार और बैंकवार नियुक्त किए गए कर्मचारियों में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्प संख्यक समुदाय के थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा शुल्क आयुक्तालय से गुम मिसिलें

119. **श्री मिलिन्द देवरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुल्क दुर्विनियोजन के मामलों, जिसमें मुम्बई और कोलकाता जैसे महानगरों के सैकड़ों आयातक संलिप्त हैं, से संबंधित संवेदनशील मिसिलें सीमा शुल्क आयुक्तालयों से गुम हो गयी हैं, जैसा कि 24 मई, 2007 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) ये मिसिलें किस अवधि से संबंधित हैं; और

(ङ) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2007 की रिपोर्ट सं. 7 के पैरा 2.6.2 में दर्शाया है कि चार आयुक्तालयों में मांग से संबंधित 165 मामलों की फाइलें गुम थी जिसमें 89.81 लाख रु. के ब्याज और जुर्माने के अलावा 26.48 करोड़ रु. का शुल्क अंतर्ग्रस्त था।

(ग) महानिदेशक, निरीक्षण ने उक्त आयुक्तालयों का विशेष निरीक्षण किया था और उन्होंने मामलों के शीघ्र न्यायनिर्णयन के लिए और फाइलों को ढूंढने अथवा उन्हें पुनः बनाने के लिए उपाय सुझाये थे।

(घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों की अवधि वर्ष 1997 और 2002 के मध्य की दर्शायी गई है।

(ङ) इस संबंध में महानिदेशक, निरीक्षण द्वारा किये गये विशेष निरीक्षण से उद्भूत उपचारात्मक उपायों पर सरकार का समुचित कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम शुरू किया जाना

120. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 'राष्ट्रीय ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम' नामक एक अन्य राष्ट्रव्यापी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभवना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), भारत सरकार का प्रमुख स्वरोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर अब तक के अनुभव को देखते हुए, इस योजना के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि इसके लाभ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को उपलब्ध कराए जा सकें एवं इनमें बढ़ोतरी की जा सके, कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा गरीबी रेखा से ऊपर उठने में उनकी सहायता की जा सके। एसजीएसवाई की पुनर्संरचना पर प्रारूपण समिति तथा योजना आयोग द्वारा गठित विषय संचालन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनआरपीईआर), केवल एसजीएसवाई के लिए गठित प्रारूपण समिति द्वारा सुझाई गई संशोधित नाम पद्धति है और यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है जो कि विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उड़ीसा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

121. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गत वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कोई परियोजनाएं अग्रेषित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उड़ीसा राज्य सहित विभिन्न राज्यों में स्थित अनुसंधान और विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों तथा अन्य स्वायत्तशासी संगठनों से प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान प्रस्तावों को सहायता प्रदान करता है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने उड़ीसा राज्य में वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 392.75 लाख रुपये, 780.24 लाख रुपये और 345.71 लाख रुपये की कुल लागत पर 38, 42 और 35 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को निधियां प्रदान की हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत

122. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के अन्तगर्त किसी भी जमा राशि से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर काटे गये कर की सीमा में अर्थात टी.डी.एस. सीमा में बढ़ोत्तरी की है जैसा कि 05 जून, 2007 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव से कितने वरिष्ठ नागरिकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वित्त अधिनियम, 2007 ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के उपबंधों को संशोधित किया है जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के साथ किसी जमा पर ब्याज के संबंध में न्यूनतम सीमा को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया है जहां तक स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित नहीं है।

(i) धारा 124क(3) के खण्ड (i) के उप खण्ड (क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई बैंकिंग कम्पनी; एवं

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई एवं इस संबंध में इसके द्वारा अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत डाक घर।

न्यूनतम सीमा को पांच हजार रुपए से बढ़ा का दस हजार रुपए का दिया गया है। बढ़ी हुई सीमा दिनांक 1 जून, 2007 से लागू है।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 1 जून, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 861(अ) के अंतर्गत तदनुसार आयकर अधिनियम की धारा 124-क की उप धारा (3) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के फलस्वरूप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के अंतर्गत डाक घरों में की गई जमाओं पर ब्याज के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित नहीं होगी, यदि इस तरह से जमा अथवा संदत्त ब्याज की राशि दस हजार रुपए तक है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है।

ग्राम न्यायालय

123. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में संसद में एक विधेयक लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस विधेयक को कब तक लाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने 15 मई, 2007 को राज्य सभा में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 पुरःस्थापित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 13 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 13 अगस्त, 2007/ 22 श्रावण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री दुष्यंत सिंह	1
2.	श्री अबु अयीश मंडल	2
3.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	3
4.	डा. अरूण कुमार शर्मा डा. चिन्ता मोहन	4
5.	श्री रघुनाथ झा श्री प्रभुनाथ सिंह	5
6.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री हेमलाल मुर्मू	6
7.	श्री महेश कनोडीया श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी	7
8.	श्री रजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री मोहन सिंह	8
9.	श्री गुरुदास दासगुप्त	9
10.	श्री के.सी. पल्लानी शामी	10
11.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव डा. धीरेंद्र अग्रवाल	11
12.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री सुरवरम सुधारकार रेड्डी	12
13.	श्री एम. राजामोहन रेड्डी श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख	13
14.	श्री जीवाभाई ए. पटेल	14
15.	श्री बसुदेव आचार्य	15
16.	श्री अनवर हुसैन	16
17.	श्री रामदास आठवले	17
18.	श्री चन्द्र भूषण सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	18
19.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	19
20.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	51, 75
2.	अडसूल, श्री आंनदराव विठोबा	10, 30, 15, 56, 64
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद	39
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1, 68, 109

1	2	3
5.	आठवले, श्री रामदास	52, 77, 87
6.	बारड़, श्री जसुभाई	22, 65, 113
7.	भगोरा, श्री महावीर	97, 105, 111
8.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	27, 29, 100
9.	चौधरी, श्री अधीर	48, 57, 79
10.	देवरा, श्री मिलिन्द	7, 41, 69, 119, 122
11.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	36, 85, 89, 91
12.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	54, 78, 88, 90, 99
13.	गंगवार, श्री संतोष	12
14.	हुसैन, श्री अनवर	33, 76, 86
15.	झा, श्री रघुनाथ	46, 72
16.	कनोडीया, श्री महेश	48
17.	खारवेनथन, श्री एस.के.	6
18.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4, 103, 123
19.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	49, 73
20.	मंडल, श्री सनत कुमार	48, 123
21.	माने, श्रीमती निवेदिता	54, 78, 88, 90, 99
22.	मरान्डी, श्री सुदाम	32
23.	मसूद, श्री रशीद	13
24.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	15, 58, 70, 81
25.	मंडल, श्री अबु अयीश	43
26.	मुर्मु, श्री हेमलाल	47, 55
27.	निखिल कुमार, श्री	11, 53, 57, 79

1	2	3
28.	ओराम, श्री जुएल	20, 52
29.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	95
30.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	98, 106
31.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	40, 91
32.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2, 96
33.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	44, 50
34.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	54, 78, 88, 90
35.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	22, 26, 65, 113
36.	प्रधान, श्री धर्मेन्द	94, 102
37.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	27, 70, 80, 104
38.	राजगोपाल, श्री एल.	3
39.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	8
40.	राणा, श्री काशीराम	24, 50, 100
41.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	15, 100, 108
42.	रावत, प्रो. रासा सिंह	92
43.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	9, 17, 49, 61
44.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	31, 72
45.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	38, 74, 117, 80
46.	रिजीजू, श्री कीरेन	94, 102
47.	साईं प्रताप, श्री ए.	14
48.	सरडकी, श्री इकबाल अहमद	23, 66, 110, 120, 123
49.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	45, 71
50.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	25, 66, 67, 114

1	2	3
51.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	5, 59, 82, 118
52.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	47
53.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	10, 30, 51, 56, 64
54.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	2
55.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	34
56.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	37, 74, 116, 121
57.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	53
58.	सिंह, श्री दुष्यंत	42
59.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	35, 72
60.	सिंह, श्री सुग्रीव	54, 78, 88, 99
61.	सिंह, श्री सूरज	9, 73
62.	सिंह, श्री उदय	18, 48, 62, 84
63.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	48
64.	सुब्बा, श्री एम.के.	93, 101
65.	सुमन, श्री रामजीलाल	9, 49
66.	तुम्मर, श्री वी.के.	44, 70
67.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	16, 60, 83
68.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	24, 29
69.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	19, 63
70.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	10, 21, 30, 64, 112
71.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	117
72.	येरननायडू, श्री किन्जरपु	28, 83, 107, 115

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	2, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	4, 13
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	
विद्युत	:	3, 5, 6, 15, 18
ग्रामीण विकास	:	12
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
शहरी विकास	:	1, 10.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	:	24
पृथ्वी विज्ञान	:	59, 88, 89
वित्त	:	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 27, 29, 36, 41, 44, 46, 47, 49, 53, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 78, 81, 90, 93, 94, 98, 99, 106, 107, 112, 114, 118, 119, 122
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	56, 71, 101, 109, 116
विधि और न्याय	:	28, 55, 79, 96, 100, 113, 117, 123
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	83
विद्युत	:	5, 18, 25, 30, 40, 42, 45, 51, 52, 62, 66, 72, 75, 84, 87, 91, 115

ग्रामीण विकास	:	8, 21, 23, 31, 33, 34, 37, 38, 43, 74, 80, 86, 97, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 120,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	77, 82, 121
शहरी विकास	:	14, 20, 26, 32, 35, 39, 48, 50, 54, 63, 85, 95, 111.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/28/1/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।